रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18, 1989/कार्तिक, 27, 1911
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 1989/KARTIKA 27, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a eparate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचनाएं

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1989

का. आ. 2890.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री पी. आर. अग्रवाल एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अहमदाबाद, मीरजापुर शहर गुजरात में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. एफ. 5/(72)/89-न्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTICES

New Delhi, the 31st October, 1989

S.O. 2890.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri P. R. Agarwal, Advocate for appointment as a Notary to practice in Ahmedabad Mirzapur (Gujarat).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(72)/89-Judl.]

का. आ. 2891.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री नरोत्तम दास टी. अनारकाट, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे राजकोट गुजरात राज्य

व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(73)/89-न्या.]

के. एल. शर्मा, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 2891.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Narottam Dass T. Anarkat, Advocate, for appointment as a Notary to practice in Rajkot Gujarat.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publicaiton of this Notice.

[No. F. 5(73)/89-Judl.]

K. L. SARMA, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1989

का. आ. 2892.—संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, गुजरात सरकार की सहमति से :—

(1) पोरबन्दर 2 के जिला पुलिस अधीक्षक; और

(3) जिला पुलिस अधीक्षक, गांधीनगर

को भी एतद्द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (गग) तथा ङ(iii) में विनिर्दिष्ट आदेशों को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार के कृत्य सौंपते हैं; अर्थात् :—

(क) कि इस प्रकार सौंपे गए कृत्य पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के संबंध में किए जाएंगे,

(ख) कि ऐसे कृत्यों को करते समय उक्त जिला पुलिस अधीक्षक उन सामान्य या विशेष निर्देशों को अनुपालन करेंगे जो गुजरात सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किए जाएं; और

(ग) कि इस प्रकार कृत्यों के सौंपे जाने के बावजूद यदि किसी मामले में केन्द्रीय सरकार उचित समझे तो वह उक्त कृत्यों में से किसी कृत्य को स्वयं भी कर सकेगी।

[सं. 12011/1/89-एफ. III]

एम. बालगोपालन, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 3rd October, 1989

S.O. 2892.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution, the President, with the consent of the Government of Gujarat, hereby entrusts also to :—

(i) The District Superintendent of Police, Porbandar : and

(ii) The District Superintendent of Police, Gandhinagar ; the functions of the Central Government in making orders of the nature specified in clauses (a), (b), (c), (cc) and e(iii) of sub-section (2) of section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) subject to the following conditions namely :—

(a) that the functions so entrusted shall be exercised in respect of nationals of Pakistan ;

(b) that in the exercise of such functions the said District Superintendent of Police shall comply with such general or special directions as the Government of Gujarat or the Central Government may from time to time issue ; and

(c) that not withstanding this entrustment, the Central Government may itself exercise any of the said functions should it deem fit to do so in any case.

[No. 12011/1/89-F. III]

M. BALAGOPALAN, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1989

का. आ. 2893.—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आर. के. शाह, अधिवक्ता, अहमदाबाद को विशेष अभियोजक के रूप में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निम्नलिखित मामलों के विचारणों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करती है, अर्थात्,

श्री कीरित आर. आचार्य और अन्य के विरुद्ध आर. सी. 2/83-सी आई यू (बी),

श्री वी. आर. पाल्खीवाला और अन्य के विरुद्ध आर. सी. 5/83-सी आई यू (बी),

श्री ए. पी. कुंभानी और अन्य के विरुद्ध आर. सी. 8/83 सी आई यू (बी), और

श्री एन. जी. राडिया और अन्य के विरुद्ध आर. सी. 10/84-सी आई यू. (बी),

जो विचारण विशेष न्यायाधीश, अहमदाबाद के न्यायालय में सम्मिलित हैं।

[संख्या 225/8/89-ए. वी. डी. (II)]

जी. सीतारामन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 2nd November, 1989

S.O. 2893.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri R. K. Shah, Advocate, Ahmedabad as Special Public Prosecutor for the purpose of conducting the trials of the Delhi Special Police Establishment cases viz., RC. 2/83-CIU (B) against Shri Kirit R. Acharya and others, RC 5/83-CIU (B) against Shri V. R. Palkhiwala and others, RC 8/83-CIU (B) against Shri A. P. Kundnani and others and RC 10/84-CIU (B) against Shri N. G. Radia and others pending trials in the Court of Special Judge, Ahmedabad.

[No. 225/8/89-AVD. II]
G. SITARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 6 दिसम्बर 1989

(आयकर)

का. आ. 2894.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 जी. की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री सप्तऋषिवारा स्वामी मन्दिर" थिरुथलाईयूर (तमिलनाडु) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ पूरे तमिलनाडु राज्य में एक विख्यात सार्वजनिक पूजास्थल के रूप में अधिसूचित करती है ।

[संख्या 8447/फा.सं. 176/10/83-आ.क. (नि.-I)]
आनन्द किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th September, 1989

(INCOME-TAX)

S.O. 2894.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Sri Saptharishiwara Swamy Temple", Thiruthalaiyur (Tamil Nadu), to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purpose of the said clause.

[No. 8447/F. No. 176/10/88-IT (AI)]
ANAND KISHORE, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर 1989

आयकर

का. आ. 2895.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194-क की उप-धारा 3 के खंड (iii) के उप-खंड (च) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मराठवाड़ा विकास निगम लि., औरंगाबाद को उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 8475/फाइल सं० 275/88/88-आ० क० (ख)]
बी. ई. एलेक्जेंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 8th October, 1989

INCOME-TAX

S.O. 2895.—In pursuance of sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section (3) of section 194-A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Marathwada Development Corporation Limited, Aurangabad, for the purposes of the said sub-clause.

[No. 8475/F. No. 275/88/88-IT (b)]
B. E. ALEXANDER, Under Secy.

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1989

का.आ. 2896.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गिलिडेरी टी कम्पनी लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय 23/24 राधा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 में है के पंजीकरण के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है क्योंकि उक्त उपक्रम ऐसे उपक्रमों में से है जिन पर उक्त अधिनियम के भाग "क" अध्याय-III के उपबन्ध अब लागू नहीं होते हैं । (पंजीकरण संख्या 963/74)।

[सं. 16/9/89-एम.III]
शशिभूषण सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 30th October, 1989

S.O. 2896.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Ghillidary Tea Company Limited having its registered office at 23/24, Radha Bazar Street, Calcutta-700001 the said undertaking being undertaking to which the provisions of Part A, Chapter III of the said Act no longer apply (Registration No. 963/74).

[No. 16/9/89-M. III]
S. B. SINGH, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1989

का. आ. 2897.—केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

दूसरी अनुसूची में, "महाराष्ट्र" शीर्षक के अधीन क्रम सं. 11 बी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय/बोर्ड या चिकित्सा संस्था का नाम	मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर	टिप्पण
"11 सी पूना विश्वविद्यालय	होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक	बी. एच. एम. एस.	1988 से 1990 तक

[सं. वी. 27021/13/87-होम्यो]

एस. बी. गोयल, निदेशक (आई. एम. एम.)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, 2nd November, 1989

S. O. 2897.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Homoeopathy Central Council Act, 1973 (57 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule, under the heading 'Maharashtra' after serial number 11B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

SCHEDULE

Name of University/Board or Medical Institution.	Recognised medical qualification	Abbreviation for registration	Remarks
"11 C. Pune University	Bachelor in Homoeopathic Medicine and Surgery.	B.H.M.S.	From 1988 to 1990"

[No. V. 27021/13/87-Hom].

S.B. GOEL, Director (ISM).

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1989

का. आ. 2898.—केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में और गोवा सरकार से परामर्श करके डा. एम. जी. के. शर्मा, आचार्य, आयुर्विज्ञान, गोवा मेडिकल कालेज और अस्पताल, गोवा को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना स. का. आ. 138 तारीख 9 जनवरी, 1960 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3(1) (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट" शीर्ष के नीचे क्रम सख्यांक 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"23. डा. एम. जी. के शर्मा,
आचार्य, आयुर्विज्ञान,
गोवा मेडिकल कालेज और अस्पताल
गोवा"

[सं. वी. 11013/16/88-एम ई (पी)]

आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd November, 1989

S.O. 2898.—Whereas the Central Government in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and in consultation with the Government of Goa have nominated Dr. N. G. K. Sharma, Professor of Medicine, Goa Medical College and Hospital, Goa to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this notification ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under section 3(1)(a)", after serial number 22 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"23. Dr, N. G, K. Sharma,
Professor of Medicine,
Goa, Medical College and Hospital
Goa."

[No. V-11013/16/88-ME (P)]

R. SRINIVASAN, Under Secy.

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1989

का. आ. 2899 :—भारत सरकार के राजपत्र भाग-II, धारा 3, उपधारा (ii) दिनांक 1970-01-10 में प्रकाशित औद्योगिक विकास मंत्रालय, आंतरिक व्यापार तथा कंपनी कार्य (औद्योगिक विकास विभाग), के अतिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि वनस्पति तेल के विरंजय के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भारतीय मूल की रेट के लिए मानक मुहर का डिजाइन परिशोधित कर दिया गया है। मानक मुहर का परिशोधित डिजाइन, उसके विवरण और संबद्ध भारतीय मानक की संख्या तथा वर्ष सहित निम्नलिखित अनुसूची में दिया गया है :

भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 9 के उपनियम (2) के अनुसरण में यह 1986-11-01 से लागू होगी।

अनुसूची

क्र. सं.	मानक मुहर का डिजाइन	उत्पाद उत्पाद श्रेणी की संख्या और वर्ष	सम्बद्ध भारतीय मानक	मानक मुहर के डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS:1965 ISI	वनस्पति तेल के विरंजन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भारतीय मूल की रेह	IS : 1965—1972	स्तम्भ (2) में दिखाई गई निश्चित शैली और पुरस्कार सम्बद्ध अनुपात में बनाया गयी "ISI" अक्षरयुक्त भारतीय मानक ब्यूरो मोनोग्राम, जिसमें भारतीय मानक संख्या डिजाइन दिखाए अनुसार मोनोग्राम के ऊपर अंकित है।

[संख्या सीएमडी 13 : 9]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 24th October, 1989

S.O. 2899 :—In supersession of the then Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development) published in the Gazette of India Part-II, Section-3, Sub-section(ii) dated 1970-01-10, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the design of the Standard Mark for bleaching earths has been revised. The revised design of the Standard Mark together with the number and year of the relevant Indian Standard and description of the design is given in the following Schedule.

In pursuance of Sub-rule(2) of Rule 9 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 shall come into force with effect from 1986-11-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. & Year of the Relevant Indian Standard	Description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.	IS:1965 ISI	Bleaching earths of Indian origin used for bleaching vegetable oils	IS : 1965—1972	The monogram of the Bureau of Indian Standards consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2) ; the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का. आ. 2900—तत्कालीन औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) (भारतीय मानक ब्यूरो) भारत सरकार के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1970-01-10 अधिसूचना सं. का. आ. 87, दिनांक 1969-12-22 के अतिक्रमण में भारतीय

मानक ब्यूरो, एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि रेह के लिए प्रति इकाई के लिए मुहरांकन शुल्क जिसका विवरण नीचे सलग्न अनुसूची में दिया गया है, में संशोधन किया गया है। मुहरांकन शुल्क की संशोधित दर 1986-11-01 से लागू होगी :—

अनुसूची

क्र.सं.	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वनस्पति तेल के विरंजन में प्रयुक्त देशज रेह	IS : 1965—1972	एक टन	(1) रु. 3.00 प्रति इकाई पहली 300 इकाइयों के लिए, (2) रु. 1.50 प्रति इकाई 301वीं 1300 इकाइयों के लिए, (3) रु. 1.00 प्रति इकाई 1301वीं तथा अधिक के लिए
	टिप्पणी : उपर्युक्त भारतीय मानक के लिए मुहरांकन शुल्क की दर 1989-03-01 से निम्नानुसार संशोधित की गई है। रु. 3.00 प्रति इकाई (इकाई—1 टन)			

[संख्या सी एम डी 13 : 10]

S.O. 2900.—In supersession of the then Ministry of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development) (Bureau of Indian Standards) notification number S.O. 82 dated 1969-12-22 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section(ii) dated 1978-01-10 the Bureau of Indian Standards, hereby, notifies that the marking fee per unit for the bleaching earths details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been revised. The revised rate of marking fee shall come into force with effect from 1986-11-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. & Year of the Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bleaching earths of Indian origin used for bleaching vegetable oils.	IS : 1965—1972	One Tonne	(i) Rs. 3.00 per unit for the first 300 units; (ii) Rs. 1.50 per unit for the 301st to 1300 units and (iii) Re 1.00 per unit for the 1301st unit and above.
		NOTE : Rate of Marking Fee has since been again revised as under with effect from 1989-03-01 ; Rs. 3.00 Per Unit (Unit—One Tonne).		

[No. CMD/13 : 10]

का. आ. 2901.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 9 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिस मानक मुहर का डिजाइन, उसके सांकेतिक विवरण और सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या वर्ष सहित नीचे अनुसूची में दी गई है, वह निर्धारित कर दिया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिए यह मानक मुहर 1986-07-01 से लागू होगी :

अनुसूची

क्र. सं.	मानक मुहर का डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद श्रेणी	सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	मानक मुहर के डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		फैनथोएट धूलन चूर्ण	IS : 10950—1984	स्तम्भ (2) में दिखाई गई निश्चित शैली और परस्पर सम्बद्ध अनुपात में बनाया गया "ISI" अक्षरयुक्त भारतीय मानक ब्यूरो का मोनोग्राम, जिसमें भारतीय मानक संख्या डिजाइन में दिखाए अनुसार मोनोग्राम के ऊपर अंकित हो।

[संख्या सी एम डी 13 : 9]

S.O. 2901.—In pursuance of sub-rule (1) of the rule 9 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards, hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the description of the design and the number and year of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1986-17-11:

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and year of the Relevant Indian Standard	Description of the design of the Standards Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Phenthoate dusting powders	IS : 10950—1984	The monogram of the Bureau of Indian Standards consisting of leetters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2) ; the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

अनुसूची

का. आ. 2902.—भारतीय मानक ब्यूरो विनियम, 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि फ़ेनथोएट धूलन चूर्ण की प्रति इकाई मुहर लगाने की फ़ीस जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, निर्धारित कर दी गई है और यह फ़ीस 1986-07-01 से लागू होगी।

अनुसूची

क्र० सं०	उत्पाद/उत्पादों की श्रेणी	सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फ़ीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फैनथोएट धूलन चूर्ण	IS : 10950-1984	1 मी०	रु० 5.00

[संख्या सी एम डी-13 : 10]

एस. सुब्रहमनियन, उप महानिदेशक

S.O. No. 2902.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby, notifies that the marking fee per unit for phenthoate D.P. details of which are given in the Schedule here to annexed has been determined and the fee shall come into force with effect from 1986-07-01;

SCHEDULE

Sl. No.	Products/class of Product	No. and year of Relevant Indian Standards	Unit	Marking fee per unit.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Phenthoate dusting powders	IS : 10950—1984	1 Mt	Rs. 5.00

[No. CMD/13 : 10]

S. SUBRAMANYAM, Dy. Dir. Genl.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1989

का. आ. 2903.—चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 8 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) और नियम 7 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को हैदराबाद स्थित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की क्षेत्रीय सलाहकार सूची के सदस्यों के रूप में, तत्काल से अगले आदेशों तक नियुक्त करती है :—

1. श्री ताजामल हुसैन
2. श्री खाजा खलीलुल्लाह
3. श्री माणिक रेड्डी
4. श्री के० स्वामी
5. सुश्री जी. शान्ता कुमारी
6. श्री छावलवादा कृष्णामूर्ति
7. श्री मगन्ती अंकिनीडु
8. श्रीमती आदिलक्ष्मी आजाद
9. श्री बी. कृष्णय्याह
10. श्रीमती के. स्वाराज्यलक्ष्मी
11. श्री एस. राममूर्ति
12. श्री सैयद नसीरूद्दीन
13. श्री वी. अमरनाथ
14. श्री रवि वेंकट रेड्डी
15. श्री मावल रवीन्द्र रेड्डी
16. श्री ए. एस. मूर्ति
17. श्री बी. वी. राजु
18. श्रीमती एस. शोभा शंकर
19. श्री आई. नरसिंह राव
20. श्री बी. गंगाधर
21. श्री जी. सुभाषचन्द्र राव
22. श्री विजय कुमार रेड्डी
23. श्री के. वेणुगोपाल
24. श्री अशोक रेड्डी
25. श्री ए. रामा बाबू
26. श्री जी. श्रीनिवासन गौड़
27. श्री ए. यू. एल. लक्ष्मण राव
28. श्री अंजन कुमार गौड़
29. श्री मडेल्ला विट्ठल गौड़
30. श्री एम. विजय कुमार नायडू
31. श्री तिलक राज
32. श्री बृज मोहन
33. श्री डी. मनोज कुमार
34. श्री नामदेव
35. सुश्री शीलम भारती देवी

[म. 814/10/88-फि. प्र.]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 3rd November, 1989

S.O. 2903.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952, (37 of 1952) and sub-rule (3) of Rule 7 read with sub-rules (1) and (2) of Rule 8 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Regional Advisory Panel of the Central Board of Film Certification, at Hyderabad, with immediate effect, until further orders :—

1. Shri Tajammul Hussain
2. Shri Khaja Khalilullah
3. Shri Manik Reddy
4. Shri K. Swami
5. Ms. G. Shanta Kumari
6. Shri Chadalvada Krishnamurthy
7. Shri Maganti Ankineedu
8. Smt. Adilakshmi Azad
9. Shri B. Krishnaiah
10. Smt. K. Swarajya Laxmi
11. Shri S. Ramamurti
12. Shri Syed Naseeruddin
13. Shri V. Amarnath
14. Shri Ravi Venkat Reddy
15. Shri Madas Ravinder Reddy
16. Shri A. S. Moorthy
17. Shri B. V. Raju
18. Smt. S. Shobha Sankar
19. Shri I. Narsing Rao
20. Shri B. Gangadhar
21. Shri G. Subhas Chandra Rao
22. Shri Vijay Kumar Reddy
23. Shri K. Venugopal
24. Shri Ashok Reddy
25. Shri A. Rama Babu
26. Shri G. Sreenivasa Goud
27. Shri A. U. L. Laxman Rao
28. Shri Anjan Kumar Goud
29. Shri Madella Vittal Goud
30. Shri M. Vijay Kumar Naidu
31. Shri Tilak Raj
32. Shri Brij Mohan
33. Shri D. Manoj Kumar
34. Shri Namdev
35. Ms. Seelam Bharathi Devi.

[No. 814/10/88-FC]

का.आ. 2904.—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5(1) और चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 8 के उपनियम (1) और (2) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार त्रिवेन्द्रम स्थित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय सलाहकार पैनल के सदस्य के के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल से और अगले आदेशों तक नियुक्त करती है:—

1. श्री पी. टी. नरेन्द्र मेनन — श्री राजाकृष्णन के स्थान पर
2. श्री पी. के. मोहम्मद सुन्ही— डा. एन. ए. करीम के स्थान पर

3. श्रीमती साराह थॉमस	— श्री पी.के. बालाकृष्णन के स्थान पर
4. श्री टी. राधा कृष्णन	— श्री चम्पानम चाको के स्थान पर
5. श्री पी. आर. श्यामला	— डा. जॉर्ज ओ. सुदर्शना के स्थान पर
6. सुश्री राधा शेखर	— श्री पी. श्रीधरन के स्थान पर
7. श्री एन. मोहनन	— प्रो. के.वी. हरिदासन के स्थान पर
8. डा. जे.वी. विलानिलम	— श्रीमती राजेश्वरी मेनन के स्थान पर
9. श्री के.एम. लेनिन	— श्री विजय कृष्णन के स्थान पर
10. श्री वी.एन. उन्नी	— श्री के. रामचन्द्रन के स्थान पर
11. श्री एन.के.जी. नायर	— श्री राजन पोडुवाल के स्थान पर
12. प्रो. अयप्पा पन्निकर	— डा. एम.जी. पिल्लै के स्थान पर
13. श्री पॉल मानालिल	श्रीमती सुधा थम्पी के स्थान पर

[सं. 814/11/88-फि०प्र.]

S.O. 2904.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematoraph Act, 1952 (37 of 1952) and sub-rule (3) of Rule 7 read with sub-rules (1) and (2) of Rule 8 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Regional Advisory Panel of the Central Board of Film Certification, at Trivandrum, with immediate effect and until further orders :—

1. Shri P. T. Narendra Menon vice Shri Rajakrishnan
2. Shri P. K. Mohammadkunhi vice Dr. N. A. Karim
3. Smt. Sarah Thomas vice Shri P. K. Balakrishnan
4. Shri T. Radhakrishnan vice Shri Chammanam Chacko
5. Shri P. R. Shyamla vice Dr. George O, Sundarsana
6. Ms. Radha Sekhar vice Shri P. Sreedharan
7. Shri N. Mohanan vice Prof. K. V. Haridasan
8. Dr. J. V. Vilanilam vice Smt. Rajeswari Menon
9. Shri K. M. Lenin vice Shri Vijaya Krishnan
10. Shri V. N. Unni vice Shri K. Ramachandran
11. Shri N. K. G. Nair vice Shri Rajan Poduval
12. Prof. Ayyappa Pannickar vice Dr. M. G. Pillai
13. Shri Paul Manalil vice Smt. Sudha Thampi

[No. 814/11/88-FC]

का.आ. 2905.—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5(1) तथा चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 8 के उपनियम (1) और (2) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बंगलौर के क्षेत्रीय सलाहकार

पैनल के सदस्य के रूप में तत्काल से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करती है :—

1. श्री के० सुन्दर
2. श्री एच. चिनप्पा
3. श्री वाई सईद अहमद
4. श्री आर. दयानन्द राव
5. श्री अशोक कुमार
6. श्री एम. वेदकुमार

[सं. 814/2/88-फि.प्र.]
अंशु वैश्य, निदेशक

S.O. 2905.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) and Sub-rule (3) of Rule 7 read with sub-rule (1) and (2) of Rule 8 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Regional Advisory Panel of the Central Board of Film Certification, at Bangalore, with immediate effect and until further orders :—

1. Shri K. Sundar
2. Shri H. Chinnappa
3. Shri Y. Sayeed Ahmed
4. Shri R. Dayanand Rao
5. Shri Ashok Kumar
6. M. Vedakumar

[No. 814/2/88-FC]
ANSHU VAISH, Director

(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1989

का.आ. 2906—इस विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 10 फरवरी, 1988 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नानुसार आंशिक रूप से आगे और संशोधन किया जाता है :—

सदस्यों की सूची में क्रम सं. (3) में वित्तीय सलाहकार युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के समक्ष दर्शाए गए "श्री एस. बालचन्द्रन" नाम के स्थान पर "श्री एल. एस. नारायणन" प्रतिस्थापित किया जाता है।

[मि.सं. 13-35/87-खेल-4]
संतोष कुमार, निदेशक (खेल)

(Department of Youth Affairs & Sports)

New Delhi, the 30th October, 1989

S.O. 2906.—This Department's Notification of even number dated the 10th February, 1988 as modified from time to time is hereby further partially modified as follows :—

In the list of Members at Sl. No. 3 against Financial Adviser, Department of Youth Affairs & Sports the name "Shri L. S. Narayanan" is substituted in place of "Shri S. Balachandran".

[No. F. 13-35/87-SP. IV]
SANTOSH KUMAR, Director (Sports)

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1989

का.आ. 2907—भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 मई, 1989 के पृष्ठ क्रमांक 1447 से 1452 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय कोयला विभाग की अधिसूचना का.आ. 1199 तारीख 10 मई, 1989 में, —

पृष्ठ क्रमांक 1448 पर अधिसूचना में

पंक्ति 23 में—"पेनकनाल" के स्थान पर "धेनकनाल" पढ़ें,

अनुसूची में

पंक्ति 2 में—"तेलचर" के स्थान पर "तालचेर" पढ़ें और जहां कहीं भी "तेलचर" शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसके स्थान पर "तालचेर" पढ़ें ।

ग्राम कलमाचुईन (भाग) में अर्जित प्लाट संख्यांक में—

पंक्ति 2 में—"5148 से 5248" के स्थान पर "6148 से 5241, 5248" पढ़ें । "3158" के स्थान पर "7158" पढ़ें;

पृष्ठ क्रमांक 1449 पर

पंक्ति 2 में "4686/8051" के स्थान पर "4696/8051" पढ़ें;

पंक्ति 4 में "4864/8077" के स्थान पर "4864/8087" पढ़ें;

पंक्ति 7 में "4902/8138" के स्थान पर "4902/8128" एवं "7729/8130" के स्थान पर "7789/8130" पढ़ें;

पंक्ति 20 में 3116/8380 के स्थान पर 3036/8380 पढ़ें;

पंक्ति 23 में 7474/8449 के स्थान पर 7484/8449 पढ़ें;

पंक्ति 26 में 4482/8510 के स्थान पर 4488/8510 पढ़ें;

ग्राम सोलडा (भाग) में अर्जित प्लाट संख्यांक में—

पंक्ति 1 में 4895 से 2912 के स्थान पर 4895 से 4912 पढ़ें;

पंक्ति 2 में "5101 से 5307" के स्थान पर "5101 से 5107" पढ़ें;

पंक्ति 4 में "5419 से 4527" के स्थान पर "5419 से 5427" पढ़ें;

पंक्ति 5 में "5117/6091 (भाग)" के स्थान पर "5117/6091 (भाग)" पढ़ें;

पंक्ति 6 में "5966/6147" के स्थान पर "5966 6137" पढ़ें;

पंक्ति 6 में "5966614 भम" के स्थान पर "5966/6140" पढ़ें;

पंक्ति 10 में 5139/6459 एवं 4985/6262 के स्थान पर क्रमशः 5139/6458 तथा 4985/6462 पढ़ें;

पंक्ति 11 में 4885/6458 के स्थान पर 4885/6468 पढ़ें;

ग्राम मझीका (संपूर्ण) में अर्जित प्लाट संख्यांक में—

पंक्ति 2 में 241/341 के स्थान पर 241/348 पढ़ें;

पंक्ति 2 में 34/35, 35/1 के स्थान पर 34/351 पढ़ें; 152/353 के स्थान पर 192/355 पढ़ें;

पृष्ठ 1450 पर—

पंक्ति 1 में 152/356 के स्थान पर 192/356 पढ़ें;

पंक्ति 3 में 126/483 के स्थान पर 126/383 पढ़ें;

पंक्ति 5 में 256/501, 257/403, 107/403, 313/44 के स्थान पर क्रमशः 256/401, 257/402, 107/403, तथा 313/404 पढ़ें;

पंक्ति 6 में 1/418 के स्थान पर 1/417 पढ़ें;

पंक्ति 7 में 205/430, 124/432 के स्थान पर 205/420, 124/422 पढ़ें;

पंक्ति 9 में 96/444 के स्थान पर 86/544 पढ़ें; 59/45 के स्थान पर 58/450 पढ़ें;

पंक्ति 10 में 21/458, 281/450 के स्थान पर 21/457 281/460 पढ़ें;

पंक्ति 11 में 334/367 के स्थान पर 334/467 पढ़ें;

पंक्ति 12 में 127/479 के स्थान पर 128/479 पढ़ें;

पंक्ति 14 में 128/503, 128/503, 128/506 128/500 के स्थान पर 128/503, 128/504, 128/505, 128/506 पढ़ें;

पंक्ति 15 में 128/518 के स्थान पर 128/516 पढ़ें;

पंक्ति 17 में 128/528, 128/528 के स्थान पर 128/527, 128/528 पढ़ें;

पंक्ति 18 में 128/538, 138/538 के स्थान पर 128/538 पढ़ें;

पंक्ति 19 में 1/554 के स्थान पर 124/554 पढ़ें;

पंक्ति 20 में 128/585 के स्थान पर 128/565 पढ़ें ।

ग्राम नाथगांव (संपूर्ण) में अर्जित प्लाट संख्यांक

पंक्ति 2; 3 में 240/272, 240/272 के स्थान 240/272, 248/273 पढ़ें;

पंक्ति 5 में 40/398 के स्थान पर 40/298 एवं 40/404 के स्थान पर 40/304 पढ़ें;

ग्राम ब्राह्मणबहाल (संपूर्ण) में अंकित प्लाट संख्यांक :

पंक्ति 2 में 898/1383 के स्थान पर 898/1333 पढ़ें;

पंक्ति 3 में 157/1338 के स्थान पर 157/1339 पढ़ें;

पंक्ति 3 में 234/1341 के स्थान पर 234/1344 पढ़ें;

पंक्ति 4 में 1060/1350 के स्थान पर 1060/1351 पढ़ें;

पंक्ति 5 में 3/1967 के स्थान पर 5/1362 पढ़ें;

पंक्ति 6 में 6/1668 के स्थान पर 6/1368 पढ़ें;

पंक्ति 6 में 25/1317, 1148/1376, 28/1372, 239/1733 के स्थान पर 25/1370, 1143/1371, 23/1372, 234/1373 पढ़ें;

पंक्ति 7 में 545/1379, 3271/1379 के स्थान पर 545/1378, 1271/1379 पढ़ें;

पंक्ति 10 में 1224/1402, 1276/1403 के स्थान पर 1224/1401, 1276/1402 पढ़ें;

पृष्ठ 1451 पर

ग्राम "बेथियालाली" के स्थान पर ग्राम "बेथियानाली" पढ़ें;

ग्राम "सलादा" के स्थान पर ग्राम "नलादा" पढ़ें;

ग्राम नलादा (भाग) में अंकित प्लाट संख्यांक में—

पंक्ति 5 में 1491/5009, 1491/5009 के स्थान पर 1491/5008, 1491/5009 पढ़ें;

पंक्ति 11 में 1253/5220 के स्थान पर 1253/5230 पढ़ें;

पंक्ति 13 में 1004/5389 के स्थान पर 1004/5399 पढ़ें;

पंक्ति 14 में 1465/5425 के स्थान पर 1466/5425 पढ़ें;

ग्राम "नकपासी" के स्थान पर ग्राम "नकैपासी" पढ़ें;

ग्राम प्रसन्न नगर (भाग) में अंकित प्लाट संख्यांक में—

पंक्ति 3 में 1180/1678 के स्थान पर 1180/1673 पढ़ें;

पृष्ठ 1452 पर—सीमा वर्णन में—

रेखा छ—ज—झ—ञ—ट—ठ—ड में—

पंक्ति 1 में "रेखा बेथियानाली और बनारा" के स्थान पर रेखा "बेथियानाली और बनारा" पढ़ें;

रेखा ड—ण—त—थ—द में—

पंक्ति 1 में "बामोल" के स्थान पर "दामोल" पढ़ें;

रेखा द—ध में—

पंक्ति 7 में बिंदु "ध" पर मिलती है के स्थान पर बिन्दु "ध" पर मिलती है, पढ़ें;

रेखा ध—ण—त—फ—ब के स्थान पर रेखा "ध-न-प-फ ब" पढ़ें;

रेखा ब—भ—म में—

पंक्ति 2 में 4969 के स्थान पर 4979 पढ़ें।

[सं. 43015/21/85—सी.ए./एल.एस.डब्लू.]
बी.बी. राव, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd November, 1989

S.O. 2907.—In the notification the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) S.O. No. 1199 dated the 10th May, 1989 published in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 20th May, 1989, at pages 1453 to 1455 :

at page 1453. in the Schedule, in table,

Serial No. 1, in column Village number, for "60" read "6" ;

in plot numbers acquired in village Kalamchuin (part),

in 10th line, for "7482/8111" read "7483/8111" and for "5905/8124" read "4905/8124".

in 12th line, for "2991/9184" read "2991/8184" ;

in 15th line, for "5239/5253, 7593/8257" read "5239/8253, 7598/8257" ;

at page 1454,

in 3rd line, for, "2941/4349" read "2941/8349" ;

in 5th line, for "7026/8364" read "7826/8364";

in 8th line, for "4888/8510" read "4488/8510" ;

in plot number acquired in village Solada (part),

in 1st line, for "4888 to 4887" read "4883 to 4887" ;

in 7th line, for "5139/6458" read "5139/6455" ;

in plot numbers acquired in village Birbarpur (part),

for "plot number, 11.11" read "plot number 111" ;

in plot number acquired in village Bethianali,

for "plot number acquired in village Bethia-nali" read "Plot number acquired in village Bethianali; (part)";
for "(Part). Plot number 108(P)" read "Plot number 108(P)" ;

at page 1455,

in plot numbers acquired in village Natada (part),

in 8th line, for "2165/5407" read "1265/5307";

in plot numbers acquired in village Damol (Full),

in 2nd line, for "172/271" read "172/231" ;

in plot numbers acquired in village Prasan Nagar (part),

in 3rd line, for "1657/1683" read "1557/1683".

[No. 43015/21/85-CA/LSWI]
B. B. RAO, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवंबर, 1989

का. आ. 2908.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1005 तारीख 6-5-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देदी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

मोटवान (जी सी. एस.) से जीजीएस.-2 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टयर आर से
1	2	3
तेलवा	106	00-08-58
	105	00-08-45
	104	00-19-14
	103	00-12-98
	102	00-21-32
	76	00-25-20
	83	00-07-76
	77	00-01-40
	49	00-18-82
	47	00-01-54
	48	00-07-42
	31	00-00-14
	34	00-05-20
	35	00-00-98
	36	00-19-80
	30	00-06-32
	26	00-12-74
	25	00-10-40
	22ए	00-20-43
	20	00-20-41
	19	00-07-54
	18	00-06-10
	13	00-04-30

[सं.ओ-11027/38/89-ओएनजी.डी.-III]

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 1st November, 1989

S.O. 2908.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1005 dated 6-5-1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commissions free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE : MOTWAN (G.C.S.) TO G.G.S.-2

State : Gujarat Distt. Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hec.	Are	Cent.
1	2	3	4	5
Telwa	106	00	08	58
	105	00	08	45
	104	00	19	14
	103	00	12	98

1	2	3	4	5
	102	00	21	32
	76	00	25	20
	53	00	07	76
	77	00	01	40
	49	00	18	82
	47	00	01	54
	48	00	07	42
	31	00	00	14
	34	00	05	20
	35	00	00	98
	36	00	19	80
	30	00	06	32
	26	00	12	74
	25	90	10	40
	22A	00	20	43
	20	00	20	41
	19	00	07	54
	18	00	06	10
	13	00	04	30

[No. O-11027/38/89-ONG. D.-III]

का. आ. 2909.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1286 तारीख 3-6-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

बी. एल. के. डी. (109) से बलोल ई.पी. एस.-II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
देलोली	790	0	07	68
	797	0	08	76
	798	0	09	72
	800	0	05	16
	कार्ट ट्रैक	0	00	72
	6/1	0	14	16
	7	0	06	48
	8	0	07	44
	93/1 एंड 2	0	09	36
	94/1	0	03	36
	94/2	0	04	20
	95/1	0	06	48

[सं. ओ-11027/43/89-ओएनजी.-डी.-III]

S.O. 2909.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1286 dated 3-6-1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM BLKD (109) TO BALOL EPS-II

State : Gujarat Distt. : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Deloli	790	0	07	68
	797	0	08	76
	798	0	09	72
	800	0	05	16
	Cart track	0	00	72
	6/1	0	14	16

1	2	3	4	5
	7	0	06	48
	8	0	07	44
	93/1 & 2	0	09	36
	94/1	0	03	36
	94/2	0	04	20
	95/1	0	06	48

[No. O—11027/43/89-ONG.-D. III]

का. आ. 2910 .—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1287 तारीख 3-6-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. ई. डब्ल्यू. से एस. डी टी. तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
रामपुरा	209	0	06	12
	184	0	07	56
	185	0	08	40
	186	0	16	80
	189	0	00	84
	186	0	04	20
	194	0	05	76
	193	0	09	96
	192	0	16	08

[सं. ओ.-11027/44/89-ओ एन. जी.-डी.-III)]

S.O. 2910.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1287 dated 3-6-1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competant Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commissions free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM SEW TO SDT

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Rampura	209	0	06	12
	184	0	07	56
	185	0	08	40
	186	0	16	80
	189	0	00	84
	186	0	04	20
	194	0	04	20
	193	0	09	96
	192	0	16	08

[No. O—11027/44/89-ONG. D.-III]

का. आ. 2911.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1288 तारीख 3-6-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. के बी. वी. से एम. के. जी. जी. एस. III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
कटोसन	644	0	06	72
	645	0	06	96
	647	0	07	20

[सं. ओ.-11027/45/89-ओएनजी-डी.-III]

S.O. 2911.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1288 dated 3-6-1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted the report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM NKBV TO NK GGS III

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Katosan	644	0	06	72
	645	0	06	96
	647	0	07	20

[No. O—11027/45/89-ONG. D.-III]

का. आ. 2912 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1283 तारीख 3-6-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार

में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त, रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एन.के.बी.बी. से एन.के.जी.जी.एस.-3 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : —गुजरात जिला : —व तालुका : —मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
धनपुरा	588/2	0	08	04
	589	0	08	76
	590	0	06	60
	591/2	0	04	80
	593/4	0	02	88
	591/1	0	02	76

[सं. ओ–11027/46/89–ओ एन जी डी-III]

S.O. 2912.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas S.O. No. 1283 dated 3-6-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1), of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM NKBV TO NK GGS III

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Dhanpura	588/2	0	08	04
	589	0	08	76
	590	0	06	60
	591/2	0	04	80
	591/4	0	02	88
	591/1	0	02	76

[No. O—11027/46/89-ONG.D.-III]

का.आ. 2913 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1280 तारीख 3-6-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप-लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एन.के.एच.एल. से एन.के.जी.आई. से एन.के.सी.टी. एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य —गुजरात जिला : —मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
सूरज	762/1	0	13	32
	762/3	0	11	28

[सं. ओ–11027/48/89–ओ एन जी डी-III]

S.O. 2913.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas S.O. No. 1280 dated 3-6-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM NKHL TO NKGI TO NK CTF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka: Kadi

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Saraj	762/1	0	13	32
	762/3	0	11	28

[No. O—11027/48/89-ONG.D.-III]

का.आ. 2914:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1229 तारीख 3-6-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

मोटवान (जी.सी.एस.) से जी.जी.एस.-2 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : —गुजरात जिला : —भरुच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
मोटवान	120	0	42	51
	119	0	03	64
	123	0	08	19

[सं. ओ-11027/52/89-ओ एन जी डी-III]

S.O. 2914.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 1279 dated 3-6-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM MOTWAN (GCS) TO GGS-2.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka: Ankleshwar

Village	Block No.	Hect-are	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Motwan	120	0	42	51
	119	0	03	64
	123	0	08	19

[No. O-11027/52/89-ONG. D.-III]

का.आ. 2915:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में चौकारी टी. पोइन्ट से उंदेरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

चोकारी टी. बिंदु से उन्देरा तक पाइप लाईन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : वडोदरा

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
अपाड	285	0	18	16
	278	0	00	96
	279	0	02	82
	284	0	08	02
	283	0	05	90
	292	0	00	84
	293	0	40	09
	कार्ट ट्रेक	0	01	20
	295	0	24	15
	255	0	03	54
	254	0	20	06
	298/बी	0	00	09
	304	0	02	24
	251	0	09	15
	306	0	12	14
	कार्ट ट्रेक	0	00	70
	307/ए	0	29	06
	246	0	02	24
	245	0	06	12
		0	01	00
	309	0	19	09
	कार्ट ट्रेक	0	01	40
	191	0	11	20
	190	0	17	16
	189	0	08	16
	194	0	02	87
	156	0	43	15
	188	0	25	15
	186	0	03	65
	185	0	18	30
	166	0	13	70
	165	0	11	00
	164	0	01	20
	129	0	10	38
	127	0	27	79
	125/ए	0	29	20
	122	0	29	50
	121	0	06	90

[सं. ओ-11027/119/89-ओ एन जी डी.-III]

S.O. 2915.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Chokari T. Point. to Undera in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM CHOKARI T. POINT TO UNDERA

State : Gujarat District & Taluka : Vadodara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Ampad	285	0	18	16
	278	0	00	96
	279	0	02	82

1	2	3	4	5
	284	0	08	02
	283	0	05	90
	292	0	00	84
	293	0	40	09
	Cart track	0	01	20
	295	0	24	15
	255	0	03	54
	254	0	20	06
	298/B	0	00	09
	304	0	02	24
	251	0	09	15
	306	0	12	14
	Cart track	0	00	70
	307/A	0	29	06
	246	0	02	24
	245	0	06	12
	Cart track	0	01	00
	309	0	19	09
	Cart track	0	01	40
	191	0	11	20
	190	0	17	16
	189	0	08	16
	194	0	02	87
	156	0	43	15
	188	0	25	15
	186	0	03	65
	185	0	18	30
	166	0	13	70
	165	0	11	00
	164	0	01	20
	129	0	10	38
	127	0	27	79
	125/A	0	29	20
	122	0	27	50
	121	0	06	90

[No. O-11027/117/89-ONG D. III]

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1989

का. आ. 2916.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

इ. पी. एस गंधार से जी. एन. एफ. सी. तक पाईप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य :—गुजरात जिला :—भरूच तालुका : वागरा

गांव	ब्लाक न.	हे.	आर.	सेन्टी
सलाडश	214	0	00	60
	215	0	12	20
	217	0	03	00
	218	0	48	00
	226	0	01	75

[स. ओ-11027/120/89-ओ.एम. जी. डी.-III]

S.O. 2916.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS. Gandhur to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Saladara	214	0	00	60
	215	0	12	20
	217	0	03	00
	218	0	48	00
	226	0	01	75

[No. O-11027/120/89-ONG. D. III]

का. आ. 2917.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ई पी एस गंधार से जी. एन. एफ. सी. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड़, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ई पी एस गंधार से जी. एन. एफ सी. तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला और तालुका :—भरूच

गांव	ब्लॉक न.	हे.	आर.	सेन्टी
वडदला	69	0	04	62
	71	0	16	70
	72	0	03	20

[स. ओ–11027/121/89 ओ. एन. जी. डी.-III]

S.O. 2917.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS-Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
Vadadala	69	0	04	62
	71	0	16	70
	72	0	03	20

[No. O 11027/121/89-ONG.D.III]

का. आ. 2918.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ई. पी. एस. गंधार से जी. एन. एफ. सी. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड़, बड़ौदा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ई पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला—भरूच तालुका :—वागरा

गांव	ब्लॉक न.	हे.	आर	सेन्टी.
गंधार	322/ए-बी	01	64	00

[सं. ओ–11027/122/89–ओ. एन. जी. डी.-III]

S.O. 2918.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS-Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-are
Gandhar	322/A-B	01	64	.00

[No. O-11027/122/89-ONG.D.III]

का. आ. 2919.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इपी एस गंधार से जी. एन. एफ. सी. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहते हैं कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी. एन. एफ. सी. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला :—भरूच तालुका :—वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेन्टी
1	2	3	4	5
आंकोड	46	0	30	53
	48	0	10	30
	47	0	06	30
	41	0	27	74
	38	0	28	30
	34	0	07	15
	35	0	24	40
	33	0	32	00
	31	0	28	00
	29	0	30	00
	28	0	45	90
	17	0	40	00
	16	0	15	70
	10	0	14	20
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	213	0	46	00
	216	0	13	70
	226	0	08	75
	225	0	06	25
	224/ऐ-बी	0	06	30
	227	0	03	60
	228	0	01	37
	229	0	11	50
	222	0	02	62
	230	0	10	20
	कार्ट ट्रेक	0	06	60
	176	0	14	00
	177	0	12	60
	178/ऐ-बी	0	10	30
	179	0	15	90
	181	0	31	50
	182	0	02	25
	183	0	22	40
	171	0	02	80
	170	0	46	50
	165	0	28	40
	167	0	07	50
	166	0	14	30
	157	0	39	10
	156	0	22	50

[सं. ओ-11027/123/89-ओ. एन. जी. डी. III]

S.O. 2919.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS-Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Ankod	46	0	30	58
	48	0	10	30
	47	0	06	30
	41	0	27	74
	38	0	28	30
	34	0	07	15
	35	0	24	40
	33	0	32	00
	31	0	28	00
	29	0	30	00
	28	0	45	90
	17	0	40	00
	18	0	15	70
	10	0	14	20
	Cart track	0	06	00
	213	0	46	00
	216	0	13	70
	226	0	08	75
	225	0	06	25
	224/A-B	0	06	30
	227	0	03	60
	228	0	01	37
	229	0	11	50
	222	0	02	62
	230	0	10	20
	Cart track	0	06	60
	176	0	14	00
	177	0	12	60
	178/A-B	0	10	30
	179	0	15	90
	181	0	31	50
	182	0	62	25
	183	0	22	40
	171	0	02	80
	170	0	46	50
	165	0	29	40
	167	0	07	50
	166	0	14	30
	157	0	39	10
	156	0	22	50

[No. O-11027/123/89-ONG.D.III]

का. आ. 2920.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इ. पी. एस. गंधार से जी. एन. एफ. सी. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी. एन. एफ. सी. तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला :—भरूच तालुका वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सन्टी०
1	2	3	4	5
पहाज	492	0	07	60
	490	0	26	40
	488	0	14	10
	487	0	10	00
	486	0	07	00
	485	0	12	00
	480	0	16	87

1	2	3	4	5
	478	0	46	53
	477	0	29	20
	451	0	06	50
	452/ऐ + बी	0	32	10
	453	0	10	50
	443	0	32	40
	441	0	11	60
	440	0	10	00
	425	0	00	75
	426	0	32	15
	421	0	16	60
	392	0	11	50
	393	0	03	80
	394	0	08	60
	396	0	24	00
	401	0	37	20
	412	0	06	40
	405	0	07	80
	406	0	18	24
	404	0	01	32
	कार्ट ट्रैक	0	15	20
	357	0	47	00
	747	0	16	80
	746	0	31	90
	744	0	67	00
	719	0	11	80
	718	0	48	20
	717	0	11	80
	कार्ट ट्रैक	0	12	52
	28	0	65	60
	37	0	21	04
	35	0	10	83
	34	0	16	30
	32	0	04	10
	33	0	28	20

[सं. ओ-11027/124/89-ओ. एन. जी. डी.-III]

S.O. 2920.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS Gandhar to ONFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person, interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Pahaj	492	0	07	60
	490	0	26	40
	488	0	14	10
	487	0	10	00
	486	0	07	00
	485	0	12	00
	480	0	16	87
	478	0	46	53
	477	0	29	20
	471	0	06	50
	452/A+B	0	32	10
	453	0	10	50
	443	0	32	40
	441	0	11	60
	440	0	10	00
	425	0	00	75
	426	0	32	15
	421	0	16	60
	392	0	11	50
	393	0	03	80
	394	0	08	60
	396	0	24	00
	401	0	37	20
	412	0	06	40
	405	0	07	80
	406	0	18	24
	404	0	01	32
	Cart track	0	15	20
	357	0	47	00
	747	0	16	80
	746	0	31	90
	744	0	67	00
	719	0	11	30
	718	0	48	20
	717	0	11	80
	Cart track	0	12	51
	28	0	65	60
	37	0	21	04
	35	0	10	83
	34	0	16	30
	32	0	04	10
	33	0	28	20

[No. O-12027/124/89-ONG.D.III]

का.आ. 2921.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इपी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

इपीएस गंधार से जी.एन.एफ.सी तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा

गांव	ब्लाक नं.	ऐ.	आर	सेन्टी
1	2	3	4	5
साचण	252	0	10	00
	255/बी	0	07	50
	255/ए	0	13	20
	256	0	18	00
	257	0	00	16
	287/बी	0	07	20
	287/ए	0	10	42
	260	0	21	30
	288	0	06	14
	266/ए	0	20	30
	266/बी	0	03	20
	268	0	09	45
	267	0	16	40
	270	0	37	62
	कार्ट ट्रेक	0	08	00
	243/ए	0	25	30
	242/ए	0	29	40
	कार्ट ट्रेक	0	05	00
	218	0	26	00
	219	0	14	70
	222	0	00	16
	111	0	09	00
	70	0	08	75
	311	0	13	70
	221/ए	0	05	15
	225	0	18	00
	226	0	15	00

[सं. ओ-11027/125/89-ओ एन जी डी-III]

S.O. 2921.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tlare
1	2	3	4	5
Sachan	252	0	10	00
	255/B	0	07	50
	255/A	0	03	20
	256	0	18	00
	257	0	00	16
	287/B	0	07	20
	287/A	0	10	42
	260	0	21	30
	288	0	06	14
	266/A	0	20	30
	266/B	0	03	20
	268	0	09	45
	267	0	16	40
	270	0	37	62
	Cart track	0	08	00
	243/A	0	25	30
	242/A	0	27	40
	Cart track	0	05	00
	218	0	26	00
	219	0	14	70
	222	0	00	16
	111	0	09	00

1	2	3	4	5
	70	0	08	75
	311	0	13	70
	221/A	0	05	15
	225	0	18	00
	226	0	15	00

[No. O-11027/125/89-ONG.D.III]

का.आ. 2922.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला एवं तालुका : भरूच

गांव	ब्लोक नं.	हे.	आर०	सेन्टी०
1	2	3	4	5
कासद	92/ए-बी	0	27	30
	93	0	15	28
	91	0	15	10
	95	0	07	40
	88	0	07	17
	87	0	13	68
	102/ए/बी/सी/डी	0	11	60
	84	0	28	00
	78	0	00	35
	82	0	25	10
	81	0	17	00
	113	0	35	80
	71	0	26	00
	128	0	16	90
	127	0	29	65
	131	0	02	10
	132	0	12	35
	56	0	19	90
	कार्ट ट्रेक	0	08	50
	55	0	19	70
	11	0	23	80
	13	0	23	10
	15	0	29	48
	14	0	01	44
	20	0	07	80
	22	0	08	80
	21/ए-बी	0	09	02
	23	0	23	25
	26	0	21	60
	27	0	05	50
	कार्ट ट्रेक	0	05	85
	498/ए-बी	0	10	60
	495	0	01	10
	520	0	11	20
	496	0	24	00
	491	0	00	20
	490	0	04	30
	489	0	32	00
	कार्ट ट्रेक	0	06	80

[सं. ओ-11027/126/89-ओएनजी-डी-III]

S.O. 2922.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat District & Taluak : Bharuch

Village	Block No.	Hec-tate	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Kasad	92/A-B	0	27	30
	93	0	15	28
	91	0	15	10
	95	0	07	40
	88	0	07	17
	87	0	13	68
	102/A/B/C/D	0	11	60
	84	0	28	00
	78	0	00	35
	82	0	25	10
	81	0	17	00
	113	0	35	80
	71	0	26	00
	128	0	16	90
	127	0	29	65
	131	0	02	16
	132	0	12	35
	56	0	19	90
	Cart track	0	08	50
	55	0	19	70
	11	0	23	80
	13	0	23	10
	15	0	29	48
	14	0	01	44
	20	0	07	80
	22	0	08	60
	21/A-B	0	09	02
	23	0	23	25
	26	0	21	60
	27	0	05	50
	Cart track	0	05	85
	498/A-B	0	10	60
	495	0	01	10
	520	0	11	20
	496	0	24	00
	491	0	00	20
	490	0	04	30
	489	0	32	00
	Cart track	0	06	80

[No. O-11027/126/89-ONG.D.III]

का.आ. 2923.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इ पी. एस. गंधार से जी.एन.एफ.सी. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (2962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी. एन.एफ.सी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : भरूच

गांव	ब्लाक नं.	हे०	आर०	सेन्टी०
रहाडपोर	56	0	46	95
	54/पी	0	10	20
	48	0	08	48
	47	0	08	25
	44/पी/2/1	0	40	10
	46	0	02	05
	45	0	11	10
	28	0	10	20
	29/1/2	0	00	40
	27	0	08	95

[सं. ओ-11027/127/89-ओएनजीडी-III]

S.O. 2923.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Rahadpur	56	0	46	95
	54/P	0	10	20
	48	0	08	48
	47	0	08	25
	44/P/2/1	0	40	10
	46	0	02	05
	45	0	11	10
	28	0	10	20
	29/1/2	0	00	40
	27	0	08	95

[No. O-11027/127/89-ONG.D.III]

का.आ. 2924.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इ. पी. एस. गंधार से. जी. एन.एफ. सी.तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : भरूच

गांव	ब्लाक नं.	से.	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
नंदेवार	104	0	02	62
	108	0	04	20
	109	0	06	20
	110/ए/बी/सी/डी/ई	0	05	44
	111	0	05	74
	112	0	06	12
	113	0	07	14

[सं० ओ-11027/128/89-ओएन जी-डी-III]

S.O. 2924.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Nandewar	104	0	02	62
	108	0	04	20
	109	0	06	20
	110/A/B/C/D/E	0	05	44
	111	0	05	74
	112	0	06	12
	113	0	07	14

[No. O-11027/128/89-ONG.D.III]

का. आ. 2925.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962

का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों केभीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी.एन.एफ.सी. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्यः गुजरात; जिल्लाः भरुच; तालुकाः वागरा

गांव	ब्लाक न.	हे.	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
चांचवेल	1175	0	22	20
	1174	0	05	20
	1176	0	19	80
	1177	0	28	10
	1169	0	17	60
	1170	0	16	40
	931	0	03	20
	930	0	01	33
	933	0	44	50
	928	0	03	84
	754	0	22	44
	753	0	90	10
	752	0	10	13
	677	0	03	30
	678	0	43	00
	680	0	00	17
	676/ए+बी	0	30	03
	684	0	11	00
	686	0	25	70
	683	0	02	70
	687	0	11	88
	636	0	16	24
	635	0	18	01
	634	0	10	16
	640	0	38	80
	641	0	23	82
	517	0	11	98
	507	0	02	75
	516	0	10	25
	515	0	26	40
	511	0	20	20
	463	0	16	80
	461/ए+बी	0	13	00
	472	0	08	00
	474	0	31	80
	405	0	54	30
	कार्ड ट्रेक	0	03	60
	398	0	27	00
	396	0	00	20
	397	0	11	80
	391	0	03	15
	1328	0	05	65
	1327	0	22	40
	1326	0	39	20
	390	0	11	00
	389	0	26	60
	282	4	12	80
	284	1	99	40

[सं. ओ-11027/129/89-ओ एन जी डी-III)]

S.O. 2925.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIEPLINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Chanchwel	1175	0	22	20
	1174	0	05	20

1	2	3	4	5
	1176	0	19	8
	1177	0	28	10
	1169	0	17	60
	1170	0	16	40
	931	0	03	20
	930	0	01	33
	933	0	44	50
	928	0	03	84
	754	0	22	40
	753	0	90	10
	752	0	10	13
	677	0	03	30
	678	0	43	00
	680	0	00	17
	676/A+B	0	30	03
	684	0	11	00
	686		25	70
	683	0	02	70
	687	0	11	88
	636	0	16	24
	635	0	18	01
	634	0	10	16
	640	0	38	80
	641	0	23	82
	517	0	11	98
	507	0	02	75
	516	0	10	25
	515	0	26	40
	511	0	20	20
	463	0	16	80
	461/A+B	0	13	00
	472	0	08	00
	474	0	31	80
	405	0	54	30
	Cart track	0	03	60
	398	0	27	00
	396	0	00	20
	397	0	11	80
	391	0	03	15
	1328	0	05	65
	1327	0	22	40
	1326	0	39	20
	390	0	11	00
	389	0	26	60
	282	4	12	80
	284	1	99	40

[No. O-11027/129/89-ONG D.III]

का.आ. 2926.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ई पी एस गंधार से जी.एन.एफ.सी. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ई पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—तालुक भरूच

1	2	3	4	5
देरोल	419	0	04	02
	420	0	45	58
	77	0	23	30
	423	0	10	50
	425	0	25	90
	455	0	45	90
	452	0	18	98
	450	0	23	10
	451	0	08	20
	449	0	14	90
	कार्ट ट्रेक	0	06	60
	584	0	11	90
	586	0	54	25
	587	0	01	05
	589	0	72	79
	576	0	00	56
	573	0	32	40
	कार्ट ट्रेक	0	04	40
	550	0	44	50
	536	0	09	00
	525	0	15	40
	528	0	15	90
	526	0	06	36
	527	0	18	80
	519	0	06	60
	518	0	05	20
	कार्ट ट्रेक	0	04	00
	50/बी-ए	0	17	00
	60/बी-ए	0	39	70

1	2	3	4	5
	62	0	23	90
	63	0	58	20
	64	0	11	00

[सं. ओ-11027/130/89-ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 2926.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIEPLINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Derol	419	0	04	02
	420	0	45	58
	77	0	23	30
	423	0	10	50
	425	0	25	90
	455	0	45	90
	452	0	18	98
	450	0	23	10
	451	0	08	20
	449	0	14	90
	Cart track	0	06	60
	584	0	11	90
	586	0	54	25
	587	0	01	05
	589	0	72	79
	576	0	00	56
	573	0	32	40
	Cart track	0	04	40
	550	0	44	50
	536	0	09	00
	525	0	15	40
	528	0	15	90
	526	0	06	36
	527	0	18	80
	519	0	06	60
	518	0	05	20
	Carttrack	0	04	00
	50/B-A	0	17	00
	60/B-A	0	39	70
	62	0	23	90
	63	0	58	20
	64	0	11	00

[No. O-11027/130/89-ONG. D.III

का.आ. 2927—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत है है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ई पी एस गंधार से जी.एन एफ सी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिठाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुपूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ई पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाईप लाईन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा

गांव	ब्लोक नं.	हे.	आर.	सेन्टी
1	2	3	4	5
अरगामा	219	0	28	40
	225	0	00	48
	226	0	08	20
	234	0	10	90
	227	0	03	70
	228	0	20	00
	233	0	42	90
	237	0	19	95
	240	0	28	08
	241	0	00	38
	239	0	09	30
	242	0	12	00
	207	0	01	68
	243	0	10	65
	244	0	07	48

1	2	3	4	5
	246	0	12	80
	248	0	10	60
	249	0	11	00
	252	0	07	40
	253	0	04	28
	254	0	16	70
	257	0	14	70
	258	0	07	40
	कार्ट ट्रेक	0	13	60
	58	0	03	85
	57	0	06	80
	कार्ट ट्रेक	0	03	40
	2	0	41	00
	3	0	08	00
	4	0	09	20
	5	0	06	92
	7	0	04	80
	8	0	01	57
	9	0	17	50

[स. ओ-11027/131/89-ओ एन जी डी-III]

S.O. 2927.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vegaa

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Argama	219	0	28	40
	225	0	00	48
	226	0	08	20
	234	0	10	90
	227	0	03	70
	228	0	20	00
	233	0	42	90
	237	0	19	95
	240	0	28	08
	241	0	00	38
	239	0	09	30
	242	0	12	00
	207	0	01	68
	243	0	10	65
	244	0	07	48
	246	0	12	80
	248	0	10	60
	249	0	11	00
	252	0	07	40
	253	0	04	28
	254	0	16	70
	257	0	14	70
	258	0	07	40
	Carttrack	0	13	60
	58	0	03	85
	57	0	06	80
	Carttrack	0	03	40
	2	0	41	00
	3	0	08	00
	4	0	09	20
	5	0	06	92
	7	0	04	80
	8	0	01	57
	9	0	17	50

[No. O-11027/131/89-ONG.D.III]

का.आ. 2928—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ईपीएस गंधार से जीएनएफसी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन, अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बडौदा-9, को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ई पी ए स गंधार से जी एन एफ सी तक पाईप लाईन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : भरुच

गांव	ब्लाक न.	है.	आर.	सेंटी
दयादरा	106	0	06	00
	104	0	04	62
	103	0	08	10
	102	0	01	57
	100	0	12	30
	101	0	14	40
	93	0	40	40
	90	0	16	40
	89	0	16	70
	87	0	00	20
	86	0	23	00
	77	0	13	40
	78	0	07	40
	79	0	05	60
	80	0	09	10
	71	0	10	10
	70	0	03	15
	60	0	24	40
	61	0	07	80

[सं. ओ-11027/132/89-ओ एन जी डी-III]

के. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

S.O. 2928.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat Distric : Bharuch Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Dayadara	106	0	06	00
	104	0	04	62
	103	0	08	10
	102	0	01	57
	100	0	12	30
	101	0	14	40
	93	0	40	40
	90	0	16	40
	89	0	16	70
	87	0	00	20
	86	0	23	00
	77	0	13	40
	78	0	07	40
	79	0	05	60
	80	0	09	10
	71	0	10	10
	70	0	03	15
	60	0	24	40
	61	0	07	80

[No. O-11027/132/89-ONGD-III]

K. VIVEKANAND, Desk Officer

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर 1989

का.आ. 2929.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अकोला के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करता है।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th October, 1989

S.O. 2929.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Employees State Insurance Corporation, Akola and their workmen.

ANNEXURE

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

Case No. CGIT-LC(R)(21)/89

PARTIES :

Employers in relation to the management of Employees State Insurance Corporation, Akola and their workmen Shri Dattatraya Shankarrao Dawande, Peon Akola (M.S.)

APPEARANCES :

For Workmen—Shri Dattatraya Shankarrao Dawande, Workman.

For Management.—Shri J. D. Barhate, Insurance Inspector (Legal)

INDUSTRY : Insurance DISTRICT : Akola (Maharashtra)

AWARD

Dated, the 20th March, 1989

By Notification No. L-15012/10/87-D.II (B)/D.III (B) dated the 18th January, 1989 the Central Government in the Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of the Employees State Insurance Corporation, Akola in terminating the services of Shri Dattatraya Shankarrao Dawande, Peon w.e.f. 26-9-1984 was justified. If not, what relief the workman is entitled to ?"

2. The statement of claim on behalf of the workman has been received by post on 7-2-1989, and the date was fixed for filing the statement of claim by the management on 30-3-1989. On 9-3-1989 the workman appears personally and files an application that he is not interested in continuing the proceedings and prayed that the case be closed. In view of the above application I have no alternative but to give a "No Dispute" award.

No order as to cost.

V. S. YADAV, Presiding Officer
[No. L-15012/10/87-D.II (B)/D.III (B)]

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1989

का.आ. 2930.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मै. कार्बोरेण्डम यूनिवर्सल लि., ओखा के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण अहमदाबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 23-10-89 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 24th October, 1989

S.O. 2930.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Carborandum Universal Ltd., Okha and their workmen, which was received by the Central Government on 23-10-1989.

ANNEXURE

BEFORE SHRI G. S. BAROT, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 27 of 1987

ADJUDICATION

BETWEEN

Carborundum Universal Ltd., Okha.

AND

Their workmen.

In the termination of services of Shri A. K. Arya, Geologist.

APPEARANCES :

Shri M. J. Sheth, Advocate—for the employer ; and
Shri H. L. Raval, Advocate—for the employee.

AWARD

The industrial dispute between Carborundum Universal Ltd. Okha and their workmen has been referred for adjudication to me u/s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, by Government of India, Ministry of Labour New Delhi, Order No. L-29012/15/86-D.III (B) dated 8-4-87 in respect of the termination of services of Shri A. K. Arya, Geologist.

2. Both the parties have filed their respective statements and documents. For some time past the matter was being adjourned as the parties were negotiating a settlement, and I am glad the parties have arrived at a settlement and they have filed a settlement, Ex. 22, requesting the Court to pass an award in terms of the said settlement. The settlement is presented in person and bears signature of all the concerned parties. I have gone through the settlement and I find the some to be just and reasonable. I, therefore, make this award in terms of the said settlement, Ex. 22, which shall form part of this award.

Ahmedabad,
Dated : 15-9-1989.

G. S. BAROT, Presiding Officer
[No. L-29012/15/86-D.III (B)]

BEFORE SHRI G. S. BAROT, HON. INDUSTRIAL TRIBUNAL AT AHMEDABAD

Ref. (ITC) No. 27/87

BETWEEN

Carborundum Universal Ltd.

AND

Shri A. K. Arya.

The parties have arrived at an amicable settlement and submit that an award in terms hereof may please be passed :—

(1) That Shri A. K. Arya, the workman concerned in the present reference forgoes the claim of reinstatement against the company and as such the relief regarding reinstatement is not pressed.

(2) That the Company will pay to Shri A. K. Arya, the wages for the intervening period i.e. from the date of termination i.e. from 1-12-85 to 15-9-89 as under :—

(a) From 1-12-85 to 31-12-85 Rs. 1050.00
(b) from 1-1-86 to 31-12-86 Rs. 12600.
(c) from 1-1-87 to 31-12-87 Rs. 12600.
(d) from 1-1-87 to 31-12-88 Rs. 12600.
(e) from 1-1-89 to 15-9-89 Rs. 8925.

Total Rs. 47775
Salary Rs. 48,000

Thus Shri A. K. Arya will be given Rs. 48,000 (Rupees Forty eight thousand) only in full and final settlement of all his claim involved in the present reference. Out of Rs. 48000, a cheque of Rs. 7500 will be drawn in the name of Shri H .L. Reval Advocate.

(3) The aforesaid amount will be given to Shri Arya within one month from the date hereof.

(4) The Company will pay Rs. 3000 (Rupees Three Thousand) as and by way of legal costs to Shri A. K. Arya.

Ahmedabad,
Dated : 15-9-1989.
Presented in Persoa,
Recorded
Sd/- Illegible
Second Party workman
of Plant
for the Workman
(R. RAMAKRISHNAN)
(Plant Manager)

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1989

का.आ. 2931.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मै. जयपुर मिनरल डेवलपमेंट सिन्डीकेट प्रा.लि., जयपुर के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच

अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करता है जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-89 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 27th October, 1989

S.O. 2931.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industiral Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Jaipur Mineral Development Syndicate (P) Ltd., Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 25-10-1989.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई. टी. 40/84

केन्द्रीय सरकार, श्रम तथा नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या एल. 29011/21/82-डी. III बी. दिनांक 28-2-84

गोलचा ग्रुप इण्डस्ट्रीज एम्पलाईज यूनियन, डगोटा शाखा—यूनियन पक्ष

बनाम

जयपुर मिनरल डेवलपमेंट सिन्डीकेट प्रा. लि. जयपुर—नियोजक पक्ष

उपस्थिति—

यनियन पक्ष की ओर से : श्री जे.के. अग्रवाल

नियोजक पक्ष की ओर से: श्री आर.के. काला

दिनांक अवार्ड: 5-1-89

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय के डैस्क आफिसर ने उनकी अधिसूचना संख्या एल-29011/21/82-डी.III बी. दिनांक 28-2-84 द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया है:

"Whether the following demands of the Golcha Group of Industries Employees' Union Central Office, Vijaya Garden, Tonk Phatak, Jaipur in relation to the workers Employed in Dagota Soap Stone Mines of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. are justified ? If not, what other reliefs are they entitled ?

(A) Shri Ram Karan S/o Ramdhan who was medically declared unfit and recommended for light job should be made permanent regular and paid due wages in the water hut job of the mines where he has been working for the last about one year.

(B) Restoring the underground allowance to the workers at Rs. 15 per month as per settlement dated 19-6-80 w.e.f. 1-4-82."

2. उक्त रेफरेन्स को इस न्यायाधिकरण में दिनांक 3-3-84 को पंजीकृत किया गया और उभय पक्षकारान को नोटिस जरिए पंजीकृत डाक किए गए। महामंत्री, गोलचा ग्रुप आफ इण्डस्ट्रियल एम्पलाईज यूनियन, टौंक फाटक, जयपुर द्वारा निम्न स्टेटमेन्ट आफ क्लेम प्रस्तुत किया गया।

3. यह कि जो विवाद इस न्यायाधिकरण को निर्देशित किया गया है उक्त विवाद के सम्बन्ध में रामचरण से सम्बन्धित विवाद आपसी तौर पर फैसला हो चुका है। विवाद के संबंध में आगे व्यक्त किया कि डागोटा सोप स्टोन खान मे काम करने वाले वर्कर्स के ग्रेप विवाद के सम्बन्ध में यह व्यक्त किया गया कि कर्मकार 19-6-80 को प्रबन्धकों के साथ हुए सैटलमैन्ट के अनुसार 15 रुपये फालतू माईन्स के नीचे काम करने के प्राप्त कर रहे थे। विपक्षी नियोजक ने दिनांक 1-4-82 से इस 15 रुपए की राशि को देना बन्द कर दिया जिसके सम्बन्ध में आगे यह भी लिखा कि प्रबन्धक तंत्र एकतरफा तौर पर इस दिये गए लाभ को वापिस नहीं ले सकते। इस बारे में यह भी व्यक्त कया कि इस 15 रुपये की राशि की अदायगी के सम्बन्ध में कर्मकारों से पूर्व में हुए समझौते को एक पक्षीय तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता था और यदि किसी प्रकार से इस समझौते को समाप्त भी कर सकते थे तो भी जब तक दूसरा समझौता नहीं होता उस समय तक इस दिए हुए लाभ को समाप्त नहीं कर सकते थे। प्रबन्धकगण का यह आदेश अवैध एवं अनुचित था इस लिए खानों के नीचे काम करने वाले मजदूर नोटिस देने के पश्चात मई 1982 से हड़ताल पर चले गए और जो हड़ताल सितम्बर 1982 तक चली और जब यूनियन को यह बताया गया कि केन्द्रीय सरकार इस विवाद को इस न्यायाधिकरण को निर्देशित कर रही है, उस समय वह हड़ताल समाप्त की गई। हड़ताल के सम्बन्ध में यह व्यक्त किया गया कि हड़ताल पूर्णरूपेण शान्तिपूर्ण और नियमति ढंग से चलती रही। अन्त में यह प्रार्थना की कि यह न्यायाधिकरण प्रबन्धकगण को यह आदेश दे कि वे 15 रुपये की राशि पीछे से जमा हुई को कर्मकारों को देवें और हड़ताल के दौरान का पूरा वेतन भत्ता भी दिलाएं।

4. इस स्टेटमेंट आफ क्लेम का जवाब विपक्षी मिनरल डेवलपमेंट सिन्डीकेट प्रा.लि. की ओर से उनके अधिवक्ता श्री आर. के. काला और श्री पी. एल. अग्रवाल ने निम्न प्रकार से पेश किया:

5. यह कि प्रार्थी यूनियन एक पंजीकृत यूनियन नहीं है और इनको कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का कानूनी अधिकार नहीं है और इस विवाद को निर्देशित करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं करवाया गया है। आगे यह ऐतराज लिया कि 15 रुपये फालतू दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19-6-80 या किसी अन्य तारीख को पूर्व में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। यह भी यदि स्वीकार किया जावे कि ऐसा कोई समझौता हुआ तो उसको कार्यान्वित कराने के लिए धारा 33(सी)(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उसे देय राशि की वसूली नियोजक से करनी चाहिए थी न कि धारा 10(5) के तहत रेफरेन्स करा कर वसूल करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार पूर्व में हुए समझौतों के अनुसार कोई देय राशि न देना औद्योगिक विवाद की परिभाषा में नही आता है। इसलिए भी यह रेफरेन्स चलने योग्य नही है। अप्रार्थी नियोजक की ओर से 25-3-87 को स्टेटमैन्ट आफ क्लेम का विस्तृत जवाब गुणावगुण के आधार पर प्रस्तुत किया जिसके द्वारा प्रार्थी यूनियन के क्लेम को पूर्ण-

रूपेण नकारा। और अन्त में यह प्रार्थना की कि इस विवाद के सम्बन्ध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जावे।

6. विवाद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज आदि यूनियन की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गए और दिनांक 29-9-87 को श्री हीरा सिंह महासचिव, गोलछा ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज एम्पलाईज यूनियन, जयपुर जिन्होंने कि स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत किया था, उसे स्टेटमेंट आफ क्लेम में वर्णित मांगों के बारे में कोई विवाद आगे नहीं लगाना चाहा और प्रार्थना की कि नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जावे।

7. चूंकि रेफरेन्स में पहली डिमाण्ड रामकरण कर्मकार के बारे में कोई विवाद नहीं रहा था और स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत करने से पूर्व ही बाहमी समझौते के द्वारा उसके बारे विवाद समाप्त हो गया था अब प्रार्थी यूनियन के महासचिव ने दूसरी डिमाण्ड के सम्बन्ध में भी कोई विवाद शेष न रहना जाहिर किया है और इस सम्बन्ध में प्रार्थी यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जे.के. अग्रवाल ने एक बार यह स्वीकार किया है कि कोई विवाद शेष नहीं है नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया जावे। इसलिए मौजूदा रेफरेन्स के सम्बन्ध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार को पंचाट की प्रतिलिपि अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जावे।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल-29011/21/82-डी 3 (बी)]

का.आ. 2932.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मै. राजस्थान स्टेट माईंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-89 को प्राप्त हुआ है।

S.O. 2932.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Rajasthan State Mines and Minerals Ltd., Udaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 25-10-1989.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर (कैम्प उदयपुर)

उपस्थिति : माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव (आर. एच. जे. एस.)

केस नं. सी.आई.टी. : 21/85

मध्य

महाप्रबंधक राजस्थान स्टेट माईंस एंड मिनरल्स लिमिटेड कर्मचारी संघ निकट रामचन्द्र की धर्मशाला उदयपुर।

बनाम

महाप्रबंधक निदेशक मेसर्स राजस्थान स्टेट माईंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, 10 पोलो ग्राउण्ड, सहेली मार्ग, उदयपुर।

रेफरेंस : अन्तर्गत धारा 10(1) (बी) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1972,

उपस्थित : 1. श्री जे.एल. शाह श्रमिक प्रार्थी यूनियन उप.

2. श्री पी. एन. माथुर उपस्थित।

अवार्ड

श्रम मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव, ने उनकी आदेश संख्या एल-29812 (51)/84-डी III (बी) दिनांक 26-4-85 उसे निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10(1) (डी) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जाएगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को भेजा है।

"Whether the action of the management of M/s. R.S.M.M. Ltd. Udaipur is not giving promotion of Shri Govind Kuhawat, Auto Electrician to the post of Senior Auto Electrician (from the date his juniors S/Shri Mabool Khan and Yasin Khan were promoted) is justified ? If not, to what relief the workman entitled for."

बाद प्राप्ती निदेशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया। वह उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। महासचिव आर.एस.एम. एम. कर्मचारी संघ ने प्रार्थी श्रमिक गोविंद कुमावत के संबंध में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत किया कि श्री गोविंद कुमावत को 13-8-74 को ऑटो इलेक्ट्रिशियन फिटर के पद पर झामरकोटला माइंस में नियुक्त किया गया था तब से वह ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्य कर रहा है। जब आर.एस.एम.एम. कर्मचारी संघ का वाईस प्रेसीडेंट बना इस संघ के बनने के प्रबंधतंत्र ने पसन्द नहीं किया और दूसरी यूनियन के सुभाव पर इस नये उत्पन्न हुए। संघ पदाधिकारियों को तंग व विक्टीमाईज किया जाने लगा। चूंकि प्रार्थी श्रमिक गोविंद कुमावत कर्मकारों के हितलाभ को पिलिड करता था इस कारण से उसे एक झूठे फोजदारी प्रकरण में फंसाया गया और उसके पश्चात् उसे 5-12-79 के आदेश के द्वारा बीकानेर तकनिकी दफ्तर में अवैध व मनमाने तरीके से भेज दिया गया।

चूंकि गोविंद कुमावत प्रारम्भ से ही ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कार्य कर रहा था और उसको सेवा सुविधा में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि वह ऑटो इलेक्ट्रिशियन के अलावा दूसरा काम करेगा। कंपनी के बीकानेर दफ्तर में कोई चिट्ठी उठाने वाली मशीन व वाहन नहीं था इसलिए उसी सेवाएं बीकानेर में प्रयोग में नहीं ली जा सकती थीं इस पर संघ ने विवाद उत्पन्न किया। जिसमें असफल वार्ता होने पर न्यायाधिकरण को 31-8-89 को रेफरेंस किया गया, उसके पश्चात् विपक्षी प्रबन्धतंत्र ने प्रार्थी श्रमिक गोविंद कुमावत को वापिस उदयपुर प्रधान कार्यालय में ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर नियुक्त कर दिया। उसके पश्चात् न्यायाधिकरण ने नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया।

चूंकि उदयपुर स्थित विपक्षी कंपनी के प्रधान कार्यालय में उदयपुर में ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोई पद नहीं है। इसलिए प्रार्थी श्रमिक बिना काम बैठा रहता है और श्री गोविंद कुमावत सीनियर ऑटो इलेक्ट्रिशियन पद के लिए पूर्ण-रूपेण योग्य होते हुए उसे सीनियर ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर गौर नहीं किया, जाकार पदोन्नति नहीं किया और श्री किशन लाल को ऑटो इलेक्ट्रिशियन बना दिया गया। और यह भी अभिकथन रखा कि समझौता वार्ता के दौरान श्री मकबल खान, श्री यासीन खान को सीनियर ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर पदोन्नति कर दिया था जबकि वह प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ थे और प्रार्थी श्रमिक के अधिकार को नजर अंदाज कर दिया गया इस प्रकार दुरभावना और अनुचित श्रम अभ्यास से प्रार्थी श्रमिक को मिलने वाली पदोन्नति सहूलियत से पांच वर्ष में अनुचित कर दिया है। अतः प्रार्थना की कि श्री गोविंद कुमवत को सीनियर ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर पदोन्नति किया जाये।

प्रार्थी नियोजक की ओर से दिनांक 18-11-88 को प्रारंभिक एतराज उठाते हुए। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का उत्तर प्रस्तुत किया।

चूंकि दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक समझौता हो गया और प्रार्थी ने समझौते के फलस्वरूप नो डिस्पूट अवार्ड पारित करने के लिए लिख कर दिया है इसलिए उत्तर क्लेम को विस्तृत रिपोड्ज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी श्रमिक ने अपने स्टेट मेंट ऑफ क्लेम की सम्पुष्टि में स्वयं का शपथ-पत्र पेश किया। जबकि प्रकरण अप्रार्थी की नियोजक की साक्ष्य के लिए चल रहा था। उभय पक्षकारान के बीच एक विवाद संख्या सी.आई.टी 187 में समझौता हो गया और उस समझौते के फलस्वरूप प्रार्थी श्रमिक ने अपना पुनः सेवा में बहाल होने का क्लेम छोड़ दिया। फुल एंड फाईनल सेटिलमेंट में राशि प्राप्त कर ली है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक ने इस विवाद के संबंध में स्वयं ने लिख कर दिया है।

यह कि प्रार्थी ने समझौते अनुसार सेवा में बहाली का अधिकार स्वेच्छा से छोड़ दिया है। वह अपना निजी व्यवसाय करना चाहता है। अतः उक्त पदोन्नति ने विवाद में भी समझौता कर लिया है तथा उसे अब आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः निवेदन है कि उक्त विवाद में नो डिस्प्यूट अवार्ड (विवाद नहीं रहा) आदेश पारित किया जायें।...इस प्रकार प्रार्थी स्वयं के लिखकर देने पर जिस पर विपक्षी को भी एतराज नहीं है और समझौते की सूरत में जो कि रेसूरेंस की परिधि में है। नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है। अवार्ड की प्रतिलिपि अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजा जायें।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल.—29012/51/84-डी 3(बी)]

का. आ. 2933.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स एम. ई. सी. लि., जवार माइन्स, उदयपुर के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-89 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2933.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. M.E.C. Ltd., Zawar Mines, Udaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 25-10-1989.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।

केस. नं. सी. आई. टी. 80/87

केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना स. एल—29012/24/87—टी—III(बी) दिनांक 29-9-87 जसवन्त सिंह चौहान मार्फत श्री जे. एल. शाह फिल्म कालोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर।

—प्रार्थी यूनियन

प्रोजेक्ट मैनेजर,
मिनरल ऐक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लि. पोस्ट जावर माइन्स, जिला उदयपुर।

—अप्रार्थी नियोजन

उपस्थिति

माननीय श्री प्रताप सिंह यादव, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी यूनियन की ओर से :	श्री जे. एल. शाह
अप्रार्थी नियोजक की ओर से :	श्री बी. एल. गुप्ता
दिनांक अवार्ड :	3-4-89

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय डेक्स अधिकारी ने उनकी आज्ञा संख्या एल—29012/24/87 – डी –III (बी) दिनांक 29-9-87 निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10(1) बी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जायेगा। वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को भेजा है।

"Whether the action of the management of MEC Limited, P.O. Zawar Mines, Udaipur in terminating the services of Shri J. S. Chouhan, UGS Category III in their establishment in the Zawar Mines of Hindustan Zink Ltd. with effect from 22-11-86 is just and legal ? If not, what relief is the workman entitled to ?"

वाद प्राप्त रेफरेन्स इसे न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया और उभयपक्षकार को नोटिस जरिये पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए श्री जसवन्त सिंह चौहान ने अपना स्टेटमेंन्ट आफ क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया। यह कि प्रार्थी श्रमिक की नियुक्ति विपक्षी संस्थान में 22-7-80 को हुई थी। तत्पश्चात वह सदैव विपक्षी संस्थान में लगातार काम करता रहा। दिनांक 21-9-86 को वह बीमार हो गया था और वह 21-9-86 से 15-11-86 तक लगातार बीमार रहा। तत्पश्चात प्रार्थी स्वस्थय होकर चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर

विपक्षी संस्थान में ड्यूटी पर उपस्थित हुआ तो उसे ड्यूटी पर नहीं लिया गया और उसे दिनांक 16-11-86 को एक मीमो दिया गया जिसमें प्रार्थी पर दिनांक 21-9-86 से बिना अवकाश व स्वीकृति के अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया। दिनांक 21-11-86 तक ड्यूटी पर उपस्थित होने के आदेश दिये थे। प्रार्थी श्रमिक दिनांक 16-11-86 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उसे ड्यूटी पर लेने का अनुरोध किया, परन्तु उसे फिर भी ड्यूटी पर नहीं लिया और उसके बाद भी वह रोजाना विपक्षी संस्थान में ड्यूटी पर उपस्थित हुआ परन्तु ड्यूटी पर नहीं लिया गया। तत्पश्चात प्रार्थी को विपक्षी का पत्र दिनांक 25-12-86 को मिला जिसमें उस पर अनुपस्थित रहने का आरोप लगा कर सेवामुक्त करने का आदेश लिया। प्रार्थी श्रमिक ने सेवामुक्ति का विरोध किया और दिनांक 8-1-87 का प्रार्थना पत्र 10-1-87 को प्रस्तुत कर सेवा में बहाल करने की मांग की। परन्तु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। प्रार्थी ने अपना विवाद सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रिय अजमेर) के समक्ष पेश किया। समझौता न होने की सूरत में भारत सरकार ने यह निर्देशन निर्णय हेतु यहां प्रस्तुत किया प्रार्थी ने उसकी सेवा मुक्ति अवैध व अनुचित इस आधार पर बताई कि प्रार्थी को लगाये गये आरोप के संबंध में कोई विभागीय जांच कार्यवाही नहीं की और सेवा मुक्ति न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है आगे जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक की अनुपस्थित जानबूझ कर नहीं थी। प्रार्थी ने उसकी बीमारी के कारण अवकाश की सूचना विपक्षी को भेजी थी और स्वास्थ होने पर मेडिकल प्रमाण पत्र भी पेश किया था। आगे यह एतराज किया कि प्रार्थी की सेवामुक्ति छटनी की परिभाषा में आती है। सेवा मुक्त करने से पूर्व एक माह का नोटिस अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन नहीं दिया एवं छटनी का मुआवजा नहीं दिया। आगे यह भी एतराज किया कि प्रार्थी श्रमिक से जूनियर सर्व श्री ईमाम दुरजन सिंह ईश्वर सिंह मदन-पोद्दार हनुमान सिंह गोपाल पुरोहित बन्ना रेरा मंगला आदि 18 श्रमिक अभी कार्य कर रहे हैं यह भी एक एतराज किया कि विपक्षी संस्थान में श्री गुप्ता व मदन सिंह ने सेवा से त्याग पत्र दे दिया था। उन्हें एक वर्ष बाद उसी वेतन श्रृंखला में सेवा में बहाल किया गया इसके अतिरिक्त सर्व श्री दर्जन सिंह ईश्वर सिंह धूप सिंह कमला तेजा गोकुल चन्द आदि विपक्षी संस्थान ने अपने सेवा काल में प्रार्थी से भी ज्यादा अनुपस्थित रहा और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और उन्हें सेवा में बहाल किया गया और अनफेयर लेबर प्रेक्टीज कार्यवाही की। अन्त में प्रार्थना है। कि उसकी सेवा मुक्ति को अवैध घोषित किया जावे उसे पिछली पूरी तनख्वाह सेवाओं और सुविधाओं से युक्त बहाल किया जावे श्री बी. एल. सरूपिया वकील ने अप्रार्थी निगम की ओर से उत्तर क्लेम निम्न प्रकार से पेश किया। यह स्वीकार किया कि प्रार्थी की नियुक्ति 22-7-80 को हुई थी और प्रार्थी जब तक उसकी सेवा समाप्ति हुई विपक्षी संस्थान में कार्य करता रहा। इस तथ्य को असत्य बताया कि प्रार्थी 21-9-86 से 15-11-86 तक बीमार था। आगे यह लिखा इससे पूर्व दिनांक 8-11-86 को प्रार्थी व अन्य श्रमिकों को 8-11-86 को एक मिमो सं. 30489 दिया गया। जिसके द्वारा उसे सूचित किया गया कि वह दिनांक 21-9-86 से अनुपस्थित है यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में मौखिक समय समय पर वार्निंग दी गई प्रार्थी की सेवा में विधिवत विपक्षी संस्थान के प्रमाणित सही आदेश के अन्तर्गत समाप्त हो गई। प्रार्थी को दिनांक 2-11-87 से पूर्व ड्यूटी पर उपस्थित होने और पूर्व अनुपस्थित रहने के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया किन्तु प्रार्थी न तो निश्चित तारीख तक ड्यूटी पर उपस्थित हुआ न बिना स्वीकृति अथवा सूचना अनुपस्थित रहने का कोई स्पष्टकरण ही दिया। आगे जाहिर किया प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं थी सेवा मुक्ति का आदेश पूर्णतया अवैध था। आगे यह एतराज दिया कि प्रमाणित स्थाई आदेशों के अन्तर्गत 10 दिन से अधिक अवधि तक निरन्तर बिना पूर्व स्वीकृति अथवा सूचना के अनुपस्थित रहने पर सेवा से पृथक करना छटनी में नहीं आता है आगे जाहिर किया कि माह सन् 85 में 9 दिन बिना सूचना एवं स्वीकृति के अनुपस्थिति रहा। अप्रैल सन् 1985 में 22 दिन अनुपस्थित रहा मई सन 85 में 18 दिन अनुपस्थित रहा, जून सन् 85 में 14 दिन, अनुपस्थित रहा सितम्बर सन् 85 में 13 दिन अक्तूबर में 31 दिन, नवम्बर में 30 दिन, दिसम्बर में 18, जनवरी 86 में 8 दिन, फरवरी सन् 86 में 16 दिन, मार्च सन् 86 में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जन में 30, जुलाई सन् 86 में 30 दिन सितम्बर में 21, अक्तूबर में 25 व नवम्बर 86 में 21 दिन अनुपस्थित रहा। 22-11-86 से उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। आगे यह भी जाहिर किया कि उपरोक्त वर्णित अवधि में प्रार्थी श्रमिक बीमार न होकर जवार माईस में अपनी डेयरी कल्याण डेयरी प्रताप पुरा जावर माइन्स स्थापित करने के काम में लगा हुआ था। जिसमें अब करीब 30 जर्सी गायें है। इस प्रकार उसकी नौकरी में कोई रूचि नहीं थी। अन्य में जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा बिना सूचना व छुट्टी कराये अनुपस्थित रहने के कारण प्रमाणित स्थाई आदेशों के अंतर्गत स्वतः सेवा समाप्त होने के कारण सेवा मुक्ति का आदेश जारी करना पड़ा। अन्त में यह लिखाया कि सेवा समाप्ति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय की अनुमति का प्रार्थी है।

दिनांक 13-5-88 को प्रार्थी जसवन्त सिंह चौहान पुत्र श्री भवानी सिंह ने अपनी क्लेम को सम्पुष्टि में अपना शपथ पत्र पेश किया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा उदयपुर कैम्प पर सत्यापित किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने श्री जसवन्त सिंह चौहान से जिरह की। प्रार्थी की ओर से श्री मोहन लाल पूर्वीया साक्ष्य में पेश हुआ। विपक्षी कारपोरेशन की ओर से इस गवाह से जिरह की गई। इस प्रकार प्रार्थी साक्ष्य समाप्त हुआ। अप्रार्थी नियोजक की ओर से श्री सुबोध चन्द्र बोस साक्ष्य में पेश हुआ। गवाह का शपथ पत्र न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया। योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने गवाह सुबोध बोस से जिरह की उभयपक्षकारान ने अपनी साक्ष्य समाप्त किया। मैंने बहस योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी अधि-

बक्सा अप्रार्थी नियोजक सुनी है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने बहस की कि प्रार्थी को दिनांक 22-7-80 को नियोजित किया गया था और वह 22-7-80 से कार्य कर रहा था। दिनांक 21-9-86 को वह बीमार पड़ गया और 15-11-86 तक बीमार रहा। बीमारी का उसने प्रमाण पत्र ई. एक्स डब्ल्यू प्रस्तुत किया है जिसे डाक्टर सोहन लाल पूर्बीया ने प्रमाणित कराया है और दिनांक 16-11-86 को प्रार्थी अपने कार्य पर उपस्थित हो गया था मगर उसे कार्य पर नहीं लिया। 16-11-86 का कारण बताओ नोटिस 21-11-86 को प्रार्थी को मिला। इस नोटिस में यह हिदायत दी गई थी कि वह 21-11-86 तक उपस्थित हो जावे। वह फिर 22-11-86 को गया उस दिन प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र दी, परन्तु उसे ड्यूटी पर नहीं लिया। आगे यह भी बहस की कि इसके बाद प्रार्थी बराबर ड्यूटी पर जाता रहा, 30-4-86 को उसने पत्र लिखा। 20-12-86 को उसने दूसरी दरख्वास्त और इस संबंध में योग्य अधिकृत प्रतिनिधि ने ईएक्स डब्ल्यू—2 वाई एक्स एम—14 को निर्देशित किया और बहस की, इस संबंध में प्रार्थी को कोई चार्जशीट नहीं दी और अन्त में 25-12-86 को उसकी सेवा समाप्त कर दी। योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने बहस की कि 1982 लैब आई में छटनी के संबंध में यह विनिश्चिय किया गया है कि यदि किसी कर्मकार का नाम रोल से ही हटा दिया जाये तो वह भी छटनी की परिभाषा में आता है। इस संबंध में एफ. एल. आर. 1977 (25) सुप्रीम कोर्ट 353 भी यह विनिश्चित किया गया है कि यदि किसी कर्मकार का नाम रोल से हटा दिया जाये, तो वह छंटनी की परिभाषा में आता है। और इस प्रकार की छटनी जिसमें धारा 25 (एफ) 9 (बी) के प्रावधानों को यदि पूरा नहीं किया जाता है तो वह छटनी अवैध होती है।

योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने लैब 1988 एन. आई. सी. 1123 पर भी अविलम्ब किया जिसमें यह विनिश्चय किया गया है कि यदि सेवा समाप्ति साधारण यानि सिम्पलोशिटर भी हो और प्रार्थी का का ... में छटनी का मुआवजा नहीं दिया गया है तो सेवा समाप्ति अवैध होगी और प्रार्थी श्रमिक सेवा में बहाल होने का अधिकारी होगा।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी नियोजक ने बहस की कि जसवन्त सिंह लगातार 10 दिन से अधिक अनुपस्थित रहा और वह आदतन अनुपस्थित रहने वाला था। दूसरे यह भी बहस की कि यह भी माना जाये कि उसकी सेवा समाप्ति अवैध थी तो वह सेवा समाप्ति के बाद डेयरी का धन्धा करता रहा है वास्तव में उसने स्वंय ने अपनी नौकरी छोड़ी है और उसका दुश्चरित्र प्रमाणित हो जाता है। ऐसी सूरत में जानबूझ कर सेवा छोड़ देने से वह पुनः सेवा में बहाल होने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि आया प्रार्थी ने स्वंय जानबूझ कर सेवा छोड़ी या बीमारी के कारण वह अनुपस्थित रहा। प्रार्थी स्वंय ने उसके शपथ पूर्ण बयान में यह व्यक्त किया है कि वह 21-9-86 से 15-11-86 तक वह बीमार रहा। डाक्टर सोहन लाल ने प्रार्थी के बयान की ताईद की है और डाक्टरी प्रमाण पत्र एक्जीबिट डब्ल्यू 6 को प्रमाणित कराया है कोई कारण नहीं कि इनके साक्ष्य को गलत समझा जाये फिर प्रार्थी स्वयं सेवा समाप्ति के बाद दरख्वास्तें लिखता रहा है बतौर प्रार्थना पत्र भेजता रहा है। वह इस बात का सबूत कि उसने स्वयं सर्विस अमेन्डेड नहीं की। वह 16-11-86 को प्रार्थी स्वयं उपस्थित हो गया था। जिससे सेवा अमेन्डेड करने का खंडन होता है और प्रार्थी से जूनियर व्यक्ति अब भी कार्य कर रहे थे प्रार्थी की सेवा समाप्ति को टर्मीनेशन सिम्पलीसीटर भी मान लिया जाए तो भी उसकी सेवा अवैध पाई जाती है और चूंकि प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 25-12-86 को सेवा समाप्ति के समय छटनी का मुआवजा न दिये जाने की सूरत में पुनः बहाल होने का अधिकारी पाया जाता है अतः प्रार्थी के हक में पंचाट निम्न प्रकार पारित किया जाता है कि एम. ई. सी. लिमिटेड जावर माइन्स उदयपुर के प्रबन्ध तन्त्र के हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जावर खानों के अपने प्रतिष्ठान में यू. जी. एस. श्रेणी के श्री जी. एस. चौहान को दिनांक 12-11-86 से सेवायें समाप्त व अवैध एवं अनुचित। प्रार्थी श्रमिक जसवन्त सिंह चौहान दिनांक 25-12-86 से पूर्व पद व वेतन पुनः बहाल होने का अधिकारी पाया जाता है वह 25-12-86 से सेवा में बहाल होने की तिथि तक प्रार्थी की सेवायें निरन्तर समझी जायेगी और इस अवधि में जो अन्य देय लाभ उत्पन्न हुए हो वह भी वह पाने का अधिकारी होगा जिसकी प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को नियमानुसार वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल—29012/24/87—डी 3 (बी)]

बी. के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1989

का. आ. 2934.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बनाम न्यायालय चण्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-10-89 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 24th October, 1989

S.O. 2934.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 20-10-1989.

ANNEXURE

BEFORE SHRI M. S. NAGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 75/87

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India.

AND

Their workman : Ashok Soni.

For the workman—Shri N. K. Gupta.

For the management.—Shri Ajay Kohli.

INDUSTRY : Banking STATE : U. T. Chandigarh

AWARD

Dated, the 28th September, 1989

On a dispute raised by Ashok Soni against the management of State Bank of India, Central Government had vide No. L-12012/475/86-D.II(A) dated 31st August 1987 referred the following dispute to this Tribunal for decision :

"Whether the action of the management of State Bank of India, Chandigarh is justified in terminating the services of Shri Ashok Soni w.e.f. 18-4-1986 ? If not, to what relief the concerned workmen is entitled ?"

2. Case of the petitioner as set out in the claim statement is that Ashok Soni was employed in emporary capacity of lift operator at Sector-17, branch of the Bank Chandigarh on 20-9-1984 and was paid Rs. 16 per day. Services of the workman were terminated on 18-4-1986 without any notice or retrenchment compensation though he had worked for more than 240 days during the period 12 calander months preceeding to his termination. It is mentioned that petitioner was employed against permanent post and as per circular No. 195/84 he would deemed to be posted on temporary basis and not a casual labourer though he used to get his salary through Asstt. Security Officer who in turn received the same from the Bank. Workers Union had raised a demand for absorption of Ashok Soni in permanent capacity, payment of salary to him in regular grade and back wages with effect from 18-4-1986.

3. The management in its reply took plea that petitioner was engaged by the Asstt. Security Officer of the Bank as a casual labourer on 20-2-1984 on mutually agreed wages of Rs. 16 per day to operate lift at Sector-17, Chandigarh branch of the Bank and the petitioner worked during the period 20-9-1984 to 30-4-1986 on several occasions as and when required as casual labourer. It is pleaded that initial engagement of the petitioner was irregular and void-abnitio as he was over age and over qualified and that his services were availed to operate the lift as permanent lift operator had been promoted to clerical cadre and pending filling up the vacancy in the prescribed manner the petitioner engaged on adhoc basis as a casual labourer. Since initial engagement of the petitioner was irregular and void-abinitio he is not entitled to the benefits U/S 25-F of the I. D. Act 1947. It is further stated that even if there may be non-compliance of the Local Head Office Circular PR 195/84 by the branch of the petitioner can not take anty benefit of it.

4. Parties were allowed opportunity to lead evidence. Workman Ashok Soni filed his affidavit Ex. W-1 reiterating the allegations made in the claim statement. He solemonly affirmed that he started operating the lift on 20-9-1984 and branch manager used to pay salary to him through Asstt. Security Officer. On 18-4-1986 he was simply told by the Branch Manager that his services have been terminated. During his cross-examination he admitted that no appointment letter was issued to him. The management did not produce any evidence in rebuttal.

5. Case of the workman is that he was employed in temporary capacity lift operator and rendered more than 240 days service in 12 calander months immediately preceeding to 18-4-1986 when his services were illegally terminated without serving him any notice or retrenchment compensation. There is no dispute on facts that the workman was employed on casual labourer at Rs. 16 per day and he had worked for more than 240 days in 12 months preceeding to his termination of services on 18-4-1986. There is no denial that he was not served with any notice and not paid any retrenchment compensation. The counsel for the management has argued that the employee can not seek benefit of section 25-F of the I. D. Act as in the present case the petitioner was not a validity appointed employee of the State Bank of India. He has drawn my attention to the fact that petitioner has given his date of birth as 27-4-1960 in his cross-examination as WW-1 and as per para 29 of Chapter V of Staff Regulations regarding procedure for recruitment of messengers/guards/part-time employees with combined designation maximum age for employment is 24 years. He has referred me to case of Eranalloor Service Co-op. Bank Ltd. Vs. Labour Court and others 1986 K.L.T. 801 wherein Kerala High Court has been pleased to hold that the person who claim benefit of Section 25-F of the I. D. Act shall establish that he is in the service of the employer having been appointed validily. In the case in hand evidence on the file shows that Ashok Soni was previously working with Otis Elevator Co. which was providing service facility to the Bank. Ashok Soni had stated that he was called by Mr. Lal but no appointment letters was issued to him and that he used to receive payment through Mr. Bhatia who used to prepare bills and obtain his signatures. He stated further that he does not know the rate per day he was given but he used to get minimum Rs. 400, 450 or so as per calculations.

6. Materials on the file shows that Ashok Soni was never issued any letter of appointment as lift operator and that Assistant Security Officer who had given job work of operating lift to Ashok Soni had been realising casual lift operator wages @ 16 per day and pay the same to Ashok Soni depending upon the days Ashok Soni was called upon to operate the lift and presumbly not on Sundays and holidays which fact is evident that Ashok Soni was paid wages for the 27 days at the maximum during the period he worked Learned representative of the workman has arguned that irregular or invalid appointment of the petitioner has no relevancy once respondent bank has not complied with the conditions precedent to the retrenchment of the workman as required under Section 25-F of the Industiral Disputes Act 1947. In support of his argument he has placed reliance on the case of Civil Appeal No. 3563/79 Santosh Gupta Vs. State Bank of Patiala wherein Supreme Court was pleased to hold that discharge of the workman on the ground that she did not pass the test which would have enabled her to be confirmed was 'retrenchment' within the meaning of S. 2(oo) and therefore, the requirements of S. 25-F had to be complied with. The facts in the case in hand are akin to the facts in case of Eranallor Service Co-op. Bank Ltd. Vs. Labour Court and others 1986 K.L.T. 801 wherein the Kerala High Court had taken into consideration the decisions of the Supreme Court in Santosh Gupta's Case and had observed that in Santosh Gupta's case the Supreme Court had no occasion to consider the case of a workman whose appointment indisputably was void abinitio. In the case in hand the petitioner was engaged as a casual labourer by the Assistant Security Officer to operate the lift on the days it was required to be operated. The Assistant Security Officer of the Bank has been drawing the wages of casual lift operator @ Rs. 16 per day from the Bank and pay the same in cash to Ashok Soni from whom the job was taken. Irrespective of the fact that Ashok Soni was impliedly employed as a casual labourer by the Bank, the fact remains that he being overage was not eligible for employment and in view of the rtio of case of Eranalloor Service Co-op. Bank Ltd. Vs. Labour Court and others 1986 K.L.T 801 he is not entitled to benefits of Section 25-F of the I. D. Act 1947 since his initial employment itself was irregular and void abinitio.

7. Reference is therefore returned with the findings that action of the management of State Bank of India in dispensing with the services of Ashok Soni with effect from 18-4-1986 is legal and petitioner is not entitled to any relief whatsoever.

Chandigarh,

M. S. NAGRA, Presidhg Officer
[No. L-12012/475/86-D.II (A)]
S. C. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1989

का. आ. 2935.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व ईस्टर्न कोलफील्डज लिमि. की बेजडीह कोलियरी के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-10-89 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 25th October, 1989

S.O. 2935.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bejdih Colliery of M|s. E.C. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 24-10-89.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 29 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bejdih Colliery of M|s. Eastern Coalfields Ltd

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice Sukumar Chakravarty.—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of employer.—Mr. B. N. Lala, Advocate.

On behalf of workmen.—None.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19012(60)|85-D.IV(B) dated 28-2-1986 the Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Management of Bejdih Colliery of M|s. E.C. Ltd., P. O. Sitarampur Dist. Burdwan in terminating the service of Sh. Sanoo Kurmi, Timber Mistry, Bejdih Colliery w.e.f. 1-7-1984 on the ground of attaining the age of superannuation is justified ? If not, to what relief the wodkman is entitled ?"

2. When the case is called out today, Mr. B. N. Lala, Advocate appears for the Management with his witness but nobody appears for the workmen in spite of service of the registered notice. By this Tribunal's order dated 19-7-1989 it was directed that if the workman would remain absent this day, the date fixed for hearing, then the matter would be taken up for hearing in the absence of the workman. Accordingly the hearing of the reference has been taken-up in the absence of the workman.

3. The case as made out by the Union sponsoring the cause of the concerned workman Sanoo Kurmi in brief is that the Management wrongly and illegally superannuated the concedned workman with effect from 1-7-1984. The year of birth of the concerned workman is 1927 and the same was recorded in the B Form Register. The same year of birth was also recorded in the declaration in Form A under the Coal Mines Provident Fund Scheme. Inspite of all such records containing the year of birth the Management illegally got the concerned workman retired on 1-7-1984. The concerned workman protested through the Union. The matter was taken-up to the Conciliation Officer and his failure report resulted in the present reference.

4 The case as made out by the Management in their written statement is briefly as follows : The concerned workman was employed by the Equitable Coal Co., the erstwhile owner of the Bejdih Colliery in 1957 and the concerned workman became the employee under the present Management after the nationalisation of the Coal Mines in 1973. The erstwhile company maintained the Service Card in respect of the concerned workman. The said Service Card was opened in 1968 with the photograph, year of birth and other particulars of the concerned workman. The Service Card was obtained by the present Management. The year of birth recorded in the Service Card was 1924 and the said year of birth was recorded in the B Form Register. The Management denies that the year of birth of the concerned workman is 1927. According to the Management the concerned workman was rightly got retired after completion of the age of 60 years which is the superannuation age in respect of the category of the employees like the concerned workman. The concerned workman is not entitled to any relief according to the Management.

5. It has already been stated that the concerned workman or the Union sponsoring the cause of the workman has not appeared today inspite of the direction given in the Tribunal's order dated 19-7-1989 subject to the penal clause as already mentioned. The concerned workman and the Union could not also produce any document like the A Form declaration in support of their case as made out in the written statement.

6. The Management on the other hand has examined MW-1 M. K. Pattanayak, Deputy Personnel Manager and has produced the Service Card, Ext. M-1 of the concerned workman and the xerox copy of the B Form Register Ext. M-2. MW-1 Mr. Pattanayak has stated in his evidence that after nationalisation of the Coal Mines in 1973 Bejdih Colliery obtained the Service Card Ext. M-1 of the concerned workman who was formerly the employee of the Equitable Coal Co. Ltd. in Bajdih Colliery. The Service Card shows that the year of birth of the concerned workman is 1924. The evidence of MW-1 further shows that after nationalisation, the particulars of the concerned workman including his year of birth were recorded as per the Service Card of the concerned workman. The B Form Register Ext. M-2 supports the same. Mr. Pattanayak (MW-1) further says in his evidence that the age of superannuation of the employees like the concerned workman is 60 years in Bejdih Colliery. His evidence further shows that in the case of any workman whose year of birth is recorded only then his date of birth is taken as the first July of that year. Accordingly it appears that the concerned workman completed his 60 years on 1-7-1984. The Management therefore rightly got him retired with effect from 1-7-1984. MW-1 has denied in his evidence that the year of birth of the concerned workman is 1927.

7. In view of what has been discussed above, I find that the Management has rightly got the workman concerned retired with effect from 1-7-1984, the year of birth of the concerned workman being 1924. The workman concerned is not entitled to get any relief. This Award is made in the absence of the concerned workman.

This is my Award.

Dated, Calcutta.

The 16th October, 1989.

SUKUMAR CHAKRAVARTY, Presiding Officer
[No. L-19012(60)/85-D.IV-B/IR(C.II)]
R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1989

का. आ. 2936.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे, एडमिनिस्ट्रेशन, बीकानेर डिवीजन के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच,

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 2nd November, 1989

S.O. 2936—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Rlys. Admn., Bikaner Division and their workmen, which was received by the Central Government.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 10/83

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. एल. 41011 (24)/282/डी-II (डी) दिनांक 18-8-83 महामंत्री, रेलवे केजुअल लेबर यूनियन निकट डागा स्कूल, बीकानेर। ——प्रार्थी यूनियन

बनाम

1. महाप्रबंधक, नोर्दर्न रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, दिल्ली।
2. मण्डल कार्मिक अधिकारी, नोर्दर्न रेलवे, बीकानेर।
3. मण्डल अभियन्ता (प्रथम) नोर्दर्न रेलवे, बीकानेर।
4. मण्डल अभियन्ता (आर.) नोर्दर्न रेलवे, बीकानेर।
5. सहायक अभियंता, नोर्दर्न रेलवे, रतनगढ़, जिला चूरू,
6. सहायक अभियन्ता, नोर्दर्न रेलवे, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर ——अप्रार्थी नियोजक

उपस्थिति

माननीय श्री प्रताप सिंह यादव, आर एच जे एस
प्रार्थी यूनियन की ओर से ——श्री भरत सिंह सेंगर
अप्रार्थी नियोजक की ओर से ——श्री पूर्ण प्रताप सिंह अधिवक्ता
दिनांक अवार्ड : 6-9-89 (कैम्प बीकानेर)

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने उनकी अधिसूचना संख्या एल. 41011(24)/82-डी-II (बी) दिनांक 18-8-83 निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10(1)(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जाएगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को भेजा :

D. No. 1.—Whether the action of the Northern Railway Administration Bikaner Division, Bikaner in terminating the services of 24 Casual labours detailed in Annexure I with effect from 15th December, 1981 is justified ? If not, to what relief they are entitled ?"

D. No. 2.—Whether the action of the Northern Railway Administration Bikaner Division, Bikaner in terminating the services of 20 casual labours detailed in Annexure II with effect from 13th December, 1981 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and Rules made thereunder is justified ? If not, to what relief they are entitled ?"

उपरोक्त निर्देशन के परिशिष्ट में जिन 24 आकस्मिक श्रमिकों को सूची दी गई है वह निम्न प्रकार है :

1. श्री सत्तार पुत्र फखरू भर्तीशुदा जून 1974 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., चुरू।
2. श्री कमल किशोर पुत्र रघुवर दयाल भर्ती शुदा अगस्त 1976 यूनिट आई.ओ.डब्ल्यू., रतनगढ़।
3. श्री लिखमा पुत्र भोमा भर्ती शुदा जून 1969 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., चुरू।
4. लालूराम पुत्र मानाराम भर्ती शुदा जून 1977 यूनियन पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़।
5. गुरजाराम पुत्र श्री नौरंगराम भर्ती शुदा मई 1976 यूनियन पी.डब्ल्यू.आई., चुरू ;
6. किशनलाल पुत्र श्री मेघाराम भर्तीशुदा जनवरी 76 पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़।
7. भगवाना पुत्र श्री रावतराम भर्ती शुदा अप्रैल 76 यूनियन पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़।
8. श्री मंगतूराम पुत्र नोपाराम भर्ती शुदा जुलाई 75 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., चुरू।
9. पन्नाराम पुत्र श्री रावतराम भर्ती शुदा जुलाई 75 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़।
10. चुन्नीलाल पुत्र श्री रामेश्वर भर्ती शुदा जून 76 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़।
11. मानसिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह भर्ती शुदा सितम्बर 76 यूनिट पी.डब्ल्यू.ई., सूडसर।
12. लाला पुत्र पेमाराम भर्ती शुदा सितम्बर 76 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., सूडसर।
13. भवरलाल पुत्र श्री प्रभुराम भर्ती शुदा जून 77 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., सूडसर।
14. आसू पुत्र श्री चतरा भर्ती शुदा मई 70 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., सूडसर।
15. पृथ्वी सिंह पुत्र श्री जीतराज सिंह भर्ती शुदा नवम्बर 75 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., सूडसर।
16. टोडर पुत्र श्री सरदारा भर्ती शुदा अक्तूबर 74 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., सूडसर।
17. श्रवण पुत्र श्री नन्दाराम भर्ती शुदा जून 75 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़।
18. केणवराम पुत्र श्री उमाराम भर्ती शुदा अगस्त 74 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़।
19. भोलाराम पुत्र श्री जीवन भर्ती शुदा फरवरी 74 पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़।
20. नथ्थू खान पुत्र श्री अशरफ खान भर्ती शुदा मई 75 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़।
21. भंवरराम पुत्र रूडाराम भर्ती शुदा जनवरी 69 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., सूडसर।
22. पुरखराम पुत्र श्री कृपालाल भर्ती शुदा मार्च 73 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़।

23. मूलचन्द पुत्र श्री कृपालाराम भर्ती शुदा जून 75 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़ ।

24. हनुमान पुत्र श्री नानूराम भर्ती शुदा अक्तूबर 74 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., रतनगढ़ ।

उपरोक्त परिशिष्ट में अनेक्सर II में निम्न 20 कर्मकारों के नाम अंकित किये गए हैं :

1. डिप्टी सिंह पुत्र श्री मादूसिंह भर्ती शुदा 24-1-77 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., गंगानगर ।
2. रामखिलावन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण भर्ती शुदा 15-7-78 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
3. बाबूशाह पुत्र श्री कायम शाह भर्ती शुदा 26-12-75 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
4. सिपाही लाल पुत्र श्री रामा भर्ती शुदा 16-6-78 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., महाजन ।
5. श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री रामानन्द भर्ती शुदा 15-1-78 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., सूरतगढ़ ।
6. भंवर सिंह पुत्र श्री बचन सिंह भर्ती शुदा 15-5-75 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
7. श्रीराम पुत्र श्री सुबन्धन भर्ती शुदा 15-7-78 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
8. मोती लाल पुत्र श्री खेतल भर्ती शुदा 15-7-78 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
9. मातादीन पुत्र राम सेवक भर्ती शुदा 15-7-78 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
10. विजय बहादुर भर्ती शुदा 15-7-78 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
11. भंवर लाल पुत्र श्री मूलाराम भर्ती शुदा 18-5-78 यूनिट पी.डब्ल्यू०आई. लालगढ़ ।
12. नेबूलाल पुत्र श्री घोधर भर्ती शुदा 15-7-78 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
13. भोगई पुत्र श्री काशीराम भर्ती शुदा 15-7-78 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
14. रक्खूशाह पुत्र श्री कायम शाह भर्ती शुदा 10-4-77 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
15. सदानन्द पुत्र श्री राम प्राण भर्ती शुदा 17-5-79 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
16. फूलचन्द पुत्र मंगलपाल भर्ती शुदा 15-1-76 पी.डब्ल्यू.आई., जेतसर ।
17. कालीप्रसाद पुत्र महादेव प्रसाद भर्ती शुदा 3-5-78 पी.डब्ल्यू.आई., भटिंडा ।
18. श्री राम पुत्र श्री बख्शादीन भर्ती शुदा 17-5-79 पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
19. फूलचन्द पुत्र श्री विदेशी भर्ती शुदा 15-7-78 यूनिट पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।
20. विजय सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह भर्ती शुदा 10-7-78 पी.डब्ल्यू.आई., लालगढ़ ।

बाद प्राप्ति उक्त निर्देशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया ओ० उभय पक्षकारान को नोटिस जरिए पंजीकृत डाक भेजे गए । श्री भरतसिंह संगर महामंत्री रेलवे केअुजल लेबर यूनियन, बीकानेर ने दिनांक 21-11-83 को सभी उपरोक्त श्रमिकगण की ओर से इकट्ठा स्टेटमेंट आफ क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया :—

यह कि रेलवे केअुजल लेबर यूनियन बीकानेर एक पंजीकृत यूनियन है जिसका पंजीकरण संख्या 33/69 है । आगे व्यक्त किया कि निर्देशन के साथ प्रपत्र सूची संख्या 1(ए) में अंकित कर्मचारियों के नाम श्री सत्तार व 23 अन्य व सूची संख्या 2(ए) जिसमें डिप्टी सिंह व 19 अन्य कर्मचारियों ने इन सूचियों में अंकित सुपरवाइजरों की देखरेख में कार्य किया और इन सूचियों में अंकित दिनांकों से श्रमिकों की सेवाएं समाप्त की गई । आगे व्यक्त किया कि उपरोक्त कर्मचारियों ने नियोजकों एवं संबंधित अधिकारियों के नियोजन में कार्य किया और अभिनेशन के दिनांक से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया और वे लगातार काम करने वाले औद्योगिक कर्मकार हो गए । आगे यह भी व्यक्त किया कि रेलवे, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक उद्योग है और इस कारण से उक्त कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी हैं । उक्त कर्मचारियों ने लगातार 120 दिन कार्य करके अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्टेटस सेवा समाप्ति से पूर्व प्राप्त कर लिया था । जिनका वेतनमान 200–250 रुपये था । आगे यह भी व्यक्त किया कि उपरोक्त कर्मचारियों के नियोजक अधिनियम व निर्देश के प्रावधान के अन्तर्गत मण्डल कार्मिक अधिकारी उत्तर रेलवे बीकानेर अभि. अथवा मण्डल अभियन्ता प्रथम एवं द्वितीय उत्तर रेलवे बीकानेर है । आगे यह भी व्यक्त किया कि उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित मण्डल अभियन्ता व उत्तर रेलवे बीकानेर द्वारा स्वीकृत टेम्परेरी लेबर एप्लीकेशन के आधार पर की गई थी । टी.एल.ए. स्वीकृत करने के अधिक अधिकारी मण्डल अभियन्ता से इनमें नीचे के अधिकारियों की टी.एल.ए. स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है । आगे यह भी व्यक्त किया कि उपरोक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्ति करने से पूर्व अपकर्मचारियों को कोई सेवा समाप्ति का नोटिस अथवा नोटिस वेतन एवं छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया । आगे यह भी आरोप लगाया कि स्टेटमेंट आफ क्लेम में उपरोक्त अंकित किए गए अधिकारियों से छोटी श्रेणी के अधिकारियों ने गलत अनुचित एवं अनियमित रूप से उक्त कमचारियों की सेवाएं क्रमशः 15-12-81 एवं 13-12-81 को अनाधिकृत रूप से समाप्त की । जिस कारण से कर्मकारों एवं नियोजक के बीच औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गया । जिसे यूनियन के माध्यम से कमचारियों ने चलाया । आगे यह भी व्यक्त कि उपरोक्त नियोजकों ने उपरोक्त कमचारियों की सेवाएं समाप्त करने से पूर्व उक्त कर्मचारियों की वरीष्ठता सूची घोषित नहीं की न ही भारत सरकार को निर्धारित प्रपत्र में छंटनी की कोई सूचना दी । आगे व्यक्त किया कि उपरोक्त कर्म-

कारों की सेवाएं धारा 25एफ० एवं जी. के प्रावधानों के उल्लंघन में समाप्त की गई इस कारण से उनकी सेवा समाप्ति की कार्यविधि निरस्त किये जाने योग्य है। आगे यह ऐतराज किया कि उक्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने पर उनको कोई कारण या आधार नहीं बताया और उनकी सेवाएं छंटनी के तौर पर समाप्त की गई है। समझौता वार्ता के असफल होने पर यह विवाद इस न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया गया है। आगे व्यक्त किया कि चूंकि उपरोक्त कर्मकारियों की सेवाए अनुचित एवं अवैध रूप से समाप्त की गई हैं इसलिए सभी प्रार्थीगण सेवा में पूर्वोक्त पद व वेतन पर बहाल होने के अधिकारी हैं। वैसे भी उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई। अतः आगे यह भी प्रार्थना की कि प्रार्थीगण के पक्ष में अवार्ड इस आशय का पारित किया जावे की सेवा समाप्ति से पूर्व-वत् पद व वेतन पर बहाल करते हुए सेवा समाप्ति की अवधि का पूरा वेतन भत्ता दिलाया जावे और इस दौरान यदि अन्य कोई देय लाभ उत्पन्न हुआ तो यह भी दिलाया जाए।

मण्डल कार्मिक अधिकारी बीकानेर, मण्डल अधीक्षक बीकानेर, सहायक अभियन्ता रेलवे रतननगढ़, सहायक अभियन्ता सूरतगढ़ की ओर से एक ही उत्तर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। इस उत्तर क्लेम में स्टेटमेंट आफ क्लेम के पैरा 1 को नकारा नहीं गया है बल्कि यह स्वीकार किया कि प्रार्थी यूनियन एक पंजीकृत यूनियन है और इस यूनियन के सदस्यों ने फार्म एफ देकर यूनियन को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया है। स्टेटमेंट आफ क्लेम के पैरा 2 को भी नकारा नहीं गया है आगे उत्तर क्लेम के पैरा 3 में यह स्वीकार किया गया है कि लिस्ट सं. 1 के 24 कर्मकार और लिस्ट सं. 2 के 22 कर्मकारों ने क्रमशः सहायक अभियन्ता रतनगढ़ व सूरतगढ़ के अधीन कार्य किया है परन्तु तथ्य को नकारा कि इन कर्मचारियों की सेवाएं वरिष्ठ सबोर्डिनेट इंचार्ज द्वारा समाप्त की गई हैं। आगे यह तथ्य भी नकारा है कि उपरोक्त लिस्ट सं. 1 और 2 में अंकित कर्मकारों ने उनकी सेवा समाप्त करने से पूर्व 240 दिन कार्य किया। इस संबंध में यह भी व्यक्त किया कि इन कर्मकारों ने लगातार एक वर्ष कार्य नहीं किया इसलिए उनको औद्योगिक कर्मकार नहीं कहा जा सकता। इस तथ्य को भी नकारा कि रेलवे औद्योगिक अधिनियम के तहत एक उद्योग है और इसके कर्मचारी औद्योगिक कर्मकार हैं और कर्मकारों ने एक वर्ष लगातार सेवा पूरी कर ली है वहां धारा 25 एफ. के प्रावधान की पूर्ति की गई है। स्टेटमेंट आफ क्लेम के पद संख्या 5 में रखे गए तथ्यों को नकारा नहीं गया है। इस संबंध में यह स्वीकार कर लिया गया है कि मण्डल अधीक्षक एक वितीय नियंत्रक अधिकारी है जो टी.एल.ए. स्वीकृत करते हैं। इसी प्रकार क्लेम स्टेटमेंट के पैरा संख्या 6 को नकारा नहीं गया है आगे यह व्यक्त किया कि स्टेटमेंट आफ क्लेम के पैरा 7 के संबंध में यह व्यक्त किया गया है कि उपरोक्त लिस्ट सं. 1 में जो 24 कर्मकार व्यक्त किये गये हैं उन्होंने स्वयं कार्य करने से मना कर दिया था। इस प्रकार उनकी सेवाएं न तो मण्डल कार्मिक अधिकारी या मण्डल अभियन्ता ने समाप्त नहीं की। 22 आदमियों की लिस्ट नं. 2 के संबंध में एक तो यह व्यक्त किया गया कि श्री भंवर शाह आकस्मिक कर्मचारी ने कभी भी पी.डब्ल्यू.आई., सूरतगढ़ के तहत कार्य नहीं किया और बाकी 21 कर्मकारों के संबंध में धारा 25एफ अधिनियम के प्रावधानों की परिपालना कर दी गई है जिनमें से सभी ने छंटनी का मुआवजे राशि लेने से इंकार कर दिया था। आगे यह स्वीकार किया कि उपरोक्त कर्मकार ने यूनियन के माध्यम से अपना विवाद उठाया है। पैरा सं. 9 में वर्णित तथ्यों को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार क्लेम स्टेटमेंट के पैरा 10, 11, 12 व 13 के तथ्यों को इंकार किया। पैरा 14 के संबंध में यह उत्तर दिया कि प्रार्थी श्रमिकगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं। अप्रार्थीगण की ओर से कुछ अतिरिक्त प्लीज निम्न प्रकार ली गई।

यह कि लिस्ट नं. 1 में अंकित 24 आकस्मिक श्रमिकगण सहायक अभियन्ता सूरतगढ़ के अधीन टी.एन.ए. के तहत कार्य कर रहे थे। उन टी.एन.ए. की स्वीकृति 10-11-81 तक थी और सभी श्रमिकों को पी.डब्ल्यू.आई.; सूरतगढ़ ने दूसरा काम देने की पेशकश की और इस संबंध में एक नोटिस 13-12-81 को लगाया। उन सभी श्रमिकों को स्टेशन मास्टर विभाग के यहां उपस्थित होने को कहा गया ताकि उनके निशानी अंगूठा मास्टर शीट पर ली जा सकें जिसके जरिए भुगतान दिया जा सके। इस संबंध में यह भी व्यक्त किया कि एक आकस्मिक श्रमिक को तत्कालीन अधिकारी के द्वारा मौके पर काम पर नियोजित किया जाता था और उसका अंगूठा मस्टर रोल पर लगवाया जाता था जिसके द्वारा भुगतान करते थे। प्रबंधतंत्र ने उक्त 24 श्रमिकों को उनकी सेवा निरन्तर रखते हुए काम करने के लिए पेशकश की थी परन्तु उन्होंने काम करने से इंकार कर दिया। एक श्रमिक भंवरलाल पुत्र श्री प्रभुदयाल ने काम करने के लिए अपनी स्वीकृति दी और उसका निशान अंगूठा मास्टर शीट पर लगाया परन्तु वह भी कार्य पर उपस्थित नहीं हुआ। आगे व्यक्त किया कि मास्टरशीट के विशेष अवधि के लिए वैलिड होती है और उस विशेष अवधि की समाप्ति पर श्रमिक की सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आगे व्यक्त किया कि उक्त लिस्ट सं. 1 व 2 में से अधिकतर श्रमिकों को दोबारा लगा लिया गया है इस कारण से उनका क्लेम चलने योग्य नहीं है। आगे ऐतराज लिया कि महाप्रबंधक उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली सहायक अभियंता, उत्तर रेलवे रतनगढ़ एवं सहायक अभियंता उत्तर रेलवे सूरतगढ़ उक्त कर्मचारियों के नियोजक नहीं हैं। उपरोक्त कारणों से श्रमिकों का क्लेम चलने योग्य न होना बताया इसलिए वे कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का क्लेम खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्षकार ने अपने अपने प्रलेख पेश किये।

स्टेटमेंट आफ क्लेम 2 की संपुष्टि में श्रमिकगण डिप्टी सिंह पुत्र साधूसिंह, फूलचन्द पुत्र मगनपाल, विजय बहादुर पुत्र रामधन, मातादीन पुत्र राम सेवक, चन्द्रशेखर पुत्र रामानन्द, भंवरलाल पुत्र मूलाराम, रामखिलावन पुत्र लक्ष्मीनारायण नेखूलाल पुत्र चौधरी, बाबूशाह पुत्र श्री कालू शाह, भोगई पुत्र काशी, मान सिंह पुत्र गोपाल सिंह, भंवर लाल पुत्र प्रभुराम, पन्नाराम पुत्र सावतराम, श्रवण पुत्र नन्द राम, पृथ्वीसिंह पुत्र जीवराज सिंह, लालूराम पुत्र मानाराम, श्री साथ पुत्र बृहमदीन, रक्खूशाह पुत्र कायम शाह मोतीलाल पुत्र खेतल, सदानन्द पुत्र रमायणा, सिपाहीलाल पुत्र रामानन्द, श्रीराम पुत्र सुबन्धन, काली प्रसाद राय पुत्र महादेव प्रसाद, फूलचन्द पुत्र श्री विदेशी, भगवाना पुत्र रावतराम लिखमा पुत्र भोमाराम कमल किशोर पुत्र रघुवरदयाल, मंगतूराम पुत्र नोपाराम, पुरखानाम पुत्र कृपालाराम नथूखाँ पुत्र अशरफखान, किशनलाल पुत्र मेघाराम लाला पुत्र मेपेमाराम आसू पुत्र चन्ना, हनुमान पुत्र नानराम, कुरडाराम पुत्र नारायण राम, मूलचन्द पुत्र कृपालाराम भंवर लाल पुत्र रुडाराम, टोडर पुत्र सरदारा, चुन्नीलाल पुत्र रामेश्वर, गोलाराम पुत्र जीवनराम, केशाराम पुत्र उमाराम, तत्तार पुत्र फखरू, केलाश चन्द्र पुत्र बंशीलाल, पहला गवाह नियोजक की ओर से प्रस्तुत हुआ। उत्तर क्लेम की सम्पुष्टि और स्टेटमेंट आफ क्लेम के विरोध नियोजक की ओर से दूसरा गवाह के. पी. काकडा, सत्यपाल पुत्र बेधराज, देवेंद्र कुमार पुत्र श्री दीनदयाल, एस. बी. हजेला, सहायक अभियंता, श्री किशोरी लाल पुत्र मामराज, सुरेश कुमार पुत्र चोथमल, प्रधानलिपिक सहायक अभियंता कार्यालय, मांगतराय पुत्र देवाराम, नाजर सिंह पुत्र चन्दन सिंह हरकेश जोशी पुत्र श्री गंगा राम, पेश हुए। अप्रार्थी नियोजक ने अपनी साक्ष्य समाप्त की। उभयपक्षकारान ने अपनी लिखित में बात प्रस्तुत की ओर मेरे जुबानी भी उनकी बहस सुनी है एवं फाईल का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। इस न्यायाधिकरण के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न है :—

1. आधा उपरोक्त परिशिष्ट व परिशिष्ट के अंकित कर्मकारों की सेवा समाप्ति दिनांक 15-12-81 व 13-12-81 से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में उन्होंने 240 दिन कार्य कर व एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मकार हो गए थे।
2. आया उपरोक्त परिशिष्ट व में अंकित कर्मकारों की क्रमशः 15-12-81 व 13-2-81 को की गई सेवा समाप्ति अवैध छटनी की परिभाषा में आती है।
3. आया उपरोक्त सभी कर्मचारीगण की सेवा समाप्ति करने से पूर्व अभ्यार्थी गण ने उनकी कोई वरीयता सूची नहीं बनाई और क्या उनकी सेवा समाप्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियम 77 का उल्लंघन किया गया।
4. आया उपरोक्त परिशिष्ट सं. सेवा में अंकित कर्मकारों की सेवा समाप्ति की सूचना क्या भारत सरकार को दी गई।
5. आया व परिशिष्ट सं. सेवा में अंकित कर्मकारों की सेवा समाप्ति धारा 25स्वां व जी के उल्लंघन में की गई है।
6. प्रार्थी श्रमिकगण क्या अनुतोष पाने के अधिकारी हैं।

उपरोक्त कायम किये गए प्रश्न को प्रश्नावली पर आई हुई साक्ष्य की रोशनी में निर्णित किया जाना है। प्रथम विचारणीय बिंदु प्रार्थी श्रमिकों का उनकी सेवा समाप्ति की तिथि से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन निरंतर कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मकार होने के संबंध में है इस संबंध में डिप्टी सिंह पुत्र श्री साधूसिंह ने व्यक्त किया कि वह 24-1-77 को नियोजित हुआ था और उसने टी.एल.ए. में 15-11-80 से 13-12-81 तक कार्य किया और उसने आगे यह लिखाया कि उसने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य करने के आधार पर लगातार काम करने वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया था। इस संबंध में कर्मकार फूल चन्द विजय बहादुर सिंह मातादीन चन्द्रशेखर, भरतलाल, राम खिलावन नेदूलाल, बाबूशाह, भागई, एवं मान सिंह पुत्र गोपाल सिंह भंवर लाल पुत्र प्रभूराम, पन्ना राम पुत्र रावतराम, श्रवण पुत्र नन्दाराम, पृथ्वीसिंह पुत्र नीजराज सिंह, लालमराम पुत्र मानाराम, श्रीनाथ पुत्र ब्रह्मदीन, रक्खूखान पुत्र श्री कायम शाह मोती लाल पुत्र खेतर, सदानन्द पुत्र राम करण सिपाहीराम पुत्र रामानन्द श्रीराम पुत्र सुबंधन, काली प्रसाद पुत्र महादेव प्रसाद, फूलचन्द पुत्र विदेशी भगवाना पुत्र रावतराम, सिखमा पुत्र भोमाराम, कमलकिशोर पुत्र रघुवर दयाल, मंगतूराम पुत्र मोकाराम, पुरखाराम पुत्र कृपालाराम, नथ्थू खान पुत्र अशरफ खान, किशनलाल पुत्र मूंगाराम, लाल पुत्र पेमाराम आसू पुत्र चन्ना, हनुमान पुत्र नानूराम, कोरडाराम पुत्र ननगराम, मूलचन्द पुत्र कृपालाराम भंवरलाल पुत्र रूडाराम, टोडर पुत्र सरदाराराम चुन्नी लाल पुत्र रामेश्वर, न्योलाराम पुत्र जीवनराम, केसराम पुत्र उमाराम, सत्तार पुत्र फखरू इन सभी ने उनके शपथ पत्रों में मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उन्होंने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य करने के आधारा पर लगातार कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मकार हो गया था। यद्यपि अप्रार्थी गण की ओर से उनके उत्तर क्लेम में यह ऐतराज जरूर लिया गया है कि उपरोक्त परिशिष्ट सं. I व II में अंकित श्रमिकों ने 240 दिन एक कलैण्डर वर्ष में काम नहीं किया है। इस एतराज के साथ यह भी लिख दिया गया है कि उनके संबंध में दिन यानि कार्य दिवसों की गणना की जानी है और यह भी ऐतराज लिया है कि वे 240 दिन उन्होंने एक वर्ष में लगातार पूरे नहीं किये हैं मगर इस संबंध में अप्रार्थी नियोजक के किसी भी गवाह ने उसकी साक्ष्य में इसको प्रमाणित नहीं कराया है कि उक्त दोनों लिस्टों में अंकित कर्मकारों ने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य नहीं किया ऐसी सूरत में यह बखूबी प्रमाणित हो जाता है कि उपरोक्त दोनों लिस्टों में क्रमशः 24 व 20 अंकित श्रमिकगण एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन निरंतर कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मकार हो गए थे। यद्यपि उत्तर क्लेम में यह भी नकारा गया था कि

रेलवे एक उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है परन्तु इस संबंध में अप्रार्थीगण के साथ मैं न तो कुछ इस बारे में कहा गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिभाषा में रेलवे एक उद्योग नहीं है नहीं बहस में ऐसा कोई ऐतराज लिया गया कि रेलवे उद्योग की परिभाषा में नहीं आता न ही इस संबंध में कोई कानूनी दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है कि रेलवे उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। कोष डी. रोबर्ट डिसूजा के केस से यह स्पष्टतः स्वीकार किया जा चुका है कि रेलवे औद्योगिक विवाद अधिनियम की रूह से एक उद्योग हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण की ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि उपरोक्त 44 कर्मकारों के संबंध में यह बखूबी प्रमाणित हो जाता है कि उन्होंने उनकी सेवा समाप्ति से पूर्व के किसी एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन बतौर कार्य दिवस पूरे कर लिए थे और वे एक कलैण्डर वर्ष हमें 240 दिन से अधिक निरंतर कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मकार हो गए थे। इसी प्रकार यह विवादित बिंदु प्रार्थी श्रमिकगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

दूसरा उठाया गया प्रश्न इस सम्बन्ध में है कि आया प्रार्थी श्रमिकगण की सेवासमाप्ति छटनी की परिभाषा में आती है या नहीं और क्या प्रार्थी श्रमिकगण को पहले अवैध थी इस सम्बन्ध में प्रार्थी श्रमिकगण की ओर से यह अभिवचन रखा गया है कि अप्रार्थी अधिकारियों ने उक्त कर्मचारियों की सेवाएँ क्रमशः दिनांक 15-12-81 व 13-12-81 से अनुचित एवं अनाधिकृत रूप से समाप्त की। इस कारण से इन श्रमिकों और नियोजकों के बीच औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गया। इसके मद्दे मुकाबिल नियोजक पक्ष की ओर से यह अभिवचन रखा गया है कि उपरोक्त परिशिष्ट में अंकित 24 आकस्मिक श्रमिक सहायक अभियन्ता रतनगढ़ के तहत एक टी.एल.ए. की स्वीकृति में कार्य कर रहे हैं। उस टी.एल.ए. की स्वीकृति 14-12-81 को समाप्त होनी थी और उन सभी श्रमिकों को पी.डब्ल्यू.आई. सूडसर ने स्थाई काम देने के लिए एक नोटिस दिनांक 13-12-81 को लगाया था और यह भी कहा गया था कि वह सभी श्रमिकगण स्टेशन मास्टर मिग्गा के दफ्तर में उपस्थित होवें ताकि उनके निशानी अंगुश्त मस्टर शीट पर लिए भेजा सकें जिसके कि द्वारा उन्हें अदायगी की जा सके। आगे यह भी अभिवचन रखा कि रेलवे प्रबन्धकों ने इन 24 आकस्मिक कर्मचारियों को काम में निरन्तरता रखते हुए काम करने की पेशकश की थी परन्तु उस सभी कार्मिक ने काम करने से इन्कार कर दिया। केवल एक भवर लाल पुत्र प्रभूदयाल ने आगे काम करने के लिए अपना अंगूठा मस्टर शीट पर लगाया था परन्तु यह काम पर नहीं आया। इस सम्बन्ध में यह भी अभिवचन रखा कि एक टी.एल.ए. विशेष समय के लिए और एक विशेष कार्य करने के लिए स्वीकृत की जाती है और वह मास्टरशीट टी.एल.ए. अवधि की समाप्ति पर कर्मकारों की सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस सम्बन्ध में यह भी अभिवचन उत्तर क्लेम में रखा है कि उपरोक्त परिशिष्ट सं. I व II में उल्लेखित करीब सभी कर्मकारों को दोबारा काम पर ले लिया गया है। उपरोक्त परिशिष्ट सं. II में अंकित कर्मकारों के सम्बन्ध में यह अभिवचन रखा गया है कि वे श्रमिकगण से यह अभियन्ता सूरत गढ़ के तहत कार्य कर रहे हैं। उस लिस्ट में अंकित श्रमिक क्रम सं. 22 के अतिरिक्त सभी श्रमिकों को एक माह का नोटिस देकर छटनी का मुआवजा प्राप्त करने के लिए कहा गया था परन्तु उस सभी ने मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया और वे मुआवजा राशि बाद में वापिस जमा करा दी गई। इस प्रकार कार्य करके अप्रार्थीगण ने धारा 25एफ. अधिनियम की पालना कर दी थी। उपरोक्त अभिवचनों की रोशनी में दो साक्ष्य प्रार्थी श्रमिकगण की ओर से आई है उस सम्बन्ध में श्रमिक मान सिंह पुत्र गोपाल सिंह ने यह व्यक्त किया कि जब उसे हटाया गया उस समय वह नियमित होते हुए कार्य कर रहा था। जिस मस्टररोल पर कार्य कर रहा था उसकी समाप्ति 15-12-81 को हो रही थी उसे ऐसा नहीं बताया गया था कि उस मस्टररोल की समाप्ति 14-12-81 को हो रही है और उसे यह भी नहीं बताया गया था कि 14-12-81 के बाद दूसरा मस्टररोल नहीं आया तो उस रोज उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी भंवरलाल पुत्र प्रभूदयाल ने उसकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया कि पी.डब्लू.आई. सूडसर ने ऐसी बात नहीं बताई थी कि वे मास्टररोल 14-12-81 को समाप्त हो रहा है ऐसा भी नहीं कहा कि यदि नई स्वीकृति नहीं आई तो उसकी सेवा 14-12-81 को स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पन्नारायम ने भी उसकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया कि यह उसे पता नहीं कि जिस मस्टररोल में वह कार्य कर रहा था वह 14-12-81 को समाप्त होने वाला है और उसे ऐसा भी नहीं बताया था कि 14-12-81 के बाद स्वीकृति नहीं आई तो उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। प्रार्थी श्रमिकगण ने करीब करीब सभी ने यह कहा है कि वह नहीं जानता था कि 14-12-81 को टी.एल.ए. समाप्त हो रही है और नई स्वीकृति नहीं आई तो स्वतः ही उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। इसके मद्दे मुकाबिल अप्रार्थी प्रबन्धकगण की ओर से यह साक्ष्य गुजारी गई है कि प्रार्थी श्रमिकगण को एक स्वीकृत 2 टी.एल.ए. के तहत एक विशिष्ट अवधि के लिए लगाया जाता था और टी.एल.ए. की समाप्ति पर उनकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती थी और इसकी सूचना देने के सम्बन्ध में यह कहा कि प्रत्येक श्रमिक का अंगूठा मस्टररोल पर लगवाते थे जो इस बात का सबूत था कि उन्हें उस टी.एल.ए. की अवधि के बारे में और उसकी अवधि समाप्ति के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त होने की सूचना थी। यह निर्विवाद है कि परिशिष्ट यानि लिस्ट सं. 1 में अंकित 24 श्रमिक गण स्वीकृत टी.एल.ए. के तहत कार्य कर रहे थे और उस टी.एल.ए. की समाप्ति 14-12-81 को होनी थी। अब यह देखना है कि आया प्रार्थी श्रमिकगण को इस बात का ज्ञान था भी या नहीं कि टी.एल.ए. की समाप्ति 14-12-81 को होगी और टी.एल.ए. की समाप्ति पर प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी रेलवे प्रबन्ध तन्त्र की ओर से पेश किए गए गवाह श्री मंगतराम ने अपनी साक्ष्य में यह व्यक्त किया है, "मुझे पता नहीं कि 14-12-81 से पूर्व इन कर्मचारियों की बीकानेर

डिवीजन के इन्जीनियरिंग विभाग ने कोई वरीष्ठता सूची घोषित की या नहीं यह मुझे याद नहीं । सब डिवीजन रतनगढ़ के आधार पर आया कोई वरीष्ठता सूचि घोषित की या नहीं । आगे यह भी लिखाया कि मैंने कोई वरीष्ठता सूची घोषित नहीं की । 14-12-81 को पी.डब्लू.आई. डूंगरगढ़ के सैक्शन में ये काम कर रहे थे । 14-12-81 को कहीं का कोई आदेश नहीं दिया गया केवल यही बताया कि 15-12-81 को आपको दूसरे नए टी.एल.ए. में रखा जाएगा । नए टी.एल.ए. में तो नई सर्विस से रखा जाता है । इनको यह लिखित में नहीं दिया गया कि इनको नई टी.एल.ए. में बिग्गा में काम करना है । 14-12-61 को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। भारत सरकार को सेवा समापित की कोई सूचना नहीं दी गई ।" श्री मंगतराय की साक्ष्य में प्रतिपरीक्षण में जो उपरोक्त तथ्य प्रकट हुए हैं उससे यह स्पष्ट है कि 14-12-81 को प्रार्थी श्रमिकगण अंकित परिशिष्ट सं. 1 को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया कि उन्हें नई टी.एल.ए. में बिग्गा में काम करना है । महज सूडसर में नोटिस बोर्ड लगा देने से प्रार्थी श्रमिकगण को यह ज्ञान नहीं हो सकता था कि उन्हें बिग्गा में नए टी.एल.ए. पर काम करने जाना है । जब प्रार्थी श्रमिकगण 14-12-81 को डूंगरगढ़ के सेक्शन में काम कर रहे थे और नोटिस बोर्ड सूडसर में लगाया गया तो उससे प्रार्थी श्रमिकगण को इस प्रकार का ज्ञान होना सम्भव भी नहीं था । अप्रार्थी नियोजकों के साक्ष्यों में यह माना है कि श्रमिकों को टी.एल.ए. की प्रतिलिपि नहीं दी जाती थी और यह भी माना है कि नोटिस प्रदर्श एम. 5 की प्रतिलिपि व्यक्तिगत रूप से प्रार्थी 24 अवध श्रमिकगण को नहीं दी गई । ऐसी सूरत में नोटिस प्रदर्श ई.एस.एम. 5 के द्वारा प्रार्थी श्रमिकगण को 15-12-81 से बिग्गा में काम करने की सूचना होनी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में यह भी काबिले गौर है कि इन 24 कर्मकारों को बिग्गा जाने के लिए रेलवे की ओर से कोई पास भी नहीं दिया गया । सभी श्रमिक गण ने स्पष्ट तौर पर यह शपथपूर्वक व्यक्त किया है कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिस मस्टररोल पर वो काम कर रहे थे वह 14-12-81 को समाप्त हो वाला है और ऐसा पी.डब्लू.आई. सूडसर ने उन्हें नहीं बताया था कि 14-12-81 के बाद स्वीकृति नहीं आई तो उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी । महज मस्टररोल पर निशानी अंगुष्ठ लगाने से यह ज्ञान होना स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अमुक प्रत्येक श्रमिक को यह बता दिया जाता था कि वह टी.एल.ए. कितनी अवधि के लिए है और उस टी.एल.ए. की समाप्ति पर उसकी सेवा समाप्ति हो जाएगी । इस प्रकार जो रेलवे के गवाहान ने यह प्रमाणित कराने की चेष्टा की है कि टी.एल.ए. की समाप्ति पर स्वतः ही श्रमिकगण की सेवा समाप्ति हो जाएगी यह तथ्य श्रमिकगण को विशेषतौर से जानकारी देने के अभाव में प्रमाणित होना स्वीकार नहीं किया जा सकता । रेलवे की ओर से यद्यपि गवाह केदार प्रसाद ने यहां तक कह दिया है कि "गैंगमेनों को रेल पथ निरीक्षक सूडसर ने कहा था कि जो टी.एल.ए. स्वीकृत होकर आया है उनमें आप कार्यरत हो जाओ और कार्य प्रारम्भ कर दो जिस पर एक भंवरलाल ने अपना अंगूठा मस्टररोल पर किया जो कार्य करने की बाबत किया था बाकी कार्य करने तथा अपना अंगूठा मस्टररोल में लगाने से इन्कार कर गए । इस बाबत 15-12-81 को रेल पथ निरीक्षक सूडसर आए थे तथा उनके साथ उनके गेंगमैन भी थे । गेंगमैनों को नोटिस लेने को भी कहा था हलस पर उन्होंने उनका नोटिस लेने तथा उसकी बाबत प्राप्ति के हस्ताक्षर करने इंकार कर दिया था "श्री केदार प्रसाद की साक्ष्य से यह प्रमाणित कराने की कोशिश की है कि प्रार्थी श्रमिकगण बिग्गा में पहुंच गए थे और उनको रेल पथ निरीक्षक सूडसर ने टी.एल.ए. पर हस्ताक्षर करने और कार्य प्रारम्भ करने की बात कह दी है जबकि रेलवे के अन्य गवाहान से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है जैसा कि ऊपर लिखाया जा चुका है कि मंगतराय ने स्पष्टतः यह कहा है कि 14-12-81 को कहीं कोई आदेश नहीं दिया गया। और प्रार्थी श्रमिकगण डूगरगढ़ में काम कर रहे थे । इस प्रकार प्रार्थी श्रमिकगण का बिग्गा पहुंच जाना और कार्य न करने की बाबत जो साक्ष्य केदार प्रसाद ने अदा की है वह स्वीकारणीय नहीं है । महज एक भवरलाल के द्वारा मस्टर सीट पर अंगूठा करने से यह स्वीकार नही किया जा सकता कि सभी श्रमिक वर्ग बिग्गा पहुंच गए थे और वहां उनको रेल पथ निरीक्षक ने नया टी.एल.ए. स्वीकृत हो कर जाने की बात कह दी और काम पर चलने का आवहान दे दिया। इसके विपरीत रेलवे के गवाह हरकेश जोशी ने यह स्पष्टतह लिखाया है कि "बिग्गा में कोई पी.डब्लू.आई. नहीं था इसललिए वहां पी.डब्लू.आई. को मस्टर रोल नहीं दिया गया। इन कर्मचारियों को सूडसर के बिग्गा जाने का आदेश नहीं दिया । ट्रांसफर किये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया । बल्कि नोटिस डिस्प्ले किया था ।" हरकेश जोशी की साक्ष्य से यह बखूबी प्रमाणित होता है कि बिग्गा में कोई पी.डब्लू. आई. नहीं गया था और केदार प्रसाद ने रेल पथ निरीक्षक के द्वारा यह आवहान देना जो कहा है कि प्रार्थि श्रमिकगण नए टी.एल.ए. के तहत कार्यरत हो जाएं यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। रेलवे प्रशासन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि नए टी.एल.ए. जब भी आते थे तो उसकी अवधि की सूचना प्रार्थी श्रमिकगण को दी जाती थी वह टी.एल.ए. आगामी किस अमुक तिथि को समाप्त होगा। उसका व्यक्तिगत तौर से ज्ञान कराया जाना आवश्यक था । रेलवे के योग्य अधिवक्ता ने यह पुरजोर दलील दी है कि उन्होंने इस 24 श्रमिकों की सेवा समाप्त नही की बल्कि श्रमिकगण को बिग्गा में कार्य करने की पेश कश की गई थी वह स्वयं ही काम पर बिग्गा में उपस्थित नहीं हुए इसलिए अप्रार्थी नियोजक की ओर से उनकी सेवा समाप्त करना नही कहा जा सकता । यद्यपि प्रार्थी श्रमिकगण ने इस तथ्य को नकारा है कि उन्हें इस प्रकार बिग्गा में कार्य करने की ऑफर दी गई हो । रेलवे के गवाह श्री मंगतराय ने यह स्वीकारा है कि 'नए टी.एल.ए. में तो नई सर्विस से रखा जाता है ।" इससे यह स्पष्ट है कि यदि बिग्गा में प्रार्थी श्रमिक वर्ग आकर कार्य भी करते तो उनकी सेवा नए सिरे से शुरू

होती और उनके द्वारा पूर्व में की गई सेवा समाप्त हो जाती है यदि सेवा समाप्त हो जाती थी तो वे स्पष्टतः अप्रार्थी रेलवे की ओर से सेवा समाप्त करना ही मानी जाएगी। नोटिस एम. 5 से भी यह स्पष्ट है कि जो प्रार्थी श्रमिक वर्ग हो मुतबादिल सेवा की पेशकश थी वह भी केवल एक माह के लिए ही ओफर थी। जब प्रार्थी श्रमिकगण ने एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन पूरे कर लिए हों तो ऐसी सूरत में प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा किसी प्रकार से समाप्त की जाती है तो वह धारा 25एफ. अधिनियम के उल्लंघन में होती है। अप्रार्थी रेलवे की ओर से ऐसी ओफर नहीं थी कि वह बिग्गा में जो काम दे रहे हैं वह पूर्व की की गई सेवा के निरन्तरता में दे रहे थे। फिर जो नोटिस प्रदर्श एम. 5 लगाया गया वह नोटिस भी पी.डब्लू.आई. सूडसर द्वारा लगाया गया था ऐसा नोटिस मण्डल कार्मिक अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट आफिसर इंचार्ज के द्वारा नहीं दिया गया था। वह इस प्रकार 24 व्यक्तियों के लिए नोटिस लगाया गया तो उससे पूर्व उनमें उन जैसे कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता सूचि नहीं लगाई गई। परिशिष्टता में अंकित 20 व्यक्तियों की सेवा समाप्ति से पूर्व जो एक नोटिस दिया गया वह नोटिस तो प्रथक पृथक श्रमिकों को दिए मगर नोटिस पी.डब्लू.आई. सूरतगढ़ ने दिया था जो नियोजक से नीचे की श्रेणी का अधिकारी था। इन 20 श्रमिकों की सेवा समाप्ति किये जाने से पूर्व उनकी भी वरीष्टता सूचि घोषित नही की गई। यह विधिमान्य सिद्धान्त है कि जहां श्रमिकों की छटनी रेलवे द्वारा करनी हो वहां मण्डल के आधार पर वरीष्ठता सूचि घोषित की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में देखिए 1984एल.आई.सी. 645। यदि वरीष्ठता सूचि इस प्रकार घोषित नही की जाती है तो छटनी का मुआवजा भी नहीं दिया जा सकता। मौजूदा प्रकरण में छटनी का मुआवजा नहीं दिए जाने का प्रश्न भी है जो भी सेवा समाप्ति को अवैध बनाता है। जहां टी.एल.ए. की अवधि समाप्त हो गई हो और प्रार्थी श्रमिक और नियोजक के मध्य ऐसी संविदा प्रमाणित नही होती है कि टी.एल.ए. की समाप्ति पर स्वतः सेवा समाप्ति हो जाएगी उस सूरत में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 बी. और 25 एच. की पालना जरूरी होती है। यहां सेवा समाप्ति किसी अपवाद के तहत नही आती है। मौजूदा विवाद में लालूराम पुत्र मानाराम ने उसकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया कि "मेरे से पांच या छः आदमी जूनियरों को काम पर रखा जबकि मुझे नौकरी से निकालाया गया "पन्ना राम पुत्र रावतराम ने उसकी साक्ष्य में व्यक्त किया कि "14-12-81 को मस्टररोल समाप्त हो रही थी। मेरे से जूनियर मानगराम और कई आदमियों को जिनका नाम नही जानता, मानसिंह पुत्र भोपाल सिंह ने उसकी साक्ष्य में व्यक्त किया कि "14-12-81 के पश्चात् मुझसे जूनियर काम पर रह गया था जबकि मुझे हटाया था।" एक तो भवर लाल पुत्र चुन्नीलाल मुझसे जूनियर था जो काम पर रखा गया और मुझे हटा दिया गया दूसरा नानग राम पुत्र जेठाराम मुझसे जूनियर होते हुए काम कर रख लिया गया और मुझे हटा दिया गया। इन गवाहों का कोई खंडन इन तथ्यों के बारे रेलवे की ओर से नहीं किया गया इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि इन श्रमिकों से कनिष्ठ व्यक्तियों को काम पर रहने दिया गया जबकि इनको हटा दिया गया। इस प्रकार मौजूद प्रकरण में धारा 25 जी. अधिनियम का उल्लंघन होना स्पष्टतः कहा जाता है। अप्रार्थी नियोजक के समस्त साक्ष्य के विवेचन से यह कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है कि रेलवे की ओर से मण्डल के लेवल पर वरीष्ठता सूचि घोषित की गई हो। न ही कोई छटनी का मुआवजा दिया गया। यह भी विधिमान्य सिद्धान्त है कि किसी औद्योगिक कर्मकार की सेवा किसी प्रकार समाप्त की जाती है सिवाए इसके कि वह अधिवार्षिक आयु पर पहुंच गया हो दूसरे लगातार बीमार रहने के कारण सेवा समाप्त की हो तीसरे कोई आरोप पत्र दिया जाकर सजा के तौर पर समाप्त की गई हो। या उसकी सेवा शर्तों में विशेष अवधि के पश्चात सेवा समाप्त करने की संविदा हो इनके अतिरिक्त बाकी सभी सेवा समाप्ति छटनी की परिभाषा में आती है। मौजूदा प्रकरण में परिशिष्ट 1 में अंकित 24 श्रमिकों की जो सेवा समाप्ति बिना मुआवजा दिए बिना नोटिस दिए बिना वरीष्ठता सूचि घोषित किए वे बिना केन्द्रीय सरकार को सूचना दिए जो की गई वह अवैध छटनी की परिभाषा में आती है। भारतीय रेलवे एसटेबलिशमेन्ट मैनुअल के पैरा 2514(ए)(4) में यह प्रावधान रखा गया है कि कोई अकुशलिक श्रमिक जिसने कि भिन्न भिन्न अधिकारियों के नीचे काम किया हो जो कि एक ही जिला अधिकारी इंचार्ज या एक ही मण्डल कार्मिक अधिकारी के तहत हों तो उसकी समस्त की गई सेवा छटनी का लाभ दिलाने के लिए गिनी जानी चाहिए। 20 श्रमिकों जिनको कि सूरतगढ़ पी.डब्लू.आई. ने मुआवजा देने की पेशकश की वह केवल 15 दिन का मुआवाजा देना तय किया और 15 दिन के मुआवजे का ही बिल बनाया जबकि 20 प्रार्थी श्रमिक पहले धीरे रहा पी.डब्लू.आई. के नीचे कार्य कर चुके थे और उनकी समस्त सेवा छटनी का मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में नहीं गिनी गई। इस प्रकार जो पी.डब्लू.आई. सूरियट के द्वारा मुआवजा देना तजवीज किया गया वह पर्याप्त न देने के कारण सही मुआवजा देना नहीं कहा जा सकता। और यहां परिशिष्ट II में अंकित 20 श्रमिकों को जो क्षतिपूर्ति की आखिर थी वह भी सही मायनों में मुआवजा देने का प्रयत्न होना नहीं माना जा सकता। इस कारण से इन 20 श्रमिकों के केस में भी धारा 25 जी, नियम 77 के अतिरिक्त धारा 25 एफ. अधिनियम का भी उल्लंघन पाया जाता है। 1981 लेब.आई.सी. 1196 में यह विनिश्चित किया गया है कि पूल निरीक्षक नियोजक की परिभाषा में न जाने के कारण और उसके द्वारा वरीष्ठता सूचि जो अपनाई गई वह वैलिड न होना माना गया और इस प्रकार कि घोषित की गई वरीष्ठता सूचि के आधार पर जो सेवा समाप्ति की गई वह अवैध होना विनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद नियम 77 के बारे

में यह विनिश्चित किया गया है कि नियम 77 के तहत यह आवश्यक है कि एक ही श्रेणी के सभी कर्मकारों की एक वरिष्ठता सूचि बनाई जाना आवश्यक है और नियोजक भिन्न भिन्न पद स्थापित व्यक्तियों की लिस्ट नहीं बना सकते। इस प्रकार मौजूदा प्रकरण में नियम 77 के तहत वरीष्ठता सूचि नहीं बनाए जाने से छटनी अवैध पाई जाती है डब्लू. एल. यू सी 1978 पृष्ठ 223 राज्य एवं अन्य बनाम विनय कुमार एवं अन्य ने यह विनिश्चित किया गया है कि जहां वरीष्ठ श्रमिकों की छटनी की जाती है और कनिष्ठ व्यक्ति सेवा में रख जाते हैं वहां पर छटनी धारा 25बी. के उल्लंघन में अवैध पाई जाती है उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिशिष्ट में अंकित 24 श्रमिकों एवं परिशिष्ट II में अंकित 20 श्रमिकों की छटनी धारा 25एफ., 25 बी, एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम 77 के उल्लंघन में पाई जाने से अवैध छटनी पाई जाती है।

विचारणीय बिन्दु सं० 3—यह बिन्दु कर्मचारियों के लेखा समाप्ति करने से पूर्व उनकी वरीयता सूची न बनाई जाने के सम्बन्ध में यह बिन्दु ऊपर विचारणीय बिन्दु संख्या 2 को निर्णित करते समय गौर किया जा चुका है। दोनों पक्ष के साक्ष्य से यह बखूबी प्रमाणित है कि सभी श्रमिकगण की सेवा समाप्ति से पूर्व मण्डल लेवल पर कोई वरिष्ठता सूची घोषित नहीं की गई और नियम 77 का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार यह विचारणीय बिन्दु भी नियोजक रेलवे के विरुद्ध तय किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4—यह विचारणीय बिन्दु सेवा समाप्ति यानि छटनी की सूचना भारत सरकार को देने के सम्बन्ध में काम किया गया है। रेलवे की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि रेलवे के कार्मिक अधिकारी बीकानेर में उपरोक्त 44 श्रमिकों की छटनी किये जाने के सम्बन्ध में सूचना भारत सरकार को दी हो इसलिए विचारणीय बिन्दु भी रेलवे के विरुद्ध तय किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु सं. 5—यह विचारणीय बिन्दु सभी उपरोक्त 44 कर्मकारों की सेवा समाप्ति धारा 25 एफ. व जी. के उल्लंघन में किये जाने के सम्बन्ध में कायम किया गया है। यह बिन्दु भी विचारणीय बिन्दु संख्या 2 के साथ ही गौर कर लिया गया है और वहां उस बिन्दु को निर्णित करते समय यह तय किया जा चुका है कि सभी कर्मकारों की सेवा समाप्ति धारा 25 एफ. व जी. के उल्लंघन की गई है।

विचारणीय बिन्दु सं. 6—चूंकि सभी श्रमिकगण अंकित परिशिष्ट I व II की सेवा समाप्ति अवैध छटनी करार दी गई है इसलिए जिस अवधि में प्रार्थी श्रमिकगण इस छटनी के कारण कार्य पर नहीं रहे वे अवैध छटनी के कारण उसका काम पर रहना माना जाएगा मौजूदा प्रकरण में सभी श्रमिकगण को अस्थाई स्टेटस मिल गया था। मगर साक्ष्य से यह प्रमाणित भी हो चुका है कि उपरोक्त 44 श्रमिकगण में से परिशिष्ट संख्या I में अंकित करीब सभी श्रमिकगण को वापिस रेलवे द्वारा नियोजित कर लिया गया है और परिशिष्ट सं. 2 में से श्री भोगुई के अतिरिक्त लगभग सभी श्रमिकों को पुनः नियोजित समय समय पर किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में यह न्यायसंगत है कि जितने समय उपरोक्त प्रार्थी श्रमिकगण नियोजन में नहीं रहे हैं उस अवधि को वे वेतन पाने के अधिकारी होंगे और उनकी छटनी अवैध पाई जाने के कारण वे पुनः सेवा में वेतन सहित बहाल होने के अधिकारी पाए जाते हैं। जिस समय में से पुनःसेवा में आए हैं और जितने समय का वेतन भत्ता उन्होंने प्राप्त कर लिया है उस अवधि का वेतन वे प्राप्त नहीं करेंगे। अतः प्रार्थी श्रमिकगण के पक्ष में अवार्ड निम्न प्रकार से पारित किया जाता है।

यह कि उत्तर रेलवे प्रशासन बीकानेर मण्डल बीकानेर के द्वारा परिशिष्टि I में अंकित 24 आकस्मिक श्रमिकों की सेवाएं 15-12-81 से समाप्त की गई वे न्याय संगत नहीं था। इसी प्रकार उत्तर रेलवे प्रशासन बीकानेर मण्डल बीकानेर के द्वारा परिशिष्टि सं. II में अंकित 20 श्रमिकों की सेवा 13-12-81 से औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान व उनके नियमों के उल्लंघन में समाप्त की जाना पाई जाती है। उपरोक्त दोनों परिशिष्टि में अंकित श्रमिकों की क्रमशः/सेवा समाप्ति 15-12-81 व 13-12-81 से पुनः सेवा में उनके पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल करने का आदेश दिया जाता है। जितने समय प्रत्येक श्रमिक सेवा में नहीं रहे हैं उस अवधि का वेतन वे नियमानुसार प्राप्त करेंगे। वेतन भत्ता उसी दर से उन्हें दिया जाएगा जिस दर से वे सेवा समाप्ति से पूर्व प्राप्त कर रहे थे। उपरोक्त श्रमिकों में से अधिकतर रेलवे द्वारा पुनः नियोजित कर लिए गए हैं जिस अवधि से उपरोक्त श्रमिकगण सेवा में पुनः ले लीये गए हैं और पुनः सेवा में लिए जाने के पश्चात् जिस अवधि का वेतन भत्ता उन्हें मिल चुका है वह उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं होगा। सेवा समाप्ति के पश्चात् दोबारा सेवा में नियोजित किये जाने की अवधि सेवा में ही शुमार की जायेगी यानि सेवा समाप्ति से अब तक की अवधि सेवा में निरन्तरता मानी जायेगी। इस अवधि के मध्य यदि अन्य कोई लाभ और अर्जित हुए हों तो वे भी प्रार्थी श्रमिकगण प्राप्त करेंगे। परिशिष्टि I व II में अंकित नामों की सूचि पंचाट के साथ लगाई जाये जो पंचाट का अंग होगी। इस पंचाट की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाये। अवार्ड आज दिनांक 6-9-89 को बीकानेर कैम्प पर जारी किया गया।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधिश

[सं. एल-41011/24/82-डी 2(बी)पीएल]

का.आ. 2937.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी पी डब्लू डी अजमेर के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के

पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2937.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the awrad of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of C.P.W.D., Ajmer and their workmen, which was received by the Central Government.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।

माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव, आर. एच. जे. एस. के स.प्र. सी.आई.टी. 43/89

मध्य

सचिव, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मजदूर यूनियन अजमेर। —मजदूर यूनियन

बनाम

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अजमेर।

—नियोजक

रैफेन्स अंतर्गत धारा 10(1) डी. (डी) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947।

उपस्थिति

यूनियन की ओर से : कोई उपस्थिति नहीं।

विपक्षी की ओर से : आर. एच. के. चंदानी

अवार्ड दिनांक : 11-7-89

अवार्ड

भारत सरकार श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने अंतर्गत धारा 10(1)(डी) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जिसे तत्पश्चात् अधिनियम दिया जायेगा, जरिये आज्ञा सं.एल. 42011/70/87-डी-2(बी) दिनांक 20-3-89 निम्न विवाद वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया है—

"क्या के.लो.नि. वि. प्राधिकारियों की निम्नलिखित कर्मकारों की सेवाएं नियमित करने से इंकार करने की कार्रवाई उचित और वैध है। यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं।"

रेफरेन्स की प्राप्ती के पश्चात इस रेफरेन्स को न्यायालय में पंजिकृत किया गया। उभय पक्षकारान को नोटिस 30-5-89 को उपस्थित आने के लिये किया गया। श्री एस. एन. शर्मा यूनियन की ओर से 30-5-89 को यूनियन के संगठन सचिव के रूप में उपस्थित आये और विपक्षी की ओर से श्री कल्याण सिंह सहायक इन्जीनियर भी उपस्थित आये जिन्होंने अपना अधिकार पत्र पेश किया। यूनियन की ओर से क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा जो दिया गया आज 11-7-89 को प्रार्थी यूनियन की ओर से स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम पेश किया जाना था मगर यूनियन की ओर ना तो कोई यूनियन का अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित आया ना ही श्रमिकगण की ओर से कोई उपस्थित आये न ही उपस्थित आने बाबत कोई प्रार्थना पत्र ही पेश किया जबकि यूनियन की ओर से संगठन सचिव एस. एन. शर्मा पिछली तारीख पेशी पर स्वयं हाजिर थे ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियन के पदाधिकारी इस विवाद को आगे चलाने में रुचि नहीं रखते हैं इस प्रकार से नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा अतः इस विवाद के सम्बन्ध में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाता है अतः वे चार की प्रतिलिपि अन्तर्गत धारा 17 औद्योगिक विवाद अधिनियम केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल-42011/70/87-डी2(बी)]

का. आ. 2938.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार गैरीसन इंजीनियर, जोधपुर के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2938.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Garison engineer, Jodhpur and their workmen, which was received by the Central Government.

अनुसूची

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 56/88

भारत सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. एल. 14012/19/86-डी. II बी दिनांक 22-7-88 श्री इन्द्र कुमार आत्मज श्री जामन लाल, रानी जी का मन्दिर, थर्ड बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर .....प्रार्थी श्रमिक

बनाम

गैरीसन इंजीनियर, इंजीनियर पार्क, जोधपुर।

.....अप्रार्थी नियोजक

उपस्थिति

माननीय श्री प्रताप सिंह यादव, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी श्रमिक की ओर से : कोई हाजिर नहीं

अप्रार्थी नियोजक की ओर से : 1. श्री एन. सी. चौधरी अधिवक्ता

2. नायक सूबेदार श्री बी. आर. शर्मा

दिनांक अवार्ड : 31-7-89

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के डैस्क आफिसर ने उनके आदेश सं. एल. 14012/19/86-डी. II (बी) दिनांक 22-7-82 से निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10(1)(घ) एवं उपधारा 2(क) वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया है।

अनुसूची

"क्या गैरीसन इंजीनियर, जोधपुर के प्रबन्धतंत्र की भूतपूर्व वैल्डर श्री इन्द्र कुमार की सेवाएं 9-2-1979 से समाप्त करने की कार्यवाही वैध और न्यायोचित है । यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

बाद प्राप्ति उक्त निर्देशन इस विवाद को इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया वा उस पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए । प्रार्थी श्रमिक को जारी किए गए नोटिस की तामील प्रार्थी की ओर से संतोष ने 21-12-88 को प्राप्त की है । मगर बावजूद प्राप्ति नोटिस के प्रार्थी श्रमिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है और न ही कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है । नोटिस की प्राप्ति के बाद भी चार पेशियां और पड़ चुकी हैं परन्तु प्रार्थी श्रमिक की ओर से स्टेटमैन्ट आफ क्लेम प्रस्तुत नहो किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी की ओर से इस विवाद को चलाने में रुचि नहीं ली जा रही है । छः अवसर दिए जा चुके हैं । अतः इस रेफरेन्स के सम्बन्ध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाना उचित होगा । अतः मौजूदा विवाद के सम्बन्ध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है । अवार्ड को प्रति-लिपि राज्य सरकार को धारा 17(1) अधिनियम वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाए ।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल-14012/19/86-डी 2 (बी)]

का. आ. 2939.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे, कोटा के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्धनियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2939.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway Kota and their workmen, which was received by the Central Government.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 68/84

केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. एल. 41011(5)/83-डी.-II बी. दिनांक 30-12-83 डिवीजनल सैक्रेटरी, पश्चिमी रेलवे कर्मचारी परिषद, भीम गंजमण्डी, कोटा ।

.....प्रार्थी यूनियन

बनाम

1. जनरल मैनेजर, वैस्टर्न रेलवे, चर्चगेट, बम्बई।
2. डिवीजनल रेलवे मैनेजर, वेस्टर्न रेलवे, कोटा ।

.....अप्रार्थी नियोजक

उपस्थिति

माननीय श्री प्रताप सिंह यादव, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी यूनियन की ओर से : कोई हाजिर नहीं

अप्रार्थी नियोजक की ओर से : श्री बी.एस. माथुर

दिनांक अवार्ड : 28-4-89 (कैम्प कोटा)

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के डेस्क आफिसर ने उनकी आज्ञा संख्या एल. 41011(5)/83-डी-II बी. दिनांक 30-12-83 निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10(1)(डी) औद्योगिक विवाद अधिनियम जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जाएगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को प्रेषित किया है :

"Whether the action of the Divisional Railway Manager Western Railway, Kota in not stepping up the pay of Shri Jaswant Singh, TTE Kota and make it equivalent to that of his juniors S|Shri K. N. Achadya, P. P. Pandey and Subhash Mehra TTEs is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?

"Whether the action of Divisional Railway Manager, Kota for not stepping up the pay of Shri S. K. Mehra TTE Kota equivalent to his juniors and not paying the arrears thereof is justified ? If not to what relief the workman is entitled ?".

उक्त रेफरेन्स की प्राप्ति के बाद इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया और उभयपक्षकारान को नोटिस पारित पंजीकृत डाक से भेजे गए । दिनांक 23-1-88 को यूनियम की ओर से प्रार्थी जसवन्त सिंह के बारे स्टेटमैन्ट आफ क्लेम पेश किया । दिनांक 29-7-83 को अप्रार्थी रेलवे की ओर से उप मण्डल रेलवे प्रबन्धक, रेलवे कोटा ने उत्तर क्लेम पेश किया । राज्य कर्मचारियों की आम हड़ताल के पश्चात् पत्रावली नोटिस के मुताबिक नियत तारीख पर पेश हुई मगर दिनांक 6-4-89 को किसी पक्ष के हाजिर न होने के कारण 11-4-89 नियत की गई । 11-4-89 को श्री बी. एस. माथुर रेलवे की ओर से उपस्थित हुए और यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ । यूनियन को नोटिस जारी किया गया कि वह आइन्दा तारीख पेशी पर अपने अपने दस्तावेजात व शहादत कैम्प कोटा पर पेश करें । पत्रावली को फर्द अहकाम और पीछे नोटिस की प्रति से विदित है कि दिनांक 19-4-89 को यूनियन को यह नोटिस न्यायाधिकरण हाजा से क्रमांक 573/89 के जरिए जारी किया गया । जिसकी तामील इशारा फर्दअहकाम पर भी मौजूद है । मगर 28-4-84 को यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया न कोई दस्तावेजात ही पेश किए । न कोई शहादत ने आने के बारे में कोई प्रार्थना पत्र ही पेश किया । ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियन इस प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रही है । यह विवाद इस न्यायाधिकरण में दिनांक 3-8-84 को आ गया था जो लगभग दोनों पौने पांच साल पुराना हो चुका है । फिर भी यूनियन की ओर से इसमें कार्यवाही कराने की कोई चेष्टा नहीं की जा रही है । पूर्व में भी ऐसी परिस्थिति आई हुई थी

और इस प्रकरण में दिनांक 31-1-87 को न्यायाधिकरण को नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित करना पड़ा। इस प्रकार यूनियन के द्वारा इस विवाद के आगे बढ़ाने में रुचि न रखने के कारण यह अनुमान निकाला जाता है कि पक्षकारान के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। इस कारण से नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जिसकी प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को नियमानुसार वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाए।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल.-41011/5/83-डी. 2बी(पीटी)]

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1989

का.आ. 2940—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार रेलवे मेल सर्विस अजमेर के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd November, 1989.

S.O. 2940.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Railway Mail Service, 'I' Division, Ajmer and their workmen, which was received by the Central Government.

[No. L-40011/14/85-D. II (B) (Pt.)]

केन्द्रीय औद्योगिक-न्यायाधिकरण जयपुर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव आर.एच.जे.एस.

कस नं. आई.टी. 3/87

मध्य

डिवीजनल सैक्रेट्री बी.आर.एम.एस.ई. यूनियन क्लास III आर.एम.एसजे-डिवीजन अजमेर।

2—डिवीजनल सैक्रेट्री ए-II आर.एम.एस.ई. यूनियन क्लास III आर.एम.एस. "जे" डिवीजन अजमेर।

—प्रार्थीगण

एवं

सुपरिन्टैंडेंट आर.एम.एस.जे.—डिवीजन, जयपुर।

—नियोजक

रैफरेंस अंतर्गत धारा 10(1)(बी) औ.वि. अधिनियम 1947

उपस्थिति

यूनियन की ओर से	कोई उपस्थित नहीं
नियोजक की ओर से	कोई उपस्थित नहीं है।
दिनांक अवार्ड	1-4-89

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने अपनी अधिसूचना संख्या एल. 40011/14/85-डी-II(बी) दिनांक 16-10-86 के द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को अंतर्गत धारा 10(1)(डी) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जायेगा वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को प्रेषित किया है।

"Whether the action of the superintendent R.M.S. 'J' Division Ajmer in deducting one pay wages for strike on 6-6-85 which has not been declared illegal and also action under FL 17A in respect of 79 days class III and 23 class IV employees is legal and justified ? If not, to what relief the workman are entitled ?".

2. बाद प्राप्ति रैफरेंस इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया, तत्पश्चात उभयपक्षकारान को नोटिस जरिये पंजीकृत डाक भेजे गये। डिवीजनल सैक्रेट्री, ए-II आर.एम.एस.ई. यूनियन क्लास-II, आर.एम.एस. जे-डिवीजन अजमर एवं डवीजनल सैक्रेट्री, बी.आर.एम.एस.ई. यूनियन आर.एम.एस. डिवीजन अजमेर को नोटिसेज की प्रति क्रमांक दिनांक 3-6-88 को प्राप्त हो गई उसके पश्चात इन्हीं दोनों यूनियनों को पुनः नोटिस जारी करने पर 21-9-88 को नोटिसेज की प्रति प्राप्त हो गई मगर कोई हाजिर नहीं आया उसके बाद अप्रार्थी अधीक्षक आर.एम.एल. जे—डिवीजन जयपुर को भी नोटिस की प्रति प्राप्त हो गई मगर प्रार्थी यूनियन और नियोजक की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये हैं यद्यपि रैफरेंस में ही ऐसा निर्देश भी है कि जो पार्टी विवाद उठाती हैं वह इस रैफरेंस के आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अपना स्टेटमेंट आफटक्लेम संगत प्रलेख गवाहों की सूची और जन प्रलेखों पर वह भरोसा करते हैं न्यायालय में पेश करेंगे और उनकी प्रति विपक्षी को नियमानुसार 10(बी) औद्योगिक विवाद केन्द्रीय नियम 1957 के तहत भेजेंगे मगर इस रैफरेंस को इस न्यायाधिकरण में एक साल से अधिक आये हो गया है इसके बावजूद भी यूनियनों की ओर से कोई स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियनों की ओर से इस विवाद को चलाने में कोई रुचि नहीं है अथवा पक्षकारान में कोई समझौता हो गया है। इस प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित एवं न्याय संगत होगा कि मौजूदा विवाद के संबंध में कोई विवाद शेष नहीं है का पंचाट पारित किया जाये। अतः मौजूदा रैफरेंस के संबंध में "नो डिस्पूट" अवार्ड पारित किया जाता है। जिसे वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्र सरकार को अंतर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजा जावे।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर

[सं. एल.-40011/14/85-डी-2(बी)(पीटी)]

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1989

का.आ. 2941—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस डी ओ, पी एण्ड टी को-एक्सिल, बीकानेर के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-89 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 7th November, 1989.

S.O. 2941.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal,

Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of 800, P&T, Coaxil, Bikaner and their workmen, which was received by the Central Government on 25-10-1989.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 9/85

भारत सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. एल 40012 (17)/84 डी-II बी 12-2-85 जनरल सैकेटरी, बीकानेर डिवीजन ट्रेड यूनियन कौंसिल, बीकानेर । .....प्रार्थी यूनियन

बनाम

एस.डी.ओ., पी.एण्ड टी., को-एक्सिल, बीकानेर .....अप्रार्थी नियोजक

उपस्थिति

माननीय श्री प्रताप सिंह यादव, आर०एच०जे०एस०

प्रार्थी यूनियन की ओर से : श्री भारत भूषण आर्य

अप्रार्थी नियोजक की ओर से : श्री आर.डी. सोनी

दिनांक 3-8-89

अवार्ड :

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के डेस्क आफिसर ने निम्न लिखित विवाद अंतर्गत धारा 10 (1) (डी) और उपधारा 2 (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जाएगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को प्रेषित किया है :

"Whether the termination of Services of Shri Fazul Khan S/o. Shri Ganpat Ram, Casual Worker, working under S.D.O. P&T coaxil Bikaner without following the provihions of the I. D. Act, 1947 is justified ? If not, what relief Shri Farzul Khan is entitled to ?".

बाद प्राप्ति उक्त निर्देशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया और उभय पक्षकारान को नोटिस जरिए पंजीकृत डाक भेजे गए । प्रार्थी फजलूखान की ओर से भारत भूषण आर्य, महामंत्री, युनियन ने स्टेटमैन्ट आफ क्लेम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया :—

यह कि प्रार्थी श्रमिक फजलू खान आत्मज गणपत राम की प्रथम नियुक्ति दिनांक 10-10-80 को को-एक्सल मैन्टेनेनेंस प्रोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग, बीकानेर में सहायक के पद पर हुई थी । आगे व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक ने लगातार 2-11-82 तक कार्य किया और उसे दिनांक 3-11-82 को अप्रार्थी ने जुबानी आदेश से सेवामुक्त कर दिया । आगे प्रार्थी ने सम्बन्ध व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक को सेवा मुक्ती का कोई कारण नहीं बताया, न उसे कोई नोटिस ही दिया न नोटिस के बदले एक माह का वेतन ही दिया । सेवा समाप्ति के समय उसे छटनी का मुआवजा भी नहीं दिया । इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक की सेवाएं अवैध ,गैरकानूनी समाप्त करना जाहिर किया । इस सम्बन्ध में यह भी ऐतराज लिया कि उसकी सेवा समाप्ति धारा 26 एफ. अधिनियम के उल्लंघन में की गई । आगे यह भी लिखाया कि प्रार्थी श्रमिक ने सेवामुक्ति के बारे में उच्चाधिकारियों को अपील की परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । स्टेटमैन्ट आफ क्लेम में यह भी अभिवचन रखा कि प्रार्थी श्रमिक सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था । यह भी ऐतराज लिया कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति के पश्चात् भी प्रार्थी श्रमिक उपस्थित होता रहा परन्तु उसे काम पर नहीं लिया गया । अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थी श्रमिक का सेवा समाप्ति आदेश निरस्त किया जाए । सेवा समाप्ति दिनांक से सेवा में बहाल किए जाने की तिथि तक सम्पूर्ण वेतन दिलाया जावे एवं देय लाभ जो इस दौरान में अर्जित हुए हों उन्हें भी दिलाया जाने की प्रार्थना की ।

अप्रार्थी विभाग की ओर से उनके अधिवक्ता श्री आर. डी सोनी ने स्टेटमैन्ट आफ क्लेम का उत्तर 1-3-86 को प्रस्तुत किया । अप्रार्थी की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति इस आशय की ली गई कि प्रार्थी यूनियन को क्लेम पेश करने का अधिकार नहीं है । यह कि पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारी वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आते हैं और न ही पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग उद्योग की परिभाषा में आता है । अतः रेफरेन्स इस न्यायाधिकरण द्वारा निरस्त किया जाये । यह भी ऐतराज लिया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होते हैं । मुख्य तौर से यह ऐतराज लिया कि प्रार्थी को सेवा से निकाला नहीं गया बल्कि वह स्वेच्छा से बिना नोटिस दिए व कारण बताए चला गया है । अतः स्टेटमैन्ट आफ क्लेम को सरसरी तौर पर खारिज करने की इस्तदुआ की । प्रार्थी श्रमिक की ओर से दिनांक 8-8-87 को रीज्वाइन्डर पेश किया गया ।

प्रार्थी श्रमिक की स्टेटमेंट आफ क्लेम की सम्पुष्टि में प्रार्थी फजलू खान ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया । योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी विभाग ने प्रार्थी श्रमिक के शपथ पत्र पर जिरह की । प्रार्थी की ओर से श्री भारत भूषण आर्य ने भी अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया । योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी विभाग ने श्री आर्य से जिरह की । विपक्षी विभाग की ओर से श्री आई० बी० बी० ठाक्कर सहायक अभियन्ता श्री विष्णुदत्त पुत्र श्री तोला राम आकस्मिक श्रमिक पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग, श्री जी० एच० झुरानी पुत्र श्री इन्द्र राज, श्री अशोक कुमार ओहरी पुत्र श्री सोमनाथ ओहरा ने उनके शपथ पत्र प्रस्तुत किए जिन्हें न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया । योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने इन सभी गवाहान से प्रति परीक्षण किया ।

प्रार्थी की ओर से कुल 36 प्ले प्रदर्श एक्जी० डब्ल्यू०-1 लगायत एक्जी० डब्ल्यू-36 साक्ष्य में उपस्थित हुए । विपक्ष की ओर से कुल 18 दस्तावेजात साक्ष्य में प्रदर्शित हुए । मैंने बहुत योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी एवं योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी विभाग सुनी है, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है ।

न्यायालय के समक्ष में विचारणीय प्रश्न है कि आया प्रार्थी श्रमिक फजलू खान पुत्र श्री गणपत राम जो प्रार्थी विभाग में बतौर आकस्मिक कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहा था, की सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानोंके

उल्लंघन में की गई। उपरोक्त विचारणीय बिन्दु से पूर्व निम्न तथ्य काबिल गौर हैं :

1. आया फजलू खान पुत्र श्री गणपत राम सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में 248 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था।
2. आया प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति की गई या वह स्वेच्छा से नौकरी छोड़ कर चला गया।
3. क्या प्रार्थी की सेवा समाप्ति अवैध छटनी की परिभाषा में आती है।
4. प्रार्थी क्या अनुतोष पाने का अधिकारी है।

सर्व प्रथम यह देखना है कि आया प्रार्थी श्रमिक ने उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य किया और क्या वह इस प्रकार 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था वहां यह स्पष्ट है कि रेफरेन्स में प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति की प्रति भी नहीं लिखी गई है। प्रार्थी श्रमिक ने उसके स्टेटमैन्ट आफ क्लेम में उसका 10-10-80 को हैल्पर के पद पर नियोजित होना अंकित किया है मगर इस सम्बन्ध में प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रस्तुत किया प्रलेख एक्जी. डब्ल्यू महत्वपूर्ण है। इससे यह प्रतिपादित होता है कि प्रार्थी श्रमिक ने अक्तूबर 1980 लगायत जून 81 तक एस.डी.ओ. टेलीग्राफ के यहां 221 दिन कार्य किया और यह कार्य उसने बतौर आकस्मिक श्रमिक के किया। तत्पश्चात् प्रलेख प्रदर्श एक्जी. डब्ल्यू. 2, डब्लू. 3, डब्लू4, व डब्लू. 5 जिन्हें प्रार्थी ने भी प्रमाणित कराया है और उनको योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने स्वीकार किया है, से यह बखूबी प्रमाणित है कि प्रार्थी श्रमिक ने जुलाई 1981 से जून 1982 तक 187 दिन कार्य किया। तत्पश्चात् एक्जीविट डब्लू. 3 के मुताबिक फरवरी से अप्रैल 82 तक 72 दिन और एक्जी. डब्लू. 4 के मुताबिक मई 1982 से अगस्त 1982 तक 187 दिन बतौर आकस्मिक श्रमिक के कार्य किया। सितम्बर व अक्टूबर 1982 में क्रमशः 26 और 27 दिन कुल 53 दिन बतौर आकस्मिक श्रमिक के कार्य किया। इस प्रकार कुल प्रार्थी श्रमिक ने 419 दिन कार्य किया। यद्यपि प्रार्थी की ओर से उसके द्वारा 2-11-82 तक कार्य करना और 3-11-82 को उसे कार्य पर न लेना जाहिर किया गया है जबकि विपक्षी की ओर से यह अभिवचन रखा गया है कि प्रार्थी 1-11-82 को स्वयं उपस्थित नहीं हुआ और स्वेच्छा से नौकरी छोड़कर चला गया। यहां प्रार्थी का बयान है कि उसने 2-11-82 तक कार्य किया और इस सम्बन्ध में उसकी ओर से एक रसीद प्रदर्श एक्जी. डब्ल्यू. 6 पेश कर यह प्रमाणित कराने का प्रयत्न किया है कि वह बाजार से 2-11-82 को डिस्ट्रिल वाटर का जरिकेन बाजार से लाया था। एक्जीविट डब्लू 6 से ऐसा जाहिर नहीं होता कि वह रसीद फजलू खान ही लाया था या उसे दी गई थी। ऐसी सूरत में प्रार्थी श्रमिक के बयान को इस सेवा समाप्ति के तिथि के बारे अधिक महत्व न देते हुए यही स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी ने 1-11-82 को कार्य नहीं किया। इससे अंतिम कार्य दिवस प्रार्थी श्रमिक के सम्बन्ध में अक्तूबर 1982 की अंतिम तिथि तय हो जाती है। प्रार्थी श्रमिक ने अक्तूबर 1982 से नवम्बर 1982 तक कुल 312 दिन कार्य करना प्रदर्श डब्लू. 2, डब्लू 3, डब्लू 4 डब्लू. 5 से एवं प्रार्थी स्वयं की साक्ष्य से प्रमाणित हो जाता है। यह प्रथम विचारणी बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि प्रार्थी की सेवा मुक्ति से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में उसने 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य किया और यह पूर्व में ही माननीय उच्चतम न्यायालयों से निर्णीत हो चुका है कि पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग एक उद्योग है और इस उद्योग में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने के कारण प्रार्थी श्रमिक उसकी सेवामुक्ति से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था।

दूसरा विवादित बिन्दु यह है कि आया प्रार्थी श्रमिक ने स्वयं स्वेच्छा से कार्य छोड़ा या कि उसकी सेवाएं अप्रार्थी विभाग द्वारा समाप्त की गई। इस सम्बन्ध में योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिक की बहस है कि प्रार्थी श्रमिक के बयान में आया है कि उसने दिनांक 4-11-82 को काम पर नहीं लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिसका जवाब न आने पर दूसरा प्रार्थना पत्र 9-11-92 को एक्जी. डब्लू. 7 रजिस्टर ए डी. द्वारा विपक्षी को भेजा गया। जिसका उत्तर विपक्षी एक्जी. डब्लू. 9 दिया। अप्रार्थी द्वारा 9-11-82 का पत्र प्राप्ति स्वीकार करते हुए कहा कि आपके जगह दूसरा आदमी रख लिया गया है और अब कोई जगह खाली नहीं है। इससे यह विदित होता है कि विपक्षी ने प्रार्थी को काम पर नहीं लिया। यह स्वयं गैर हाजिर नहीं था। आगे यह भी बहस की कि अप्रार्थी ने अपने उत्तर क्लेम के पैरा 2 में स्वीकार किया 1-11-82 को प्रार्थी के गैरहाजिर रहने पर उसी दिन दूसरा आदमी रख लिया। इस सम्बन्ध में यह बहस की कि इससे स्पष्ट है प्रार्थी श्रमिक को उसे नौकरी से हटाने की नियत थी वरना उसी रोज नया आदमी क्यों रखा जाता। प्रार्थी श्रमिक ने उसके प्रतिनिरीक्षण में यह स्वीकार कर लिया है कि 1-11-82 को उसे मौखिक रूप से हटा दिया था। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक को इस स्वीकारोक्ति से यह निसन्देह प्रमाणित हो जाता है कि श्रमिक को 1-11-82 को ही मौखिक रूप से हटा दिया था। प्रार्थी श्रमिक ने साक्ष्य में यह तथ्य प्रतिपादित हुए हैं कि प्रार्थी को सेवा मुक्त करने के दिन दो अन्य और श्रमिकों को भी सेवा से हटाया गया। प्रार्थी श्रमिक की ओर से 4-11-82 को उसे काम पर लेने को प्रार्थना की गई। उसके पश्चात 9-11-82 को प्रार्थी को पुनः काम पर लेने की प्रार्थना की। मगर इस प्रकार लगातार पत्र व्यवहार के पश्चात भी प्रार्थी श्रमिक को अप्रार्थी ने काम पर नहीं लिया। प्रार्थी श्रमिक ने विभागाध्यक्ष को उसकी सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में अपील की जो निरर्थक रही। प्रार्थी श्रमिक ने बाद में औद्योगिक विवाद उठाया और उसमें असफल वार्ता रही और उसके पश्चात यह विवाद इस न्यायाधिकरण को प्रेषित हुआ। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक उसकी सेवा समाप्ति के बारे में सेवा समाप्ति के तुरन्त बाद से विपक्षी को लिखा पढ़ी करता रहा है। उससे यह अनुमान

निकाला जा सकता है कि यदि प्रार्थी स्वयं स्वेच्छा से सेवा छोड़ कर जाता तो यह इस प्रकार सेवा में पुनः बहाल होने के लिए संघर्ष नहीं करता । इस सम्बन्ध में केवल विष्णु दत्त पुत्र तोलाराम का बयान है जिसमें यह कहने की चेष्टा की है कि प्रार्थी श्रमिक 1-11-82 को सेवा छोड़ कर जाने के बाद 4-11-82 को वापिस आया लेकिन पैमेन्ट लेकर चला गया था । इस गवाह ने भी 1-11-82 को छोड़ कर जाने की बात तो कही है मगर यह नहीं कहा कि वह स्वेच्छा से नौकरी छोड़कर चला गया था । गवाह उसके प्रतिपरीक्षण में 1-11-82 की तिथि का उल्लेख तो करता है पर दूसरे प्रश्नों में इस गवाह की याददास्त का परीक्षण किया गया है । यह स्वयं यह कहता है कि उसे याद नहीं कि प्रार्थी श्रमिक कब गैर हाजिर रहा । उसने यह भी याद न होना लिखाया कि कितने दिन गैर हाजिर रहा । जब उससे यह पूछा गया कि उसे यह बताया था कि प्रार्थी को कहां काम मिल गया तो भी इस तथ्य से मना किया है । इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षण से यहां कतई जाहिर नहीं हुआ है कि प्रार्थी स्वेच्छा से नौकरी छोड़कर चला गया । बल्कि इसके विपरीत उसने अपने प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव सही होना माना है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की इच्छा पर ही निर्भर है कि जब चाहे वह आ जाए और जब चाहे वह ना आए । इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध प्रार्थी श्रमिक पर नहीं था कि वह हर सूरत पर नौकरी पर आए ही आए । महज प्रार्थी श्रमिक के एक दिन न आने पर ही जैसा कि विपक्षी की साक्ष्य से जाहिर हुआ है कि अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर लगा लिया गया । इस प्रकार जो प्रार्थी श्रमिक द्वारा 419 कार्य दिवसों तक कार्य कर लिया गया था उस पर एक ही दिन में पानी फेर दिया गया । यहां यह भी काबिल गौर है कि उसी रोज तीन श्रमिकों, माणक चन्द, मांगी लाल एवं अभियुक्त प्रार्थी को सेवा से हटाया गया । प्रार्थी श्रमिक के अधिकृत प्रतिनिधि के इस तर्क में भी सार है कि बाहमी समझौते के फलस्वरूप जो पत्र 19-11-83 को प्रार्थी श्रमिक की सेवा में लेने का निकाला उसके फलस्वरूप प्रार्थी श्रमिक अप्रार्थी के यहां 2-12-83 को उपस्थित हुआ तो अप्रार्थी ने काम पर नहीं लिया । प्रार्थी श्रमिक को यह अंडर टेकिंग देने को कहा कि पिछली तनख्वाह और सेवा में निरन्तरता छोड़नी पड़ेगी । ऐसा लिख कर देवे तो उसे सेवा में लिया जायेगा । इस प्रकार अंन्डर टेकिंग प्रार्थी के हित में नहीं थी इसलिए उसने नहीं दी और उसे काम पर नहीं लिया गया । इस तर्क की सम्पुस्टी एक्जी. डब्लू. 30 से हुई है जिसमें प्रदर्श एक्जी .डब्ल्यू. 29 से फजलू खान का ड्युटी ज्वाईन न करने देने जाहिर होता है । अप्रार्थी के द्वारा खाली लिफाफा जरिए प्रदर्श डब्लू. 29 भेजा जाना कहा गया है और वह करीनेकायनात नहीं है और विश्वसनीय भी प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी श्रमिक रजिस्ट्री में केवल खाली लिफाफा ही भेजता । इसके अलावा जब प्रार्थी श्रमिक की ओर से पत्र प्रदर्श डब्लू. 33 विस्तृत रूप से प्रार्थी श्रमिक को ड्युटी ज्वाईन न करने देने के बारे लिखा गया है तो उस पर आर. आई. ओ. लिखकर इसे लौटा दिया जाना प्रतीत होता है क्योंकि सार्टिफिकेट एक्जी. डब्ल्यू. 34 से एक्जी .डब्ल्यू. 33 यू. पी. सी. से भेजा जाना प्रमाणित होता है और इस पत्र पर यह भी नोट लगाया गया है "कृपया भविष्य में आप कार्यालय से पत्र व्यवहार न करें ।" यद्यपि इस नोट के बारे में एवं असल पत्र वापिस भेजा जाए के शब्द आर.आई.ओ. का प्रमाणित न होना योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने कहा है मगर पत्र प्रदर्श एक्जी डब्लू 33 पर लगे नोट एवं आर.आई.ओ. के नीचे किये गए हस्ताक्षर के बारे अप्रार्थी के पेश हुए गवाह ठक्कर को सम्मुख नहीं कराया और इसके बारे भी गवाह द्वारा नकारा जाने की साक्ष्य पेश नहीं की गई । ऐसी सूरत में इस पत्र प्रदर्श 33 व क्रमांक एक्जी. डब्लू 34 यू.पी.सी. को गलत बनाया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता और इससे यही परिणाम निकलता है कि जब प्रार्थी श्रमिक के अधिकृत प्रतिनिधि ने सहायक अभियन्ता समाअनुरक्षण, बीकानेर को पत्र लिखा तो उसे प्राप्त करने की अपेक्षा वापिस लौटा दिया गया । इससे भी सहायक अभियन्ता द्वारा प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध प्रेज्यूडिस होने का अनुमान है और यह बात भी सद्भाव संगत प्रतीत नहीं होती है कि विपक्षी समझौता वार्ता के फलस्वरूप पुनः सेवा में लेने को तैयार थे ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विशेष तौर से प्रार्थी श्रमिक के द्वारा सेवा मुक्ति के पश्चात विपक्षी को पुनः सेवा में लेने के लिए पत्र लिखना तत्पश्चात विवाद उत्पन्न करना और असफल बात के पश्चात पुनः सेवा में जाने को तैयार होने के आधार पर यह प्रार्थी का कथन सबल एवं विश्वसनीय पाया जाता है कि वास्तव में उससे सेवा स्वेच्छा से नहीं छोड़ी । बल्कि उसकी सेवा समाप्त की गई । यह माननीय उच्चतम न्यायालय से विनिश्चित हो चुका है कि यदि किसी भी कर्मकार के नाम के आगे लाईन खींच दी जाती है और उसकी अनुपस्थिति दिखाई जाती है तो भी वह छटनी की परिभाषा में आती है । इस प्रकार द्वितीय विचारणीय बिन्दु प्रार्थी श्रमिक के पक्ष में इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि उसकी सेवा 1-11-82 को समाप्त की गई न कि उसने स्वेच्छा से सेवा छोड़ी ।

तीसरा विचारणीय बिन्दु छटनी अवैध होने के सम्बन्ध में है । चूंकि प्रार्थी सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार था और उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व न एक माह का नोटिस दिया ना ही नोटिस अवधि का वेतन दिया, न ही छटनी का मुआवजा दिया, न ही एक सप्ताह पूर्व वरिष्ठता की कोई सूची तैयार की गई और न ही केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना ही दी गई । इस प्रकार प्रार्थी की सेवा समाप्ति धारा 25 एफ, 25 जी. अधिनियम संपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उल्लंघन में की गई है इसलिए प्रार्थी की छटनी अवैध थी । अवैध छटनी के कारण प्रार्थी पुनः सेवा में बहाल होने का अधिकारी पाया जाता है ।

चूंकि प्रार्थी की छटनी अवैध पाई गई है इस सम्बन्ध में योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थी को पुनः सेवा में बहाल कर पूर्ण वेतन दिलाने की प्रार्थना की है । योग्य अधिवक्ता

अप्रार्थी ने कहा है कि प्रार्थी श्रमिक ने दिसम्बर 1982, जनवरी 1983, फरवरी 1983 में उनके यानि अप्रार्थी के महकमे में ही कार्य किया है और यह और जगह भी कार्य करता रहा है । इसलिए गेनफुल एम्पलायमैन्ट के कारण उसे बैक बेजेज न दिलाए जायें । एक्जी. एम. 1 से विदित है कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति के पश्चात् उसने 15 दिन दिसम्बर 82 में, 27 दिन जनवरी 83 में 19 दिन फरवरी 83 में एस. डी. ओ. टेलीग्राफ बीकानेर के यहां कार्य किया । प्रार्थी श्रमिक ने इस अवधि में प्राप्त किया वेतन उसके बनने वाले वेतन से बाध्य कर यानि घटा कर प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

अवार्ड

यह कि श्री फजलूखान पुत्र श्री गणपतराम आकस्मिक कर्मकार जो उस समय एस. डी. ओ. पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ कोएक्सल बीकानेर के तहत कार्य कर रहा था की सेवा समाप्ति 1-11-82 को अवैध एवं अनुचित तौर से की गई । प्रार्थी सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने का अधिकारी है । सेवा समाप्ति की तारीख 1-11-82 से सेवा में पुनः बहाल होने की तिथि का वेतन प्राप्त करेगा उसमें से उक्त 52 दिन का प्राप्त किया हुआ वेतन गिना जाएगा । उसकी सेवा 1-11-82 से सेवा में बहाल होने की तिथि तक निरन्तर मानी जाएगी और यदि इस दौरान में अन्य कोई लाभ अर्जित हुआ हो तो वह भी वह जाने का अधिकारी है । पंचाट की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाए ।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल-40012/17/84-डी. II (बी) (पी टी)]

का. आ. 2942.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे, बीकानेर के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-89 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2942.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rly. Admin. Northern Railway, Bikaner and their workmen, which was received by the Central Government on 25-10-1989.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 3/85

भारत सरकार श्रम मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना सं. एल. 41012(14)/84-डी.IIबी दिनांक 26-12-84

रेलवे केजुअल लेबर यूनियन बीकानेर जरिए श्री भरत सिंह सैंगर महा मंत्री, डागा स्कूल के पास बीकानेर

.....प्रार्थी यूनियन

बनाम

1. महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली ।
2. मण्डल कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे, बीकानेर ।
3. लोको फोरमैन, नोर्दर्न रेलवे लोकोशेड, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

..अप्रार्थी नियोजक

उपस्थिति

माननीय श्री प्रताप सिंह यादव, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी यूनियन की ओर से : श्री अरविन्द सिंह सैंगर

अप्रार्थी नियोजक की ओर से : श्री लाल चन्द मेहरा

दिनांक अवार्ड : 13-4-89

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने उनकी आज्ञा संख्या एल. 41012(14)/84-डी.-II (बी) दिनांक 26-12-84 निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10 (1) (डी) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जाएगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को भेजा है :

"Whether the termination of services of Shri Khem Chand S/o. Shri Lalaram casual labour of Loco-shed, Suratgarh w.e.f. 28-12-1981 by the Rly. Admn. of N/Rly. Bikaner without following the provisions of the I. D. Act, is legal and justified ? If not, to what relief Shri Khem Chand is entitled to ?".

इस रेफरेन्स की प्राप्ति के पश्चात इसे पंजीकृत किया गया । उभय पक्षकारान को नोटिस जरिए पंजीकृत डाक भेजे गए । महामंत्री रेलवे कैजुअल लेबर यूनियन बीकानेर ने यूनियन की ओर से स्टेटमैन्ट आफ क्लेम निम्न प्रकार से पेश किया ।

यह कि खेमचन्द पुत्र लालाराम निवासी सूरतगढ़ को सर्वप्रथम दिनांक 3-1-76 को उत्तर रेलवे लोको शेड सूरतगढ़ में केजुअल लेबर कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया और उसे समय समय पर लगाया जाता रहा । दिनांक 1-12-81 से उसे अस्थाई कर्मचारी का स्टेटस एवं वेतनमान 196-232 दिया गया । इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता भी दिया जाता रहा । आगे व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक काम करने के आधार पर लगातार काम करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया । प्रार्थी श्रमिक की सेवा दिनांक 28-12-81 बाद दोपहर लोको फोरमैन रेलवे सूरतगढ़ ने मौखिक रूप से टर्मिनेट कर दी और इस प्रकार सेवा समाप्ति से पूर्व कर्मचारी को एक माह का टर्मिनेशन नोटिस अथवा नोटिस वेतन नहीं दिया गया । छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया । यद्यपि छंटनी के तौर पर सेवा टर्मिनेट की गई । आगे यह भी ऐतराज लिया कि सेवा समाप्ति से पूर्व इस कर्मचारी जैसे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची घोषित नहीं की गई । उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को सेवा में कायम रखा गया । पहले आए पीछे

जाए के सिद्धान्त का पालन नहीं दिया गया यह भी ऐतराज लिया कि इस कर्मचारी की सेवा लोको फोरमैन सूरतगढ़ द्वारा अनाधिकृत रूप से समाप्त की गई जबकि दूसरे एम्पलायमैनट मण्डल कार्मिक अधिकारी उत्तर रेलवे बीकानेर ने कोई टर्मिनिशन आदेश जारी नहीं किया । भारत सरकार को छटनी की कोई सूचना निर्धारित फार्म पर नहीं दी गई । इस प्रकार इसकी सेवा अनाधिकृत, अवैध तरीके से समाप्त की गई है अतः प्रार्थना की कि इस कर्मचारी को पुनः सेवा में बहाल करने और बीच की टर्मिनेशन अवधि का पूरा वेतन भत्ता एवं अन्य सेवालाभ देने का अवार्ड पारित किया जाए ।

रेलवे की ओर से स्टेटमैंट आफ क्लेम का जवाब निम्न प्रकार से प्रस्तुत हुआ ।

यह तो स्वीकार किया कि प्रार्थी श्रमिक को 3-1-76 को प्रथम लगाया गया था । मगर श्रमिक द्वारा 3-1-76 से 31-1-76 तक ही कार्य किया जाना स्वीकार किया । यद्यपि प्रार्थी को नियमित वेतन श्रृंखला 196—232 दिया जाना स्वीकार किया । आगे जाहिर किया कि लोको फोरमैन सूरतगढ़ के समय जब 6-11-82 को सी. एल. की स्वीकृति प्राप्त हुई तब प्रार्थी श्रमिक नियोजन के लिए लोको फोरमैन सूरतगढ़ के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ । इसलिए 28-12-81 को उसे सेवा मुक्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । आगे अतिरिक्त कथन में यह ऐतराज लिया कि यूनियन द्वारा प्रार्थी श्रमिक का विवाद बहुत विलम्ब से उठाया है जिसके लिए कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है । आगे यह भी ऐतराज उठाया कि किसी केजुअल लेबर को किसी विशिष्ट कार्य के लिए लिखित सेवा अनुबन्ध सहित किसी आकस्मिक कार्य पर रखा जाता है तब वह विशिष्ट कार्य पूरा हो जाने पर उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं । प्रार्थी ने लोको फोरमैन सूरतगढ़ के अधीन पिछले 12 माह अर्थात् 28-12-80 से 27-12-81 की अवधि में 245 दिन कार्य किया तथा दिसम्बर 1981 के पूर्ववर्ती 12 मास में जनवरी 1987 से सिर्फ 243 दिन कार्य किया । आगे व्यक्त किया कि लोको फोरमैन सूरतगढ़ के अधीन कार्यरत केजुअल लेबर की वरीष्ठता सूची कायम की गई है । चूंकि अनुपस्थित कर्मचारी के स्थान में जाने वाले केजुअल लेबर की स्वीकृति समाप्त हो जाने के फलस्वरुप तथा स्वीकृति के अभाव में प्रार्थी को 17-12-81 के पश्चात कार्य पर नहीं लिया जा सका । जब लोको फोरमैन सूरतगढ़ को आठ केजुअल लेबर की नियुक्ति हेतु स्वीकृति जब 8-11-82 को प्राप्त हुई तो प्रार्थी नियोजन के लिए लोको फोरमैन सूरतगढ़ के समक्ष उपस्थित नही हुआ । प्रार्थी से कार्य आकस्मिक एवं अन्तराईक रूप से लिया गया था । अतः प्रार्थना की कि औद्योगिक विवाद प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है ।

प्रार्थी खेमचन्द को उसके क्लेम की सम्पुष्टी में यूनियन की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसने अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया। रेलवे के योग्य अधिवक्ता ने खेमचन्द से प्रतिपरीक्षण किया । रेलवे की ओर से श्री यू. पी. सेठी प्रस्तुत हुआ जिससे श्रमिक के प्रतिनिधि ने जिरह की और रेलवे की ओर से श्री चन्द्रभान पुत्र श्री हरि सिंह लोको फोरमैन को भी पेश किया गया जिससे जिरह श्री भरत सिंह सेंगर ने की ।

मैंने बहस योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी यूनियन व योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी नियोजक सुनी है तथा पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है । न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं :

(अ) आया प्रार्थी श्रमिक श्री हेम चन्द्र पुत्र श्री लाल राम दिनांक 28-12-81 से वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया था ।

(ब) आया दिनांक 28-12-81 को जो प्रार्थी प्रेमचन्द श्रमिक की सेवा समाप्त की गई वह औद्योगिक विवाद के प्रावधानों के विपरीत थी और क्या वह अब तक छटनी की परिभाषा में आती है।

(स) प्रार्थी किस अनुतोष को पाने का अधिकारी है ।

प्रथम प्रश्न प्रार्थी का सेवा समाप्ति से पूर्व एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य कर उसका औद्योगिक कर्मकार हो जाने के सम्बन्ध में है । इस बारे में सर्वप्रथम खेमचन्द का शपथ पत्र दाखिल गौर है । उसने अपने शपथ पत्र में उसके शपथपूर्व बयान में लिखाया कि दिनांक 3-1-76 को वह लोको शेड सूरतगढ़ में केजुअल के रूप में नियुक्त हुआ था । 1-2-81 से पूर्व रेलवे कार्य के आधार पर से अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्टेटस एवं वेतनमान 196—232 दिया गया। आगे व्यक्त किया कि वह एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक काम करने के आधार पर लगातार काम करने वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया। आगे व्यक्त किया कि दिनांक 28-12-81 बाद दोपहर से लोको फोरमैन एन. आर. सूरतगढ़ ने मौखिक रूप से उसकी सेवा टर्मिनेट कर दी । अप्रार्थी मण्डल कार्मिक अभियन्ता उत्तर रेलवे बीकानेर की ओर से स्टेटमैन्ट आफ क्लेम के उत्तर में जो जवाब पेश किया गया, उसके पैरा 19 में 1-11-80 से 27-12-81 तक 302 दिन कुल कार्य दिवसों में कार्य करना बताया गया है । 27-12-81 से एक वर्ष पीछे यानि 27-12-80 से कुल कार्य दिवसों गिने जाएं तो 1-11-80 से 30-11-80 के तीस दिन व 2-12-80 से 27-12-80 तक 26 दिन बनते हैं जिन 30 जमा 26-56 दिनों को 302 दिवसों में से घटाया जाए तो 246 दिवस बनते हैं । अप्रार्थी रेलवे के द्वारा दिए गए ब्यौरे से ही यह बखूबी प्रमाणित हो जाता है कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति की तारीख 27-12-81 से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में उसने 246 दिन निरन्तर कार्य कर लिया था और एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर काम करने वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया था । यद्यपि इस जवाब में

यह भी लिखा है कि 27-12-81 के पूर्व 12 कलेण्डर मासों की कार्य अवधि में उसने 240 दिन कार्य नहीं किया था मगर यह एक गणित की बात है और गणित की गणना में प्रार्थी श्रमिक द्वारा सेवा समाप्ति की तारीख से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में 247 दिन कार्य करना प्रमाणित होता है। यह निर्विवाद है कि रेलवे एक उद्योग की परिभाषा में आती है। यह भी साक्ष्य से प्रमाणित हो चुका है कि प्रार्थी की सेवा समाप्ति से पूर्व से धारा 25 एफ. के तहत न तो एक माह का नोटिस दिया गया न नोटिस अवधि का वेतन दिया गया न ही छटनी का मुआवजा दिया गया। न ही प्रार्थी जैसे कर्मचारियों की वरीष्ठता सूची घोषित की गई। ऐसी सूरत में प्रार्थी की सेवा समाप्ति एक अवैध रूप से किया जाना प्रमाणित होना पाई जाती है।

चूंकि प्रार्थी की सेवा समाप्ति न तो उसके सुपर एन्यूशन पर की गई है न ही लगातार बीमार होने के कारण न ही किसी चार्जशीट के फलस्वरूप उसकी सेवा समाप्त की गई है। किसी प्रकार भी इन कारणों के अतिरिक्त सेवा समाप्त की जाती है वह छटनी की परिभाषा में आती है और यह छटनी अवध पाई गई है। अतः प्रार्थी की छटनी अवैध रूप से बिना प्रमाणित कारण के की गई है जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

अनुतोष

प्रार्थी खेम चन्द पुत्र लालाराम सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने का अधिकारी है। सेवा समाप्ति की तिथि से सेवा में बहाल किए जाने के मध्य उसकी सेवा लगातार मानी जाएगी। इस दौरान का वेतन भत्ते सहित उसे एरियर्स के रूप में दिया जाएगा और अन्य कोई देय लाभ अर्जित हुए हों वे भी प्रार्थी पाने का अधिकारी है। पंचाट की प्रतिलिपि वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्रीय सरकार को भेजी जाए।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं एल-41012/4/84—डी.-II (बी) (पी टी)]

हरी सिंह, डेस्क अधिकारी

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989